Tuesday, 05 May, 1959

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३१, १९५९/१८८१ (शक)

[५ मई, से ९ मई, १९५९/१५ वैशाख से १९ वैशाख १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

(Seventh Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-5-91
Fumigated
On 15-11-83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३१—अंक ६१ से ६५—५ मई से ९ मई, १९५९/१५ बैशाख से १९ बैशाख, १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ६१—मंगलवार, ५ मई, १९५९/१५ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१५, २२१६ और २२१८ से २२३३ . . ७०७५—७१००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३३ ७१००—०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१७ और २२३४ से २२३९ ७१०१—०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९६० से ४०१० और ४०१३ से ४०२१ ७१०४—३३

स्थगन प्रस्ताव . ७१३३—३४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ७१३४

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
पांचवां प्रतिवेदन . . ७१३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
पैंतालीसवां प्रतिवेदन . ७१३५

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ७१३५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में प्रस्ताव ७१३५—४०,
७१४०—६२

सभा का कार्य . . . ७१४०

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) . ७१६२—७०

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७१७०—८७

दैनिक संक्षेपिका . . ७१८८—९२

अंक ६२—बुधवार, ६ मई, १९५९/१६ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २२४० से २२४५, २२४७ से २२५०, २२५०-क
और २२५२ ७१९३—७२१८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२५१, २२५३ से २२५७, २२५७-क, २२५८ से २२६१, २२६१-क और २२६२ से २२६७ . ७२१८—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२२ से ४०४८, ४०५० से ४१३४, ४१३६ से ४१३७, ४१३७-क, ४१३७-ख और ४१३७-ग ७२२८—८१

सभा का कार्य . ७२८१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२८१—८२

प्राक्कलन समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन . . . ७२८२

सिन्धु नदी के पानी के उपयोग के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच करार के बारे में वक्तव्य . . ७२८२

सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कोयले की नई पर्त के बारे में वक्तव्य ७२८३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित ७२८३

विनियोग (संख्या ३) विधेयक—पारित ७२८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पारित ७२८४—८५

नियम ७४ के प्रथम परन्तुक का निलम्बन ७२८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ७२८६—७३२३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७३२३—२६

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७३२६—४७

दैनिक संक्षेपिका ७३४८—५५

अंक ६३—गुरुवार, ७ मई, १९५९/१७ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६८, २२६९, २२७१ से २२७५, २२७५-क और २२७७ से २२८१ ७३५७—७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२७०, २२७६, २२८२ से २३०३, २३०३-क और २३०४ से २३०६ ७३७८—९२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३८ से ४२०३, ४२०५ से ४२१९, ४२२१ से ४२२८ और ४२२८-क . ७३९२—७४२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली में पानी की कमी ७४२८

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न ७४२८-२६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४२६—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही-सारांश ७४३२

राज्य सभा से सन्देश ७४३२

प्राक्कलन समिति

इक्सठवां प्रतिवेदन ७४३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत का पाकिस्तान पर विभाजन ऋण ७४३३-३४

अनुपस्थिति की अनुमति . . ७४३४-३५

बोस जांच बोर्ड के प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में ७४३५—३६

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक ७४३६—३८, ७४३६—६०

विचार करने का प्रस्ताव . . ७४३६—३८, ७४३६—५७

खण्ड २ से ३१, १, पहली और दूसरी अनुसूची ७४५८-५६

पारित करने का प्रस्ताव . ७४५६—६०

श्री एम० ओ० मथाई के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का प्रतिवेदन ७४३८—३६

जनगणना (संशोधन) विधेयक ७४६०—७१

विचार करने का प्रस्ताव ७४६०—७१

खण्ड १ से ३ . ७४७१

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७४७१

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७४७१-७२

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७४७२—८४

दैनिक संक्षेपिका ७४८५—६४

अंक ६४—शुक्रवार, ८ मई, १६५६/१८ बैशाख, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३०७ से २३१०, २३१२ से २३१८, २३१८-क और २३१६ से २३२१ ७४६५—७५२१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३११ और २३२२ से २३३७ . ७५२१—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२६ से ४३०८, ४३१०, ४३११ और ४३१३ से ४३१८ ७५२६—६५

स्थगन प्रस्ताव

दिल्ली में पानी की कमी ७५६५-६६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७५६७-६८

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . ७५६८

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश ७५६८

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ७५६८

लोक लेखा समिति

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन ७५६६

याचिका समिति

छठा प्रतिवेदन . ७५६६

मंत्री द्वारा वक्तव्य की शुद्धि ७५६६

तिब्बत की स्थिति के बारे में चर्चा . . ७५६६-६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतालीसवां प्रतिवेदन ७५६४-६५

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प ७५६५—७६१०

आधे घण्टे की चर्चा—

विलियर्स कोयला खान ७६१०—१४

दैनिक संक्षेपिका ७६१५—२१

अंक ६५—शनिवार, ६ मई, १६५६/१६ बैशाख, १८८१ (शक)

डा० केशवलाल विट्ठलदास ठक्कर का निधन ७६२३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ७६२३-२४

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश ७६२४

राज्य सभा से सन्देश ७६२४—२६, ७६७८

पृष्ठ

लोक लेखा समिति—

अठारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर प्रदेश में चीनी के मूल्य में असाधारण वृद्धि. . . ७६२६—२६

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के विस्तार के बारे में वक्तव्य ७६२६

विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के बारे में . . . ७६३०

संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ७६३०, ७६३१—७१

केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) नियमों के बारे में प्रस्ताव. ७६७१—७८

दैनिक संक्षेपिका ७६७६-८०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा है।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, ५ मई, १९५९

१५ वैशाख, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सामुद्रिक विधि सम्बन्धी अभिसमय[1]

+

†*२२१५. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या प्रधान मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जेनेवा के सम्मेलन में जो सामुद्रिक-विधि सम्बन्धी अभिसमय तैयार किये गये थे उन्हें अन्तिम रूप प्रदान करने का प्रश्न इस समय किस अवस्था में है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जेनेवा में १९५८ में जो चार अभिसमय तैयार किये गये थे उन में से तीन पूरे हो गये हैं और सरकार उन के प्रभावों पर व्यौरेवार ढंग से विचार कर रही है। इधर, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने समुद्री राज्यक्षेत्र की चौड़ाई और अन्य निकट संबंधित समस्याओं पर विचार के लिये १९६० के मार्च या अप्रैल में जेनेवा में एक और सम्मेलन बुलाया है। समुद्री राज्य-क्षेत्र और संस्पर्शी जोन सम्बन्धी अभिसमय को इसी प्रश्न पर सहमति न होने के कारण १९५८ में पूरा नहीं किया जा सका था।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : चारों विचाराधीन अभिसमयों का ब्यौरा क्या है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ये चारों अभिसमय हैं : कन्वेन्शन ऑन दि टेरिटोरियल सी एण्ड कॉन्टीगुअस ज़ोन, कन्वेन्शन ऑन दि हाई सीज़, कन्वेन्शन ऑन फ़िशिंग एण्ड कन्ज़रवेशन आफ दि लिविंग रिसोर्सेज़ ऑन दि हाई सीज़ और कन्वेन्शन ऑन दि कान्टिनेन्टल शेल्फ़।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Conventions on the Law of the Sea.

119 (Ai) LSD.—1.

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** समुद्री राज्य-क्षेत्र की चौड़ाई के बारे में इस शिष्टमंडल के क्या विचार हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उस के बारे में मतभेद है। अगले सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया जायेगा उन में एक यह भी हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** समुद्री राज्य-क्षेत्र के बीच समुद्र में मछली मारने के अधिकारों के बारे में भारत सरकार का क्या रुख था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हम ने समुद्री राज्य क्षेत्र के लिये ६ मील और अतिरिक्त ६ मीलों में मछली मारने के अधिकारों की मांग की है।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ है कि जापानी मछली पकड़ने वाले पोत उस से भी कम दूरी तक आ कर वेज बैंक[1] में कार्य कर रहे हैं। जापानी नौकायें वैज बैंक में, जिस का हम ने उपयोग नहीं किया है, कार्य कर रही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कितनी दूर तक आती हैं ?

†**श्री वें० प० नायर :** कुछ क्षेत्रों में यह फासला तट से लगभग १० मील का है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** समुद्र विषयक विधियों के इतने सारे निर्वचन होने के कारण ही एक सम्मेलन हुआ था ताकि उस का कोई एक सा आधार ढूंढा जा सके। जिन तीन कन्वैन्शनों के बारे में मोटे तौर पर सहमति हो गई है उन पर हमारे कहने से ही चर्चा की गई थी और संभवतः उन के अनुसार काम भी किया जायेगा। चौथा कन्वैन्शन और भी कठिन और नाजुक प्रश्न—बाह्य समुद्र—से सम्बन्धित है जिस के बारे में बड़ा मतभेद है। हमें आशा है कि अगली बार कुछ समझौता हो सकेगा।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि जापानी नौकायें अरब सागर में और अन्य स्थानों पर जाती हैं। उन को विहित सीमाओं से बाहर जाने का अधिकार है। वे इन सीमाओं के भीतर जाती हैं या नहीं यह एक ऐसा मसला है जिस की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी।

†**श्री तंगामणि :** जिन तीन अभिसमयों को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है क्या हमारी सरकार ने उन का अनुसमर्थन कर दिया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं। वास्तव में हम ने तो इन पर हस्ताक्षर तक नहीं किये हैं।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तानी नौकायें उड़ीसा के तट तक आ कर मछली पकड़ती हैं और क्या इस प्रकार के अतिक्रमणों की ओर सरकार का ध्यान गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह एक ऐसा मसला है जिस के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

हथकरघे का कपड़ा

†२२१६. **श्री वें० प० नायर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यदि हथकरघा उत्पादकों को उचित ढंग से कैलेंडरिंग[2] और प्री-श्रृंकिंग[3] कर लिया जाय तो उन का और भी अधिक निर्यात संभव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wadge Bank.

[2]Calendering.

[3]Pre-shrunk.

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: जी हां। मैं तो यह कहूंगा कि और भी अधिक निर्यात की आशा की जा सकती है।

†**श्री वें० प० नायर** : इस व्यवसाय के जिन प्रतिनिधियों ने हाल ही में योरप का दौरा किया था क्या उन्होंने सरकार को यह खबर दी है कि यदि हर हथकरघे के कपड़ों का केलेंडरिंग और प्री-श्रृंकिंग कर दिया जाय तो इन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की बड़ी संभावनायें हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हमें बताया यह गया है कि कैलेंडरिंग और फ़िनिशिंग से इनकी खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। जहां तक प्री-श्रृंकिंग का प्रश्न है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को मालूम है कि योरप भर में पूर्व प्री-श्रृंक सूती कपड़े की मांग सामान्य कपड़े की मांग से अधिक है ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक मुझे पता है जो कपड़ा प्री-श्रृंक नहीं है उसका परिमाण अधिक है।

†**श्री वें० प० नायर** : यह सच है पर हथकरघे के वस्त्र के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा हैंडलूम के उत्पादन में कैलेंडरिंग और फ़िनिशिंग करने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कानूनगो : १९५७-५८ में फ़िनिशिंग प्लान्ट लगाने के लिये नौ लाख रुपये से ज्यादा मन्जूर किया गया है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या मिल के कपड़े की तरह हथकरघे के कपड़े का प्री-श्रृंकिंग करा लेने की सरकार की कोई योजना है और क्या सरकार की ऐसे छोटे कारखानों को सहायता देने की कोई योजना है जो हथकरघे का कपड़ा तैयार करते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : फ़िनिशिंग आदि के इस सारे काम के लिये हथकरघा बोर्ड की एक योजना है। प्री-श्रृंक प्लांट के बारे में तो अभी तक कोई योजना नहीं है।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या कैलेंडरिंग और फ़िनिशिंग आदि से सम्बन्धित कार्यवाही में हथकरघे के ऐसे कपड़ों को भी मौका दिया जायगा जो सहकारी समितियों द्वारा तैयार नहीं किया जाता ?

†**श्री कानूनगो** : सामान्यतया प्री-श्रृंकिंग का तो अभी तक कहीं भी प्रयास नहीं किया गया है। जहां तक फ़िनिशिंग आदि सब बातों का सम्बन्ध है, बिक्री करने वाली समितियां सम्बन्धित संस्थापनों की सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।

†**श्री दामानी** : क्या यह सच है कि कोई जर्मन विशेषज्ञ ऐसे डिज़ायनों के बारे में राय देने, जो पश्चिम जर्मनी में लोकप्रिय हो सकते हैं, भारत आया था ? इसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है और क्या उनकी सलाह के फलस्वरूप पश्चिम जर्मनी को होने वाले निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तो निर्यात नहीं बढ़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला-खान बोनस योजना

+
*२२१८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित **प्रश्न संख्या ११८३** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला-खान मज़दूरों को बोनस के प्रश्न पर इस बीच पुनर्विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इस सम्बन्ध में कोयला खान मज़दूरों की गैर-हाजरी की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेज़ी में भी पढ़ा गया]

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या झरिया कोल-फील्ड में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ?

†**श्री आबिद अली** : यह प्रायः सभी कोयला क्षेत्रों में किया जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस योजना के अधीन पिछले वर्ष और इस वर्ष श्रमिकों को कुल कितना बोनस दिया जाना है ?

†**श्री आबिद अली** : १९५६-५७ में प्रत्येक तिमाही में श्रमिकों को बांटे गये बोनस की कुल राशि ५१,३०,७३० रुपये और १९५७-५८ में ६२,९७,९५८ रुपये थी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह सर्वेक्षण कौन कर रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : श्रम ब्यूरो के डायरेक्टर।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या माननीय मंत्री जी जांच के अन्दर यह भी जांच करेंगे कि जो वरकर छुट्टी चाहते हैं उन्हें छुट्टी न देकर मजबूरन गैर-हाजिर बनाया जाता है ?

श्री आबिद अली : इस पर ख्याल किया जायेगा।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली साल जो बोनस दिया गया और इस साल जो बोनस दे रहे हैं उसमें कितने परसेंटेज का फर्क है ?

श्री आबिद अली : जो सन् १९५६ में दिया गया था वह मैं ने अर्ज किया और जो सन् १९५७ में दिया गया था वह भी अर्ज किया। इस साल के आंकड़े अभी तक नहीं आये हैं।

श्री अ० मु० तारिक : जो १९५६-५७ और १९५७-५८ में दिया गया है उसमें परसेंटेज का क्या फर्क है ?

श्री आबिद अली : सन् १९५६-५७ में दिया गया ५१ लाख ३० हजार और सन् १९५७-५८ में दिया गया ६२ लाख ९७ हजार।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह कार्य श्रम ब्यूरो के डाइरेक्टर को क्यों सौंपा गया है, क्योंकि कोयला खानों से सम्बन्धित मसले तो आम तौर पर खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा निबटाये जाते हैं यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**श्री आबिद अली** : इस प्रकार का सर्वेक्षण आमतौर पर इसी संगठन की मार्फत कराया जाता है । हमें आशा है कि यह सर्वेक्षण पांच या छः महीने की अवधि में पूरा हो जायगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पिछली बार जब प्रश्न पूछा गया था तो हमें बताया गया था कि सर्वेक्षण में चार-पांच महीने लग जायेंगे । अब फिर हम से कहा जा रहा है कि इस में चार-पांच महीने लगेंगे । इस विलम्ब का कारण क्या है ?

†**श्री आबिद अली** : यह मार्च में शुरू हुआ है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : १६ दिसम्बर को पिछले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह पूछने पर कि यह सर्वेक्षण उपस्थिति बोनस के सम्बन्ध में है या मासिक बोनस के बारे में यह कहा था कि इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये । क्या अब वे उस बात का उत्तर दे सकते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : इस सर्वेक्षण का तो प्रयोजन ही यह है ।

†**श्री तंगामणि** : मजूरी सम्बन्धी अध्ययन दल ने यह सांख्यकीय सर्वेक्षण करने का निदेश दिया था और झरिया को नमूने स्थान के रूप में मान लिया गया । यह कार्य अक्तूबर, १६५८ के आरम्भ में ही हो गया था । क्या यह सर्वेक्षण पूरा हो गया है या नियमित हाजरी के आधार पर बोनस निश्चित कर देने के प्रयोजन से अन्य कोयला क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का सर्वेक्षण किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : यह सर्वेक्षण मजूरी सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा गत सितम्बर में दिये गये निदेशों के अनुसार किया जा रहा है । सर्वेक्षण उसके पश्चात् मार्च में आरम्भ किया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि बिहार-बंगाल की कोयला-खानों के श्रमिकों को, जो भारत के कुल श्रमिकों के ८० प्रतिशत हैं, तिमाही बोनस नहीं मिलता, और यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य में शीघ्रता कराने वाली है ?

†**श्री आबिद अली** : निश्चय ही इस में शीघ्रता की जायेगी । यह विदित ही है कि यह बोनस उपस्थिति-बोनस के रूप में ऐसे प्रत्येक श्रमिक को दिया जाता है जो इसे पाने का अधिकारी होता है । यदि वह निर्धारित संख्या के बराबर दिनों तक उपस्थित रहा है तो यह बोनस पाने का अधिकारी हो जाता है और उसे बोनस मिलता भी है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सर्वेक्षण अन्य कोयला खानों में भी किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, प्रायः सभी कोयला-खानों में ।

पालदार जहाज़ों[1] से आयात के लिये रियायतें

†*२२१६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं के, जिनका पालदार जलयानों द्वारा बिना लाइसेंस लिये कुछ विशिष्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sailing Vessels.

देशों से आयात किया जा सकता था, आयात सम्बन्धी रियायतें दिसम्बर, १९५८ के बाद भी बढ़ा दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) १९५८-५९ में कुल कितने माल का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) इन रियायतों की अवधि मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों से, जो हमारी कुछ निर्यात-वस्तुओं के अच्छे खरीदार हैं, हमारे परम्परागत व्यापारिक मार्गों को खुला रखने के लिये बढ़ायी गयी है ।

(ग) इस व्यवस्था के अधीन आयात किये गये माल के परिमाण सम्बन्धी आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, १९५८-५९ (अप्रैल—दिसम्बर) में आयात किये गये माल के मूल्य का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १३]**

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : आयात की गयी वस्तुओं के लिये किस प्रकार की रियायतें दी गयी हैं ?

†**श्री कानूनगो** : कोई रियायत नहीं की गयी है । केवल फारस की खाड़ी के निकटवर्ती कुछ स्थानों से कुछ वस्तुओं को पालदार जलयानों में लाने की अनुमति दे दी गयी है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या उन्हें आयात लाइसेंस मिल जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : उनको आयात लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिमाण सम्बन्धी सीमायें हैं ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि अप्रैल से दिसम्बर, १९५८ तक आयात किये गये माल की कुल कीमत १.१२ करोड़ रुपये है । इस वर्ष की इसी अवधि में कितने मूल्य का आयात हुआ है और क्या इस रियायत के फलस्वरूप आयात बढ़ा है ?

†**श्री कानूनगो** : ठीक-ठीक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं; लेकिन यह बढ़ा नहीं है । यह ज्यादातर सीमित ही रहा है ।

उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग

†*२२२०. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिले के सखीगोपाल स्थान और गंजम जिले के गोपालपुर स्थान में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने योजना का प्रविधिक अनुमोदन कर दिया है ।

†**श्री पाणिग्रही** : उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये ऐसे कितने प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र मंजूर किये गये हैं और उनमें से कितने स्थापित कर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : दो मंजूर किये गये हैं और इन में लगभग ८० लड़के प्रशिक्षण पा सकेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है और योजना के आगामी दो वर्षों में और कितनी सहायता दी जाने वाली है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सूची जरा लम्बी है । १९५६-५७ में यह ११,६२५ रुपये थी; १९५७-५८ में १२,३०० रुपये थी । १९५८-५९ में यह लगभग १९,००० रुपये होगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या राज्य-सरकार भी इतना ही अंशदान करती रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, कुछ मशीनों का आधा-आधा दाम दिया है । कुछ मशीनें सीधे केन्द्र के अनुदान के रूप में हैं ।

जाली पासपोर्ट

†*२२२१. **श्री नागी रेड्डी** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन् :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री पबलकर :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **प्रधान मंत्री** १० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली पासपोर्टों सम्बन्धी जांच इस बीच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जांच पूरी हो गयी है और अदालत में इसका मुकदमा चल रहा है लेकिन, स्पष्ट ही है, कि जांच के परिणामों के सम्बन्ध में ब्यौरेवार जानकारी इस अवस्था में नहीं दी जा सकती ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि जाली पासपोर्टों वाले कुछ लोग एयर फ्रांस तथा एयर स्विस जैसी कुछ विदेशी कम्पनियों की मार्फत रुपया भारत से बाहरी देशों में भेज रहे हैं ताकि बाहर जाने पर वह रुपया उनको मिल जाय ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पिछले एक अवसर पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : पिछली बार हम से कहा गया था कि जांच की जा रही है । इस उत्तर से हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानते हैं कि हो सकता है कि जांच आरम्भ करने से पहले वह कुछ भी बता सकने की स्थिति में न हों। लेकिन यदि कुछ जानकारी मिलने पर उसके बाद अदालत में मुकदमा चलाया जाय तो यह मामला न्यायाधीन हो जाता है। इसलिये इन प्रश्नों को पूछने से कोई फायदा नहीं है।

†**श्री नागी रेड्डी** : अखबारों में यह बात प्रकाशित भी हो चुकी है कि बम्बई की अदालत में अभियुक्तों में से एक ने यह बताया है कि एयर फ्रांस और एयर स्विस की मार्फत वह लोग इस देश से रुपया बाहर के देशों में भेजते रहे हैं। ताकि जब ये वहां जायं तो यह रुपया इन्हें मिल सके। इसीलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो खबर अखबारों में छप चुकी है और अदालत में प्रकट की जा चुकी है उसके आधार पर जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब भी कोई मामला अदालत के समक्ष होता है, अभियुक्त, वादी पक्ष या गवाह सभी अदालत में कुछ भी वक्तव्य देने को स्वतंत्र रहते हैं। अन्य कोई भी, जिसमें संसद् भी शामिल है, उस मामले में कुछ नहीं कह सकता। जहां तक उस मामले का सम्बन्ध है, मैं उसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा आपने फर्माया, इस सवाल के कई पहलू हैं। अब क्योंकि माननीय सदस्य ने इस पहलू की ओर ध्यान दिलाया है, हम उसकी जांच करेंगे।

श्री नागी रेड्डी : जांच के आधार पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, क्या जांच पूरी हो गयी है और क्या अदालत में मुकदमा शुरू कर दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इस बात की जांच का वादा कर दिया है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह मामला चीफ़ कमिश्नर की व्यक्तिगत अभिरक्षा मे है और जांच के फलस्वरूप हमारे पास जो भी जानकारी हो उसे प्रगट नहीं किया जा सकता।

†**श्री तंगामणि** : कितने राजपत्रित अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। अब क्योंकि आपने फर्माया है मैं खुद इसके बारे में पूछताछ कर जो भी जानकारी मिली उसे सभा के सामने रख दूंगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : पिछली बार प्रधान मंत्री ने हमें बताया था :

"विभिन्न कारणों से, पंजाब में यह एक उद्योग हो गया है।"

उन्होंने हमें सिर्फ एक ही वजह बताई थी। क्या वह हमें अन्य वजहें भी बतायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अन्य कारण संभवतः यही होंगे कि विभिन्न अनुचित तरीकों से पैसा पैदा किया जाय।

†**श्री हेम बरुआ**: इस प्रश्न के उत्तर में कि कुछ विदेशी विमान कम्पनियां जाली पासपोर्टों के इस व्यवसाय में भाग ले रही हैं, प्रधान मंत्री ने कहा था :

"जांच हो रही है और उनका कहना है कि जांच प्रगति पर है। हम उन से इसके लिये अपूर्ण भाग के लिये अपूर्ण जानकारी देने के लिये नहीं कह सकते।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अब जब जांच पूरी हो चुकी है तो क्या प्रधान मंत्री हमें यह बतायेंगे कि क्या ये विदेशी विमान कम्पनियां जाली पासपोर्टों के अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि इस बात को इस मामले की सामान्य गवाही से पृथक किया जा सकता है या नहीं । मैंने कुछ जानकारी के आधार पर विदेशी विमान कम्पनियों के विषय में कोई बात कही थी—वह सबूत पर निर्भर होगी । इसके लिये जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस मामले में जांच के फलस्वरूप जिन खामियों का पता चला है क्या सरकार ने उन खामियों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है ताकि भविष्य में जाली पासपोर्टों के इस व्यवसाय को रोका जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां । सरकार ने कई कार्यवाहियां की हैं । मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि प्रत्येक खामी दूर कर दी गयी है । लेकिन मेरा ख्याल है कि कार्यवाही कर दी गयी है । वास्तव में यह शिकायतें आयी हैं कि पासपोर्ट प्राप्त करना कठिन हो गया है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या इस मामले से सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ़ कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसे मामलों से सम्बन्धित अफसरों पर तो फौजदारी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिये । यह विभागीय कार्यवाही वाली बात थोड़े ही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री ने पिछली बार एक बार कहा था :

> "बहुधा ये व्यक्ति समूचा विमान ही किराये पर ले लेते हैं, अर्थात्, जो दल, संस्थायें या कम्पनियां विमान को किराये पर लेती हैं वे उन व्यक्तियों को, जो वहां काम की तलाश में अथवा ब्रिटेन अथवा अन्य किसी जगह काम के लिये जाते हैं और जिनको ये जाली पारपत्र मिल जाते हैं, विमान की सीटें बेच दी जाती हैं ।"

क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि विमान किराये पर लेने वाले व्यक्तियों को जाली पासपोर्ट कैसे किराये पर मिल जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई भी व्यक्ति या निगम विमान किराये पर ले सकता है । यदि वे रुपया दें तो वे एयर इंडिया का विमान भी किराये पर ले सकते हैं । कम्पनी का यह काम नहीं है कि वह विमान को किराये पर लेने वाले व्यक्ति के पूर्व-इतिहास का पता लगाती फिरे ।

†**श्री हेम बरुआ** : लेकिन प्रधान मंत्री ने यह मान लिया था कि लोग जाली पासपोर्टों से जाते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्हें जाली पासपोर्ट कैसे उपलब्ध हो जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो लोग बाहर जाते हैं उनमें से बहुतों के पास असली पासपोर्ट होते हैं, बहुतों के पास जाली पासपोर्ट होते हैं । मैंने सुना है उनकी बड़ी मांग है । लोग ब्रिटेन जाना चाहते हैं क्योंकि वहां काम पाना आसान है और मजूरी ज्यादा मिलती है । जब लोग जाना चाहते हैं तो वे साधारण पासपोर्ट लेने को तैयार रहते हैं । जब हमने सामान्य पासपोर्ट देने में कठिनाइयां पैदा कर दीं—क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस प्रकार के लोग बड़ी संख्या में वहां जायें—वे कुछ दिन वहां काम करते और जब काम नहीं मिलता तो लौट आते सामाजिक समस्यायें उठ खड़ी हुईं । उनको वहां की भाषा नहीं आती थी—इसी तरह की तमाम बातें थीं । इसलिये हम ने इसे

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रोत्साहन नहीं दिया। इसलिये जब हम ने आसानी से सामान्य पासपोर्ट नहीं दिये तो जाली पासपोर्टों का यह धंधा शुरू हो गया। हम तो पासपोर्ट देते नहीं थे और लोग जाली पासपोर्टों के लिये बड़ी-बड़ी रकमें देने को तैयार थे। लेकिन किराये पर विमान लेने वाली कम्पनी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ भी हो, मुझे यह तो पता नहीं कि कुछ अफसर इस में शामिल थे या नहीं, पर कम्पनी से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है।

केमिकल प्लांट के लिय पश्चिमी जर्मनी का सहयोग

+

†*२२२२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से भारत में एक केमिकल प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित संयंत्र के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गयी है;

(ग) क्या बातचीत के आधार पर किसी संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो संविदा की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बातचीत चल रही है।

†**श्रीसुबोध हंसदा** : क्या इस संयंत्र के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी नहीं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : संयंत्र की क्षमता कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रति वर्ष ८ करोड़ रुपये से लेकर ९ करोड़ रुपये तक के मूल्य के लगभग ६१ बेसिक इंटरमीडियेट्स बनायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं समझता हूं कि इस के वास्ते यू० पी० अच्छी साइट होगी।

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय मेम्बर की इच्छा को समझता हूं, लेकिन यह सब तो टैक्निकल कमेटी तय करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : इस कम्पनी के निर्माण में कुल कितना खर्चा पड़ेगा और जर्मनी से कितना आयेगा और हमारी सरकार कितना लगायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें करीब १२ करोड़ रुपये का खर्चा होगा। उस में से ६ करोड़ की मशीनरी वगैरह बाहर के डिजाइन पर हमारा इरादा हिन्दुस्तान में बनाने का है और बाकी का हिस्सा जर्मनी और और मुल्कों से आयेगा और उस में भी हमारी कोशिश है कि जितनी हमारे यहां फैब्रीकेट हो सके, उतनी की जाये।

†**श्री सुबोध हंसदा:** क्या केमिकल संयंत्र के लिये किसी और विदेश से भी कहा गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सदन को ज्ञात है, हम कई देशों के साथ बात चीत कर रहे थे और अन्त में यह कार्यक्रम मंजूर किया गया।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस पर विदेशी मुद्रा कितनी खर्च होगी ? उत्पादन आरम्भ होने पर कितनी विदेशी मुद्रा बचाई जावेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह**: निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कुल विदेशी मुद्रा लगभग ५.५ करोड़ रुपये होगी और बचत ६ से ६ करोड़ रुपये तक होगी।

फ्लैश लाइट बनाने का कारखाना

†*२२२३. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में एक फ्लैश लाइट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस सार्थ ने स्थापित किया है; और

(ग) कारखाने की क्षमता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) मेसर्स एवरेडी फ्लैश-लाइट कम्पनी, लखनऊ।

(ग) प्रति वर्ष ६० लाख फ्लैश-लाइट केस।

†**श्री नागी रेड्डी** : यह कारखाना देशी पूंजी से स्थापित किया जा रहा है या किसी विदेशी पूंजी के सहयोग से ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह विशेष समवाय तो विदेशी-स्वामित्व वाला समवाय है। परन्तु ४ अन्य भारतीय स्वामित्व वाले समवाय भी इस प्रकार की फ्लैश-लाइट का निर्माण कर रहे हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** : चार अन्य भारतीय-स्वामित्व वाले समवायों की तुलना में इस समवाय की उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : देश में कुल उत्पादन क्षमता ८५ लाख है जिस में से इस समवाय का दावा दो-तिहाई का है।

†**श्री वें० प० नायर** : फ्लैश-लाइट बल्बों के बारे में . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : बल्ब नहीं ।

†**श्री वें० प० नायर** :. . .क्या मैं कुल आयात के बारे में जान सकता हूं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक आयात का सम्बन्ध है, कुछ विशेष प्रकार के बल्बों को छोड़ कर उन पर आजकल पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । वास्तव में, इन्हीं टार्चों का हम निर्यात कर रहे हैं । पिछले वर्ष हमने लगभग ४३ लाख रुपये के मूल्य के फ्लैश लाइट टार्चों का निर्यात किया ।

उत्तर प्रदेश में अल्यूमीनियम का कारखाना

*२२२४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७५ के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अल्यूमीनियम का कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रारम्भिक प्रविधिक रिपोर्ट की क्या इस बीच जांच-पड़ताल पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या इस बीच परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). इस फर्म की विदेशी सहयोगी फर्म मै० कैसर इंजीनियर्स आफ यू० एस० ए० ने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है, जिससे प्रकट होता है कि यह परियोजना स्थापित करना संभव होगा । यह फर्म अब एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जो उत्तर मंत्री महोदय ने इस समय दिया है करीब-करीब वही उत्तर तीन महीने पहले दिया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि डिटेल्ड रिपोर्ट के आने में कितना समय लगेगा और इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह बड़ा प्रोजेक्ट है । हाउस को यह जानकर आनन्द होगा कि इसकी कैपेसिटी दस हजार टन से बढ़ाकर २० हजार टन की जा रही है । यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें कुछ देरी तो लगेगी ही । लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा देरी होने वाली नहीं है । जल्दी ही, थोड़े महीनों में ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह जो अल्यूमीनियम प्लांट लग रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में यही एक मात्र बड़े पैमाने का उद्योग होने वाला है, अतः इस दृष्टिकोण से जब उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिये पूरा सहयोग और सहायता दे रही है तो क्या इस के बारे में शीघ्रता की जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : काफी शीघ्रता हो रही है । यह इतना बड़ा प्लांट है फिर भी इतनी जल्दी से काम हो रहा है । मैं समझता हूं कि इस में तो रिकार्ड जल्दी हो रही है ।

†**श्री दासप्पा** : इस परियोजना को बिजली किस दर पर दी जावेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : दरों पर बात चीत चल रही है, वे अल्युमीनियम उत्पादन की दृष्टि से लाभदायक होंगे ।

†**श्री दासप्पा** : आप बिजली किस प्रकार देंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वही मैं ने बताया है कि अल्युमीनियम के उत्पादन के लिये दर लाभदायक होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय वास्तविक दर बता सकते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने बताया था कि इस विषय पर उत्तर प्रदेश की सरकार और सम्बन्धित पार्टी के बीच बातचीत चल रही थी, परन्तु दर ऐसे होंगे जो कि अल्युमीनियम के उत्पादन के लिये लाभप्रद हों ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मंत्री महोदय का कहना है कि विस्तृत प्रतिवेदन के शीघ्र दिये जाने की संभावना है । क्या मैं जान सकता हूं कि विस्तृत प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात् निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे विचार में यह कारखाना तृतीय योजना के दूसरे वर्ष में तैयार हो जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या बिजली इस दर पर दी जायेगी जिस दर पर यह केरल के अल्युमीनियम कारखाने को दी जाती है या इस से अधिक दर पर ? यदि हां, तो कुल कितनी बिजली दी जावेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत सस्ती जल विद्युत् शक्ति प्राप्त करने में देश में केरल राज्य बहुत भाग्यशाली रहा है । स्पष्ट है कि वह दर किसी नये उद्योग पर लागू नहीं किये जा सकते । परन्तु मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा और मुख्य बात यह होगी कि देश में किसी भी कारखाने में बनाया गया अल्युमीनियम सस्ते मूल्य का हो ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या इस प्लांट को बिजली रेहन्द डैम से दी जायेगी । रेहन्द डैम का प्रोडक्शन बिजली का क्या होगा । उस में से कितना इस प्लांट को दिया जायेगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को कितना दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जो प्रोडक्शन होगा वह तो फायनल में जाकर दो लाख किलोवाट तक होगा उसका अलग अलग बटवारा हो जायेगा । लेकिन इस प्लांट का जहां तक ताल्लुक और बटवारे का हमें पक्का पता नहीं है, इसमें कोई ४५ से ५० हजार किलोवाट बिजली दी जायेगी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, यह जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है इसके सम्बन्ध में एक ओर भारत का बिड़ला प्राइवेट ग्वालियर लिमिटेड और दूसरी ओर अमरीका के मै० कैसर इंजिनियर्स से बातचीत चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इसमें आर्थिक दृष्टि से सहयोग देने में भाग लेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसमें सिर्फ बात ही नहीं हो रही है बल्कि उन को लाइसेंस भी दे दिया गया है । यह प्रोजेक्ट पक्के तौर से आगे बढ़ रहा है । जहां तक भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

की सरकार का ताल्लुक है जो फैसिलिटीज हम अमूमन इंडस्ट्रीज को देते हैं जैसे कि जमीन को एक्वायर करना या पानी की कोई सहूलियत देना और बिजली के लिये इन्तिजाम करना, इसके सिवा और कोई सहायता देने की बात नहीं है ।

जापानी इस्पात मिशन का दौरा

†*२२२५. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक जापानी इस्पात मिशन ने भारत का दौरा किया है;

(ख) क्या इस ने अधिक लौह-अयस्क खरीदने के लिये सरकार को प्रस्ताव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) से (ग). हाल ही में जो जापानी शिष्ट मंडल भारत आया, उसने भारत सरकार को जापानी इस्पात उद्योग का यह विचार बताया कि वे १९६६ से भारत से और विशेष रूप से बैलाडिल्ला क्षेत्र से ४० लाख टन अतिरिक्त लौह-अयस्क आयात करना चाहते हैं । भारत सरकार इस प्रस्ताव का सब पहलुओं से अध्ययन करने को राजी हो गयी है ।

†**श्री दामानी :** यह माल साथ-साथ ही दिया जायेगा या वर्तमान करार के समाप्त हो जाने पर ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस समय दो करार हैं । एक तो पांच वर्ष की अवधि में ७० लाख टन लौह-अयस्क देने के बारे में है जिसके अनुसार संभरण किया जा रहा है । एक दूसरा करार है जिसके अनुसार १९६४ से जापान को २० लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से किरीबुरू खानों से लौह-अयस्क दिया जायेगा । अब १९६६ से बैलाडिल्ला से ४० लाख टन प्रति वर्ष दिये जाने की यह नई मांग है ।

†**श्री वोडयार :** क्या इस शिष्टमण्डल ने भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया और इसने भारत के किन भागों का दौरा किया ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह शिष्ट मण्डल अपने आप आया । जब वे पिछली बार आये थे तब उन्होंने एक 'टी हाउस' उपहार में दिया था। वे इस 'टी हाउस' का उद्घाटन करने के लिये आये थे और उन्होंने अतिरिक्त लौह-अयस्क देने की प्रार्थना की ।

†**श्री च० द० पांडे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले कुछ महीनों में हमारे पास लगभग १० लाख टन कच्चा लोहा फालतू होगा । क्या सरकार लौह-अयस्क की अपेक्षा कच्चे लोहे की बिक्री को प्राथमिकता देगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह प्रश्न इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । परन्तु मेरे विचार में कच्चा लोहा अथवा इस्पात फालतू नहीं होगा । मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यह संभरण से अधिक होगी और अगली योजना में इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री च० द० पांडे : मेरा प्रश्न यह था जब तक हम इस्पात का उत्पादन करेंगे, तब तक हमारे पास लगभग १० लाख टन कच्चा लोहा फालतू होगा।

†श्री सतीश चन्द्र : यदि यह फालतू हुआ तो कच्चे लोहे को निर्यात करने की संभावनाओं की जांच की जायेगी। परन्तु वह किसी भी देश को निर्यात किया जा सकता है। यह प्रश्न जापान की अपने उद्योगों के लिये लौह-अयस्क की मांग के बारे में है।

†श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि यह नागानों शिष्ट मण्डल धातु-कर्मिक कोयला खरीदने को भी सहमत हो गया ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब देश में धातु-कर्मिक कोयले का संभरण सीमित है, सरकार इस पर क्यों विचार कर रही है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस प्रश्न पर इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय विचार कर रहा है। यह स्पष्ट है कि हम धातु-कर्मिक कोयला अधिक मात्रा में नहीं दे सकते।

†श्री पाणिग्रही : १९६० से भारत से ४० लाख टन लौह-अयस्क लेने की इच्छा के अतिरिक्त क्या इस शिष्ट मण्डल ने जापानी सहयोग से भारत में कोई इस्पात मिल स्थापित करने की इच्छा भी व्यक्त की ?

†श्री सतीश चन्द्र : शिष्ट मण्डल हम से लौह-अयस्क खरीदना चाहता था। हमने अभी तक कोई वचन नहीं दिया है। हमने उन्हें बताया कि हम इसकी संभावनाओं पर विचार करेंगे और इस पर वार्ता बाद में की जा सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : वह केवल यह जानना चाहते थे कि क्या इस शिष्ट मण्डल ने अथवा जापान सरकार ने यहां पर एक इस्पात मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव किया है।

†श्री सतीश चन्द्र : जी, नहीं। वे जापान में अपने इस्पात संयंत्रों के लिये लौह-अयस्क खरीदना चाहते हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इस्पात शिष्ट मण्डल ने मध्यवर्ती समय में पत्तन तक एक रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये कोई सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

†श्री सतीश चन्द्र : किरिबुरू क्षेत्र से २० लाख टन लौह-अयस्क देने के लिये हमें लगभग २८० लाख डालरों का ऋण मिला है जिसमें से ८० लाख डालर जापान ने दिये हैं और २०० लाख डालर संयुक्त अमरीका के संयुक्त राष्ट्रपति की एशियाई विकास निधि से प्राप्त हुए हैं। इससे रेलवे लाइन के निर्माण समेत २० लाख टन लौह-अयस्क देने के लिये परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी हो जाये।

†श्री पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जापानी शिष्ट मण्डल ने इस ४० लाख टन लौह-अयस्क में से कुछ उड़ीसा की खानों, अर्थात् सुरिवन्दा खानों, से भी लेने की इच्छा प्रकट की है ?

†श्री सतीश चन्द्र : उन्होंने बैलाडिल्ला के बारे में कहा है परन्तु इस समय समूची परियोजना का अध्ययन किया जा रहा है। जैसा कि मैं ने पहले बताया, व्यौरों पर बातचीत की जानी है। अभी यह तै होना बाकी है कि संभरण कहां से किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इतना लौह-अयस्क निकालने और उसके परिवहन के लिये हमारे पास पूरा सामान है या इस कार्य के लिये हमें कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी ?

†श्री सतीश चन्द्र : इन बातों का अध्ययन किया जा रहा है परन्तु यह स्पष्ट है कि यदि बैलाडिल्ला क्षेत्र को खोला गया तो खान क्षेत्र से विजगापट्टम पत्तन तक और रेलवे लाईनें बिछानी पड़ेंगी और जहाजों में लौह-अयस्क लादने के लिये मैकेनिकल सुविधाओं के साथ अतिरिक्त 'बर्थ' बनानी पड़ेगी ।

†श्री दासप्पा : मंगलौर पत्तन से कितना और किन देशों को निर्यात किया जा रहा है और क्या यह अधिक मात्रा में जापान जा रहा है ?

†श्री सतीश चन्द्र : मंगलौर पत्तन से जापान को जरा भी निर्यात नहीं किया जा रहा है ।

पश्चिमी बंगाल–आसाम–भूटान सड़कें

†*२२२६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल और आसाम से भूटान तक उपागमन मार्ग भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इस कार्य के लिये भारत सरकार कितना अंशदान करेगी ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल से भूटान सीमा तक, अर्थात् जैन्ती-सिन्चुला सड़क पर लगभग ५० लाख रुपये की लागत का अनुमान है ।

आसाम से भूटान सीमा तक, अर्थात्, गरूभासा-हतिसार सड़क पर २० लाख रुपये की लागत का अनुमान है ।

इन सड़कों का निर्माण सम्बन्धित राज्य सरकारों के लोक-निर्माण विभागों द्वारा किया जा रहा है और सारी लागत भारत सरकार देगी ।

†श्री ले० अचौ सिंह : इन सड़कों का निर्माण कब तक पूरा होना है और क्या इस कार्य के बारे में भूटान के प्रधान मंत्री की भारत-यात्रा के समय दोनों प्रधान मंत्रियों में कोई समझौता हुआ था ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): ऐसा कोई करार नहीं है परन्तु इस पर विचार किया गया था । और स्पष्टतः भूटान सरकार की यह इच्छा है कि उनके अपने प्रदेश में एक मिलाने वाली सड़क हो और उस मामले में सम्भवतः हमारे इंजीनियरों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ।

†श्री ले० अचौ सिंह : यह कार्य कब तक पूरा होना है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : तृतीय पंचवर्षीय योजना में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पाणिग्रही : जब प्रधान मंत्री भूटान गये थे तब इस सड़क के निर्माण के बारे में हमारे प्रधान मंत्री और भूटान के प्रधान मंत्री के बीच कुछ वार्ता हुई थी । क्या इस सड़क का निर्माण भूटान में इस वार्ता के बाद किया जा रहा है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, नहीं । इस मामले पर काफी समय से गौर किया जा रहा था । यह भूटान में मेरी बातचीत के फलस्वरूप आरम्भ नहीं हुआ है ; हां, बातचीत के दौरान इसका जिक्र जरूर आया था । भूटान सरकार और महाराजा ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि यह सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जाये । यह कठिन सड़क है । हम इसे अपनी ओर बनाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं और हो सकता है कि सीमा के दूसरी ओर भी यह कार्य शुरु किया जाये । सुझाव यह था कि इसको तृतीय योजना में आरम्भ किया जाये परन्तु संभवत यह कार्य जल्दी शुरू हो जायेगा ।

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि जब भूटान के प्रधान मंत्री महोदय पिछले दिनों भारत आए थे, तब उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में यह बात कही थी कि जिस चाल से ये सड़कें बनाई जा रही हैं, उस से उन्हें बड़ा असन्तोष है, यानी वह उन को जल्दी बनाना चाहते हैं तो क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता की जायेगी और तीसरे प्लान तक इस को नहीं रोका जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने तो यह कहीं पढ़ा नहीं, जो माननीय सदस्य कहते हैं, कि उन्होंने किसी सम्मेलन में कहा ।

श्री भक्त दर्शन : कलकत्ता की प्रेस कांफ्रेस में कहा था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, अगर माननीय सदस्य कहते हैं, तो वही होगा और किसी कद्र मेरी भी राय यही है कि इस को जल्दी करना चाहिए, जहां तक बन पड़े ।

चीनी उद्योग का बागान वर्ग (प्लांटेशन ग्रुप) में सम्मिलित किया जाना

†*२२२७. श्री काशीनाथ पांड : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा क्यूबा, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में गन्ने से चीनी बनाने के उद्योग को बागान वर्ग (प्लांटेशन ग्रुप) में रखा गया है और इसकी बागान समिति में उसको प्रतिनिधित्व दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार द्वारा चीनी उद्योग को बागान वर्ग (प्लांटेशन ग्रुप) में सम्मिलित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) गन्ना बागान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बागानों में कार्य सम्बन्धी समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं और क्यूबा समिति का सदस्य है ।

(ख) और (ग). भारत में गन्ने को बागान फसल नहीं माना जाता है ।

†श्री काशीनाथ पांड : कारण क्या है ? मैंने यह पूछा है कि आप इसे सम्मिलित क्यों नहीं कर रहे हैं जब कि अन्य देशों ने इसे सम्मिलित किया है ?

†श्री आबिद अली : १९३१ में श्रम सम्बन्धी रायल कमीशन ने और १९४६ की श्रम जांच समिति ने भारत में गन्ने को बागान फसल नहीं माना । इस समय हमारे बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत बागान श्रमिक नहीं आते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोजनों और अन्तर्राष्ट्रीय समिति के लिये भारत को गन्ना बागान के सम्बन्ध में भी सम्मिलित किया गया है। परन्तु भारत में बागानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के अन्तर्गत इसको शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि बागानों में कुल उत्पादन का एक बहुत छोटा भाग उत्पन्न होता है। शेष भाग छोटे-छोटे खेतों में ही होता है।

†**श्री रामसिंह भाई वर्मा** : आई० एल० ओ० के अन्दर अलग-अलग उद्योगों की जो कमेटियां हैं, उनमें श्रमिकों और उन उद्योगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय शूगर उद्योग के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व आई० एल० ओ० में कौन सी कमेटी के द्वारा होता है।

श्री आबिद अली : आई० एन० टी० यू० सी० जिनकी सिफारिश करती है, वही लोग इस कमेटी में लिये जाते हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : नहीं श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि आपने शूगर इंडस्ट्री को किस उद्योग के साथ जोड़ा है कि जिसमें आई० एन० टी० यू० सी० या कोई भी संस्था अपना प्रतिनिधित्व कर सके।

श्री आबिद अली : सामान्य।

श्री काशीनाथ पांडे : यह सामान्य बात है। प्रत्येक उद्योग को, जैसे धातु, कपड़ा और अन्य, किसी न किसी समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, परन्तु इन समितियों में चीनी उद्योग के लिये कोई स्थान नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस चीनी उद्योग को भी किसी समिति में लागू करने पर विचार करेंगे अथवा चीनी श्रमिकों को पृथक प्रतिनिधान देंगे ?

श्री आबिद अली : जो संस्थायें आई० एल० ओ० की कमेटीज़ और कांफरेंसिज़ के लिये अपने प्रतिनिधि की सिफारिश करती हैं, यह तो उन पर छोड़ देना चाहिये।

पाकिस्तानी व्यापार दल का दौरा

†*२२२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत के साथ व्यापार का निश्चय करने के लिये निकट भविष्य में एक पाकिस्तानी व्यापार दल (ट्रेड टीम) भारत आ रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में यह इच्छा प्रकट की है २३ अप्रैल, १६५६ को एक व्यापार पुनर्विलोकन सम्मेलन किया जाये। क्योंकि समय बहुत थोड़ा था अतः हमने उनको यह परामर्श दिया कि कोई और उपयुक्त तिथि बाद में बता दी जाये।

श्री रघुनाथ सिंह : यहां से जो सजेस्शन दिया गया था, क्या पाकिस्तान की ओर से उसका उत्तर आया है कि यह मीटिंग कब होगी ?

श्री सतीश चन्द्र : उनके यहां से अभी अप्रैल के महीने में चिट्ठी आई। यह कांफ्रेंस पिछले वर्ष होनी चाहिये थी, लेकिन वह अभी तक हुई नहीं। उनकी तरफ से कुछ न कुछ देर होती रही। अब अप्रैल के महीने में उन्होंने लिखा कि २३ अप्रैल को यह कांफ्रेंस वह करना चाहते हैं। हमने कहा कि यह बहुत शार्ट नोटिस है, हम कोई दूसरी तारीख लिखेंगे, जो कि इसके लिये मुकर्रर की ही जायेगी। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या दूसरी तारीख निश्चित हो गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जी, अभी नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान व्यापार का सामान्य छः मासिक पुनरावलोकन पिछले सत्तरह महीनों से नहीं हुआ है और इस व्यापार के शीघ्र पुनरावलोकन के लिये पाकिस्तान को की गई हमारी सब प्रार्थनाओं को पाकिस्तान द्वारा बुरा माना गया है; यदि हां, तो कितनी बार हमने यह प्रार्थनायें कीं और कितनी बार सम्मेलनों का प्रस्ताव किया गया और सम्मेलन नहीं हुये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** अब तक चाहे जो भी देरी हुई हो, जैसा कि उपमंत्री महोदय ने बताया, इस बार उन्होंने पिछले महीने की २३ तारीख को पुनरावलोकन सम्मेलन का सुझाव दिया था । अतः ऐसा लगता है कि वे मामले पर विचार करने को तैयार हैं । मुझे आशा है कि शीघ्र ही अन्य तारीख निश्चित की जा सकेगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** पहले भी उन्होंने भारत-पाकिस्तान व्यापार का पुनरावलोकन करने के आश्वासन दिये थे । परन्तु ये सम्मेलन नहीं हुये क्योंकि उन्होंने ये करने नहीं चाहे और व्यापार सम्बन्ध बनाये रखने के लिये वे बहुत उत्सुक नहीं हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुझे अधिक आशा है क्योंकि उन्होंने स्वयं ही तारीख बताई थी और मुझे आशा है कि इस बार परिणाम अच्छा होगा ।

स्वांग रेलवे कोयला-खान

†*२२२९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों का उल्लंघन करने के आरोप में स्वांग रेलवे कोयला खान के मैनेजर के आचरण की जांच करने के लिये भारतीय कोयला खान अधिनियम, १९२६ के विनियम ४८ के अधीन जो जांच अदालत नियुक्त की गई थी, क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** जांच न्यायालय यह कार्य क्यों नहीं कर सकी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मुख्यतः दो या तीन कारणों से देरी हुई है । प्रथम तो मैनेजर और सर्वेयर पटना उच्च न्यायालय में गये और उन्होंने न्यायालय की कार्यवाही के विरुद्ध आदेश जारी करवा लिये । उसके बाद पदाधिकारियों का स्थानान्तरण हो गया । हाल ही में एक नया पदाधिकारी आया है और हमें आशा है कि जांच शीघ्र ही पूरी हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : जांच न्यायालय के सदस्य कौन कौन हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : इस समय छोटा नागपुर के आयुक्त, श्री पुरी और श्री ई० डब्ल्यू० हाल उनकी सहायता करेंगे ।

†श्री तंगामणि : नवम्बर, १९५७ में हमें बताया गया था कि यह जांच-न्यायालय जांच कर रहा था । अब सभा-सचिव महोदय का कहना है कि यह शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन देगा । क्या हम जान सकते हैं कि कब तक और कितने समय में यह प्रतिवेदन हमें मिल जायेगा ?

†श्री ल० ना० मिश्र : न्यायालय ने अभी जांच शुरू नहीं की है । हमें विश्वास है कि वे शीघ्रता करेंगे और शीघ्र ही प्रतिवेदन दे देंगे ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस जांच-न्यायालय में दो सदस्य हैं या तीन सदस्य हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : इसमें दो सदस्य हैं ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या कोर्ट आफ़ एन्क्वायरी की टर्म्ज़ आफ़ रेफरेंस में टाइम का कुछ बन्धन रखा गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तान का दावा

\+

†*२२३०. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पूर्वी और पश्चिमी सीमा-क्षेत्रों और कच्छ की खाड़ी में भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तानी दावों के बारे में पाकिस्तानी पदाधिकारियों के हाल के वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) ये वक्तव्य गलत और भ्रामक हैं । इनमें जो दावे किये गये हैं वे अवास्तविक हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत ने पाकिस्तान द्वारा कुछ भारतीय प्रदेशों पर अवैध कब्जा कर लिये जाने के बारे में कोई दावा किया है; और यदि हां, तो क्या ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किसी अन्य भाग में या वे कच्छ की खाड़ी का निर्देश कर रहे हैं ?

†श्री दी० चं० शर्मा : भारत के अन्य भागों में ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तान के अवैध कब्जे में बहुत बड़ा क्षेत्र है; जम्मू तथा काश्मीर राज्य का एक भाग ही उनके कब्जे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कच्छ की खाड़ी के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या सरकारों में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है और कच्छ की खाड़ी के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस पर पत्र-व्यवहार हो रहा है। जहां तक मुझे याद है, हमारे पिछले पत्र का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री हेम बरुआ :** इन बातों को ध्यान में रखते हुये कि रेडक्लिफ़ और बागे समझौते के विरुद्ध पाकिस्तान ने यह कहा है कि तुकेरग्राम पाकिस्तान का है और हमारे प्रदेश पर उनके दावों में भी वृद्धि हो रही है, और कूटनीतिक तरीकों से तुकेरग्राम को वापस लेने के हमारे सब प्रयत्न विफल हुये हैं। क्या सरकार इस मामले को न्याय निर्णयन अथवा मध्यस्थ-निर्णय के लिये किसी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग अथवा निकाय को निर्देशित करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को कोई भी निर्देश दोनों सम्बन्धित पक्षों द्वारा किया जाना होता है। कोई एक पक्ष ऐसा नहीं कर सकता। पिछली बार जब मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिला था, तब मैंने तुकेरग्राम के बारे में नहीं परन्तु गैर-सुलझाये ऐसे दूसरे इलाकों के बारे में जिन पर कोई समझौता नहीं हुआ है—यह सुझाव दिया था कि इन मामलों को मध्यस्थ-निर्णय के लिये निर्देशित किया जाये। उस समय पाकिस्तान सरकार ऐसा करने को राजी नहीं हुई।

†**श्रीमती मंजुला देवी :** इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि पाकिस्तान को और भारतीय इलाकों पर कब्जा करने से रोका जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** सामान्य कार्यवाही की जाती है। अर्थात् यदि कोई अन्दर आता है तो उसे बाहर धकेल दिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका नाम अगले प्रश्न के लिये पुकारा है।

सिक्किम में लाटरियां[1]

†*२२३१. **श्री हेम बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में चलने वाली तथा आयोजित लाटरियों को भारत में भी चलाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सिक्किम में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा आयोजित की जाती हैं या कि स्वयं सिक्किम निवासियों द्वारा; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर "हां" में हो, तो उसके क्या कारण है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सिक्किम की स्वास्थ्य सहायता पूर्त निधि लाटरी को भारत में एक वैध लाटरी के रूप में मान लिया गया है।

(ख) वह लाटरी भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा चलायी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Raffles.

(ग) सिक्किम की स्वास्थ्य सहायता लाटरी को एक वैध प्राधिकृत लाटरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि सिक्किम से हमारे विशेष निकट सम्बन्ध हैं और फिर सिक्किम सरकार इस लाटरी से प्राप्त राशि का अधिकांश भाग भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य, सामाज कल्याण कार्यों तथा अन्य सहायता कार्यों पर खर्च करती है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या भारत सरकार ने इस लाटरी में भाग लेने वाले भारतीय राष्ट्रजनों से यह कहा है कि वे अपनी शिकायतें सिक्किम में भेजा करें, क्योंकि हमारे उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिक्किम पर लागू नहीं होता और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रजनों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं नहीं समझता कि उसमें क्या कठिनाई हो सकती है। सिक्किम में ही शिकायत निवारण में क्या कठिनाई है? छोटे-छोटे मामलों के लिये उच्चतम न्यायालय के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा २६४ क के अनुसार यह लाटरी भारत में वैध नहीं है क्योंकि हमारे कानून सिक्किम में लागू नहीं होते ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि इस काम में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** सरकार को इन सभी कठिनाइयों के सम्बन्ध में ज्ञात है और सरकार ने इस बारे में फैसला करने से पहले इस मामले पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को ज्ञात है कि वे भारतीय राष्ट्रजन, जो इस लाटरी को चला रहा है, भारत में अपने परिवार के पास धन भेज सकता है, और इस प्रकार से आय-कर भी बचा लेता है, और यदि हां, तो सरकार ने उससे आय-कर वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं समझता हूं कि आय-कर का प्रश्न यहाँ उत्पन्न नहीं होता। सिक्किम सरकार इस लाटरी को चलाने के पक्ष में थी क्योंकि वह सरकार इसमें से कुछ राशि अस्पतालों के लिये लेना चाहती थी। उन्होंने मुझ से इस बारे में बातचीत भी की थी। उस समय उनके मार्ग में कठिनाई यह थी कि भारतीय डाक घर के लोगों ने उसका विरोध किया था क्योंकि उनका यह विचार था कि यह लाटरी अवैध है। इसीलिये उस सरकार ने ने मुझ से बातचीत की थी और हमने विचार विमर्श किया था। वैसे, भारत में हमारी सामान्य नीति जैसी भी हो, सिक्किम सरकार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना हमने अच्छा नहीं समझा इसीलिये हमने इस लाटरी को अधिकृत घोषित कर दिया था। आय-कर के सम्बन्ध में मैं कुछ कह नहीं सकता।

ग्राम-जल संभरण

†*२२३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश में ग्राम-जल संभरण की समस्या के सम्बन्ध में विचार किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ग्राम-जल संभरण की व्यवस्था किस आधार पर की गयी है; और

(ग) योजना आयोग ने किस प्रकार की सहायता देने की मंजूरी दी है?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) और (ख). समस्या के सम्बन्ध में अभी तक कोई विस्तृत अध्ययन तो नहीं किया गया है। इस प्रकार का अध्ययन तो राज्यों द्वारा किया जाना चाहिये। राज्य समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अनुमान लगाते हैं। इन अनुमानों के आधार पर ही राज्य योजनाओं में ग्राम-जल संभरण की व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था करते समय वहां के उपलब्ध सामान तथा वित्तीय संसाधनों और प्रविधिक तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) राज्यों को ग्राम्य कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत योजनाओं पर आनेवाली लागत की आधी राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं; शेष आधी राशि राज्य स्वयं अपनी ओर से खर्च करते हैं या ग्रामीणों तथा अन्य स्थानीय निकायों से इकट्ठी करते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि इस बात के होते हुये भी कि ग्राम-जल संभरण के लिये नगर-जल संभरण की तुलना में केवल एक चौथाई राशि निर्धारित की गयी है, फिर भी वह राशि पूर्णरूपेण खर्च नहीं की गयी है? यदि हां, तो कितनी राशि कम खर्च की गयी है और उसके क्या-क्या कारण हैं?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** उसमें इतनी अधिक कमी नहीं रह गयी है। कुल २८ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। १९५९-६० तक १७.९५ करोड़ रुपये खर्च कर दिये जायेंगे अर्थात् इस वर्ष तक कुल ६४ प्रतिशत राशि खर्च कर दी जायेगी। अधिक प्रगति न होने का यह कारण था कि नल के पानी का संभरण कई ग्रामों के लिये इकट्ठा किया जाता है, अलग-अलग गांव के लिये नहीं;

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के ११ वर्षों के बाद भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां ग्रीष्म काल में पानी एक रुपया बाल्टी के हिसाब से मिलता है? क्या माननीय मंत्री का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर आकृष्ट किया गया है; और यदि हां, तो उनकी ओर क्या ध्यान दिया गया है?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सूखे क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी हम स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं और वहां पर जल संभरण करने का हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री बारूपाल : क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह जान सकता हूं कि क्या उनको राजस्थान के सम्बन्ध में यह जानकारी है कि वहां कितने गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी का कोई बन्दोबस्त नहीं है और कितने गांव ऐसे हैं जहां का पानी मवेशी पीते हैं तो मर जाते हैं और आदमी पीते हैं तो उनको पेचिश लग जाती है। ऐसे गांवों के लिए गवर्नमेंट क्या ठोस कदम उठा रही है?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** सदन में जो कुछ कहा जा रहा है, वह सच है। हम अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जल संभरण के प्रश्न को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये। उदाहरणार्थ अब स्थानीय विकास कार्यों में केवल जल संभरण के लिये ही मंजूरी दी जा रही है और तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते

---

†अंग्रेजी में

समय भी हम मुख्य रूप से इसी बात का ध्यान रख रहे हैं कि जहां तक हो सके तृतीय योजना काल की समाप्ति तक ऐसा कोई भी गांव न हो, जहां जल संभरण की व्यवस्था न हो।

†**सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या ग्राम-जल संभरण के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है या सर्वेक्षण-कार्य किया गया है उसकी रिपोर्ट या वह योजना योजना आयोग के पास भेज दी गयी है?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी तक कोई भी सर्वेक्षण-कार्य नहीं किया गया है।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों से यह कहने का विचार रखते हैं कि वे तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के सर्वेक्षण करें।

†**डा० मा० श्री० अणे:** मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बम्बई राज्य में कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां ग्रीष्म काल में पानी बिल्कुल नहीं मिलता। क्या बम्बई राज्य के उन क्षेत्रों को पर्याप्त जल पहुँचाने के लिये नई योजना में कोई व्यवस्था की जा रही है?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का इस नयी योजना से क्या तात्पर्य है। संभवतः वे तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर संकेत कर रहे हैं। माननीय योजना मंत्री ने यह बता दिया है कि तृतीय योजना में हम ग्राम-जल संभरण को सब से अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं और हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि देश में ऐसा कोई भी गांव न हो जहां पानी की कमी हो।

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या सरकार को बम्बई राज्य सरकार की ओर से विदर्भ में पानी की कमी के सम्बन्ध में कोई शिकायत आयी है, और क्या इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया जा रहा है?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से इस समय कुछ नहीं कह सकता। संभव है कि बम्बई सरकार ने जानकारी भेजी हो।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग परिस्थितियां हैं, परन्तु वित्तीय सहायता देने का जो सूत्र तैयार किया गया है, वह इतना कठोर है कि उस से न तो योजना आयोग कोई लाभ उठा सकता है और न ही केन्द्रीय सरकार और इसीलिये यह समस्या और भी उलझ गयी है?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में किसी कारण से जनता की ओर से पूरा अंश दान नहीं दिया जाता, वहां सरकार अनुदान के अतिरिक्त ऋण भी देती है। ऋण ५० प्रतिशत तक दे दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

'कामन वल्थ इन ब्रीफ़'

†*२२३२. { **श्री तंगामणि :** **श्री जगदीश अवस्थी :** }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की महारानी के स्टेशनरी आफिस ने 'कामन वेल्थ इन ब्रीफ' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है ;

(ख) क्या उसमें काश्मीर को भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां । यह पुस्तिका ब्रिटिश सरकार की समुद्र पार सूचना सेवा के एक भाग के रूप में प्रकाशित की गयी है ।

(ख) उस में राष्ट्र मण्डल का एक मानचित्र है जिसमें जम्मू और काश्मीर को भूरी पृष्ठ भूमि में पीले रंग की तिरछी रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है और उसे भारत की सीमा से बाहर दिखाया गया है । मानचित्र में एक टिप्पण भी दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि तिरछी रेखाओं से तात्पर्य है कि काश्मीर के भविष्य के सम्बन्ध में अभी तक फैसला नहीं हुआ है ।

(ग) इस मामले की ओर नइ दिल्ली में स्थित ब्रिटिश राजदूत का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी कि 'कामन वेल्थ इन ब्रीफ' नामक पुस्तिका के भारत में आने की अनुमति न दी जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो एक सुझाव है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं नहीं समझता कि वह पुस्तिका भारत में बांटी जा चुकी है, परन्तु हम निश्चित रूप से इस बारे में कार्यवाही करेंगे कि वह भारत में न बांटी जाये।

श्री अ० मु० तारिक : यह सिर्फ कामन वैल्थ का ही मसला नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जितने एटलस व नक्शे छपते हैं और जितनी इन्फार्मेशन छपती है, उन तमाम में काश्मीर को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुतनाजा इलाका दिखाया जाता है । हकूमते-हिन्द के दफ्तरों में यही नक्शे इस्तेमाल होते हैं । मैं इज्जत-माब वजीर आजम से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कम से कम अपने दफ्तरों में इन नक्शों का इस्तेमाल ममनू करार देगी या नहीं ?

श्री सादत अली खां : हमारे दफ्तरों में ऐसे नक्शे इस्तेमाल नहीं होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य की तकरीर मैं ने सुन ली । और मैं क्या अर्ज करूं ?

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कुछ एक विदेशी बैंकिंग कम्पनियां जैसे कि नेशनल और ग्रिंडलेज कम्पनियां अपने संतुलन पत्रों के साथ एक नक्शा भी छापते हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि काश्मीर भारत का अंग नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि कुछ एक कम्पनिया वैसा करती हों ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

गोदी श्रमिक

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३३.** { **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** **श्री बि० दास गुप्त :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक के पंजीबद्ध मजदूरों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने के सम्बन्ध में कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड के प्रशासन के वर्तमान आदेश के सम्बन्ध में कोई नया निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या श्रम मंत्री का ध्यान कलकत्ते के कुछ एक समाचार पत्रों में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है कि सरकार तथा उन डाक कर्मचारियों के नेताओं तथा प्रवक्ताओं में एक समझौता हुआ है जो कि पंजीबद्ध डाक कर्मचारियों को कोटियों में बांटने के वर्तमान तरीके से सन्तुष्ट नहीं थे, और यदि हां, तो उस समझौते की शर्तें क्या क्या हैं, और उस का वर्तमान तरीके पर क्या असर पड़ा है ?

†**श्री आबिद अली :** उक्त रिपोर्ट बिल्कुल गलत है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या यह सच है कि श्रम मंत्री से कलकत्ता के डाक कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों ने भेंट की थी और वे इस सुझाव से सहमत हो गए थे कि मजदूरों के कार्डों में 'जी' शब्द के स्थान पर 'गैंग' शब्द लिखा जाय, और उस सुझाव को सभी मजदूरों ने ही स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री आबिद अली :** यह सच है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से मुझ से बातचीत की थी, और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि 'जी' शब्द के स्थान पर पूरा 'गैंग' शब्द लिखा जाय, और मैंने यह उत्तर दिया था कि जैसे 'एम० पी०' शब्द से तात्पर्य 'मेम्बर आफ दी पार्लियामेंट' (संसद् सदस्य) होता है, वैसे ही 'गैंग' के लिए 'जी' शब्द बहुत देर से चला आता है । उन्होंने सुझाव तो दिया था किन्तु वह स्वीकार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जब स्वयं गोदी कर्मचारी इस बात पर जोर दे रहे हैं तो पूरा 'गैंग' शब्द लिखने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री आबिद अली :** यह बात मजदूरों को अच्छी प्रकार से समझा दी गई है और इन्होंने इसे समझ भी लिया है इसलिए इस सम्बन्ध में और अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या यह सच नहीं है कि कार्ड में नम्बर देने से पहले 'जी' शब्द से तात्पर्य गैंग मैन है । और टी० सी० से तात्पर्य टेलीक्लर्क है और यह सब कुछ विभिन्न डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से ही किया गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का स्पष्टीकरण कर देगी कि कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

†**श्री आबिद अली :** यह गोदी श्रमिक बोर्ड एक त्रिदलीय संगटन है जिस में सरकार गोदियों के मालिक तथा गोदी मजदूरों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर निर्णय करते हैं परन्तु जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, और कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में श्रम जानकारी सेवा योजना

२२१७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में श्रम जानकारी सेवा योजना को कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रम जानकारी केन्द्र के क्या कार्य होंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). एक श्रम सूचना केन्द्र जिसमें पुस्तकालय और वाचनालय की सुविधा होगी, खोलने का विचार है । इस केन्द्र में श्रम सम्बन्धी विषयों की नवीन सूचना भी मिलेगी ।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*२२३४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का निर्माण कार्य निर्धारित समय तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या भाखड़ा बांध परियोजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले बिजलीघरों के लिये राशि आवण्टित करने में विलम्ब होने से इस फैक्टरी के चालू होने में देर लग जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ भी विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भेषजीय कारखाना[1]

†*२२३५. **श्रीमती मफ़ीदा अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में एक भेषजीय कारखाना स्थापित करने के लिये बैन्गर्ज नामक ब्रिटिश फर्म से बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). उन के आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है।

मौलाना आजाद का मकबरा

†*२२३६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलाना आजाद के मकबरे के आस-पास बाग लगाने की योजना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य पर लगभग कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) निम्नलिखित कार्य पूरे हो चुके हैं :—

(१) स्वच्छ जल सम्भरण तथा जल निस्सारण सम्बन्धी प्रबन्ध।

(२) गन्दे जल का सम्भरण।

(३) द्वार तथा रेलिंग।

(४) मक्बरे के आस-पास तालाब तथा बाग।

(५) क्यारियां तथा वृक्ष।

(६) संगमरमर का प्लेटफार्म।

(ख) १,१७,००० रुपये।

(ग) लगभग चार मास।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Pharmaceutical Plant.

न्यूटन चिकली कोयला खानें

†*२२३७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूटन चिकली कोयला खान के प्रबन्धक के आचरण की जांच करने के लिये, जिसे दिसम्बर, १९५४ में खान में घटित दुर्घटना का उत्तरदायी ठहराया था, नियुक्त किये गये जांच न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) जांच न्यायालय ने मैनेजर को उस आरोप से मुक्त कर दिया है और सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र को रद्द करने की सिफारिश की है । इस सम्बन्ध में आदेश भेज दिये गये हैं ।

निर्माण-व्यय में कमी

†*२२३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या योजना मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण-व्यय में कमी करने के प्रश्न इस समय किस स्थिति में हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : योजना आयोग अभी तक इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है कि निर्माण-व्यय में बचत करने के लिये क्या क्या उपाय अपनाये जायें ।

कोयला खान भविष्य निधि

†*२२३९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि के ट्रस्टी बोर्ड की इस सिफारिश के बारे में कोई निर्णय किया है कि निधि के सदस्यों को १९५९–६० के लिये ४ प्रतिशत का ब्याज दिया जाये;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों को केवल ३.७५ प्रतिशत ब्याज देने के क्या कारण हैं; और

(ग) ३.७५ प्रतिशत ब्याज को ४ प्रतिशत कर देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां। सरकार ३.७५ प्रतिशत की दर को इस लिये मंजूर कर रही है कि इस से अधिक बढ़ाने पर रिजर्व निधि से राशि लेनी पड़ेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५९–६० के वर्ष में सभी सामान्य भविष्य निधियों पर भी इतना ही ब्याज दिया जायेगा ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि से जितनी आय होती है उसकी दृष्टि से भी इस समय हम अधिक ब्याज नहीं दे सकते ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलाई की मशीनों के कारखाने

†३९६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में गैर-सरकारी क्षेत्र मे सिलाई की मशीनों के कारखाने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :

१. बड़े पैमाने के क्षेत्र में इस क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने के लिये दिये गये लाइसेंसों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १४]**

२. छोटे पैमाने के क्षेत्र में १९५८–५९ में ६ कारखानों की स्थापना की अनुमति दी गयी थी जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ५७०० सिलाई मशीनें हैं। उनका राज्यवार व्योरा निम्नलिखित है :—

राज्य	कारखानों की संख्या	वार्षिक क्षमता
		मशीनें
पंजाब	२	२,०००
बम्बई	१	१,०००
जम्मू तथा काश्मीर . . .	२	७००
राजस्थान . . .	१	२,०००
कुल	६	५,७००

पारपत्र

†३९६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने पारपत्र दिये गये थे;

(ख) कितने भारतीय वास्तव में बाहर गये थे; और

(ग) उनके लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय पारपत्र प्राधिकार ने १९५८ में ४०,९७५ पारपत्र जारी किये थे।

(ख) यह जानकारी एकत्र करना संभव नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पारपत्र जारी करने के उपरान्त भी बहुत समय तक उनका उपयोग नहीं करते।

(ग) विदेशी मुद्रा उन लोगों को दी जाती है जिनके पास भारत के रिजर्व बैंक का पारपत्र होता है, परन्तु भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह बताना संभव नहीं है कि उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी। वास्तव में भारतीय पारपत्र धारण करने वालों को मंजूर की गयी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में अलग आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। फिर भी भारत के रिजर्व बैंक

†मूल अंग्रेजी में

के नियन्त्रक से हमें यह ज्ञात हुआ है कि गत वर्ष भारत से बाहिर जाने वाले व्यक्तियों को ५४३ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी थी। इस राशि में भारत में रहने लाले यूरोपीय व्यक्तियों को बाहर जाने पर दी गयी राशि तथा विद्यार्थियों, व्यापारियों और प्रतिनिधि मण्डलों को बाहिर जाने पर दी गयी राशि सम्मिलित है।

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

†३९६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की कितनी बैठकें हुई थीं; और

(ख) उन में मुख्य रूप से क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) एक।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १५]**

हथकरघा उद्योग का विकास

†३९६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में हथकरघा उद्योग के विकास की योजना का ब्योरा क्या है ?**

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : १९५९–६० में हथकरघा उद्योग पर ४७६.७० लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। १९६०–६१ के बारे में अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।**

हथकरघा उद्योग के लिये अनुदान तथा ऋण

†३९६४. **श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में (राज्यवार) हथकरघा उद्योग के विकास के लिये अनुदानों और ऋणों के तौर पर कुल कितनी राशि दी गई है ?**

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६]**

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

†३९६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में विदेशों में हुई कितनी और किन-किन प्रदर्शनियों में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने भाग लिया ?**

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :**

१. योजनन अन्तर्राष्ट्रीय मेला, योजनन (पोलैंड) ८ से २२ जून, १९५८

२. कनाडा की राष्ट्रीय प्रदशनी टौरंटो (कनाडा) २० अगस्त से ६ सितम्बर, १९५८

†मूल अंग्रेजी में

३. काबुल अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (अफगानिस्तान) अगस्त, १६५८

४. सायगौन में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी (दक्षिण वियतनाम) । १८ मार्च से ८ अप्रल, १६५६

अन्य कई विदेशी मेलों और प्रदर्शनियों में भी, जिनमें भारत ने १६५८–५६ में भाग लिया था, हथकरघा वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। इन मेलों/प्रदर्शनियों की सूची भी दी जाती है। इसक अतिरिक्त सरकार ने प्रचार के लिये विभिन्न देशों में जो 'शो रूम' और व्यापार केन्द्र खोल रखे हैं उनमें भी हथकरघा वस्त्र प्रदर्शित किये गये थे ।

(१) वे प्रदर्शनियां/मेले जहां १६५८–५६ में हथकरघा वस्त्र प्रदर्शित किये गये थे :—

प्रदर्शनी/मेले का नाम	अवधि
१. मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली)	१२ से २७ अप्रैल, १६५८
२. पदुआ अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पदुआ (इटली)	३१ मई से १५ जून, १६५८
३. ट्रीस्टी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ट्रीस्टी (इटली)	२३ जून से ७ जुलाई, १६५८
४. कैलिफोर्निया स्टेट फेयर एण्ड एक्सपोजीशन, सैक्रामेंटो, अमरीका।	२७ अगस्त से ७ सितम्बर, १६५८
५. सेंट एरि स फयर स्टाकहोम (स्वीडन) .	३० अगस्त से १४ सितम्बर १६५८ ।
६. जेगरेब अन्तर्राष्ट्रीय मेला जेगरेब (युगोस्लेविया)	६ से २१ सितम्बर, १६५८
७. लीपजिग ऑटम फेयर, लीपजिग (पूर्व जर्मनी)	७ से १४ सितम्बर, १६५८
८. लीवांत फेयर आफ बरी, बरी (इटली) .	७ से २५ सितम्बर, १६५८
६. मसीना सैम्पल्ज फेयर, मसीना (इटली) .	सितम्बर, १६५८
१०. स्टेट फेयर आफ टेक्साज, डललास, (टैक्सज)	४ से १६ अक्तूबर, १६५८
११. लीपजिग स्प्रिग फेयर, लीपजिग (पूर्व जर्मनी)	१ से १० मार्च १६५६
१२. सूडान, खरतूम में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी	मार्च/अप्रैल, १६५८

(२) वे शोरूम और व्यापार केन्द्र जहां हथकरघा वस्त्र प्रदर्शित किये गये :—

१. व्यापार केन्द्र

१. जनेवा (स्विटजरलैंड)

२. न्यूयार्क (अमरीका)

'शोरूम'

३. कोलम्बो (लंका)

४. बेंगकाक (थाइलड)

५. जकार्ता (इंडोनेशिया)

६. तेहरान (ईरान)

७. जेडा (साउदी अरब)

ओविडो

८. पेरिस (फ्रांस)

९. लंडन (ब्रिटेन)

१०. स्टाकहोम (स्वीडन)

शो केस

११. प्राग (चैकोस्लोवेकिया)

१२. बैलग्रेड (युगोस्लेविया)

हथकरघा वस्त्र का निर्यात

†३९९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुब्बय्या अम्बलम : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में विदेशों (देशवार) को कुल कितना हथकरघा वस्त्र निर्यात किया गया ; और

(ख) उस से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १७]

जीवन निर्वाह देशनांक

†३९९७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः मास का जीवन निर्वाह देशनांक क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जानकारी निम्नलिखित है :—

मास/वर्ष	अखिल भारतीय औसत प्रयोक्ता मूल्य देशनांक श्रम जीवी वर्ग (आधार १९४९—१००)	
	सामान्य	खाद्य
अक्तूबर, १९५८	११३	१२७
नवम्बर, १९५८ .	१२२	१२६
दिसम्बर, १९५८ . . .	११९	१२२
जनवरी, १९५९ . . .	११७	११९
फरवरी, १९५९ . . .	११८ (अ)	१२० (अ)
मार्च, १९५९ . .	११७ (अ)	११९ (अ)

(अ)—अन्तर्कालीन

यह जानकारी प्रत्येक मास इंडियन लेबर गजट में प्रकाशित की जाती है ।

पंजाब में निष्क्राम्य इमारतों की नीलामी

†३९९८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में पंजाब में कितनी निष्क्राम्य इमारतों की नीलामी की गई ;

(ख) विक्रय से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) उन निष्क्राम्य इमारतों की संख्या क्या है जिनका कब्जा खरीददारों को दिया जा चुका है ; और

(घ) नीलाम करने वालों को कितनी कमीशन दी गई ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : २६,१६६ ।

(ख) ७,२७,३९,२०३ रुपये ।

(ग) ११,५७२ ।

(घ) २,०४,८१६ रुपये । जनवरी, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक ।

रबड़ की वस्तुओं का निर्यात

†३९९९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में जो रबड़ की वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किया गया उनका कुल मूल्य क्या था ; और

(ख) किन-किन देशों को रबड़ की वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) अप्रैल, १९५८ से जनवरी, १९५९ तक २३.४ लाख रुपये । जनवरी के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) मुख्यत: पाकिस्तान, लंका, कीनिया, नाइजीरिया, कुवैत, अफगानिस्तान, बहरोइन द्वीप, सिंगापुर, अमरीका, मलाया, बर्मा, साउदी अरब, टांगानीका, थाइलैंड, अदन, मौजमबीक, मौरीशियस, ट्रूशिचल, ओमन, न्यासालैंड और फिजी आइलैंड ।

बम्बई राज्य में दर्मायाने दर्जे की औद्योगिक बस्तियां

†३९७०. श्री पांकरकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में दरम्याने दर्जे की औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). भारत सरकार ने द्वितीय योजना काल में बम्बई राज्य में १२ औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की मंजूरी दी है । वे इन स्थानों पर बनाई जायेंगी :—

१. उडना (सूरत)
२. कुर्ला (बम्बई)
३. हडपसार (पूना)
४. भावनगर
५. बड़ोदा
६. गांधीधाम (कांडला)
७. कराड
८. नान्देड़
९. नागपुर
१०. बाप्ती रोड
११. कोल्हापुर
१२. राजकोट

इन में से कुर्ला, भावनगर, बड़ोदा, गांधीधाम और बाप्ती रोड़ की बस्तियां दरम्याने दर्जे की हैं ।

काफी हाउस

†३९७१. श्री दी० चं० शर्मा : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५९ तक काफी बोर्ड के अधीन कितने काफी हाउस बन्द कर दिये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने काफी हाउस भूतपूर्व कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को सौंप दिये गये ; और

(ग) इन काफी हाउसों के बन्द होने से ३१ मार्च, १९५९ तक कितने कर्मचारी छंटनी किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) ३४ काफी हाउस।

(ख) पहले पहल ये काफी हाउस सहकारी संस्थाओं को नहीं सौंपे गये थे परन्तु बाद में काफी बोर्ड ने ये काफी हाउस प्राप्त करके उन्हें चलाने में सहकारी संस्थाओं की सहायता की थी । बोर्ड की सहायता से श्रमिक सहकारी संस्थायें वे आठ स्थान प्राप्त करने में सफल हुई जहां पहले काफी हाउस चल रहे थे । बन्द किये गये काफी हाउसों की सम्पत्ति सहकारी संस्थाओं को इस शर्त पर दे दी गई कि उनका किराया और मूल्य धीरे-धीरे चुका दिया जायेगा । १३ श्रमिक सहकारी संस्थाओं ने इस पेशकश से लाभ उठाया।

(ग) ७०६ (तीसरी श्रेणी—४५ और चतुर्थ श्रेणी—६६१) ।

भारत के नव-निर्माण सम्बन्धी नाटक

†**३९७२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नव-निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये कितनी नाटक मंडलियां काम कर रही हैं;

(ख) उन्होंने १९५८ और १९५९ में मार्च तक कितने नाटक खेल ; और

(ग) उसी अवधि में उन पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संगीत तथा नाटक विभाग के पास ५५ नाटक मंडलियों के नाम दर्ज हैं जिनकी सेवायें वह विभाग प्राप्त करता है और उन्हें योजना के विकास कार्यों के बारे में नाटक खेलने पर कुछ राज सहायता दी जाती है ।

(ख) (१) १-१-५८ से ३१-१२-५८ तक ... ६१३
(२) १-१-५९ से ३१-३-५९ तक . . . ९

(ग) (१) १-१-५८ से ३१-१२-५८ तक लगभग १.५६ लाख रुपये
(२) १-१-५९ से ३१-३-५९ तक लगभग २,५०० रुपये ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्था[1]

†**३९७३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५९ तक राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्था पर कुल कितना आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय हुआ ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Building Organisations.

(ख) उस संस्था में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और वे कौन सी श्रेणी के हैं ?

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क)

	रुपये
आवर्त्तक . . .	१०,०६,६४६
अनावर्त्तक	३,००,५०६

(ख) प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी . .	६
द्वितीय श्रेणी (गजेटिड) के पदाधिकारी .	११
द्वितीय श्रेणी (नान गजेटिड) के पदाधिकारी .	८
तृतीय श्रेणी के कर्मचारी . .	४४
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२३
कुल	९२

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई. दिल्ली

†**३९७४. श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को दिल्ली दुकानें तथा संस्थापन अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत रजिस्टर कराने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी नहीं । क्यों कि यह बात स्पष्ट नहीं थी कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को दिल्ली दुकानें तथा संस्थापन अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत रजिस्टर कराना चाहिये या नहीं इसलिये इस सम्बन्ध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और दिल्ली प्रशासन के बीच पत्र व्यवहार होता रहा । फरवरी, १९५८ में दिल्ली प्रशासन के उद्योग तथा श्रम विभाग ने अपने एक पत्र में भवन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें पूछी थीं जो खादी तथा ग्रामोमोग आयोग ने बता दी हैं । अब प्रशासन के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खंड दर जांच समिति[1]

†३९७५. { **श्री एन्थनी पिल्ले** : / **श्री ले० अचौ सिंह** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीजीभाई खंडदर समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Piece Rate Review Committee.

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : गोदी श्रमिक बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि कलकत्ता में खंड दर योजना लागू करने के खिलाफ हैं। इसके फलस्वरूप अभी योजना पर कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का प्रशासकीय सतर्कता एकक

†३९७६. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के प्रशासकीय सतर्कता एकक द्वारा जारी किये गये परिपत्र की प्रस्तावित पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के प्रशासकीय सतर्कता एकक ने अब तक कुल कितने परिपत्र जारी किये है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) नहीं । गृह-कार्य मंत्रालय एक सतर्कता नियम पुस्तिका प्रकाशित करने का विचार कर रहा है । इसलिये पुस्तक प्रकाशित करने का विचार छोड़ दिया गया है ।

(ख) अभी तक १०५ परिपत्र जारी किये गये हैं ।

सूती वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड

†३९७७. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सूती वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जी हां । अब तक बोर्ड की कुल तीन बैठकें हुई हैं ।

वस्त्र उद्योग के लिये ऋण सुविधायें

†३९७८. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० मांझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र उद्योग के लिये ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने का सरकार ने क्या तरीका अपनाया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इससे उनकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी;

(ग) क्या सभी कपड़ा मिलों ने इसका लाभ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि दी गई है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १८]**

वित्तीय संस्थाओं के प्राक्कलन

†३६७६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** : **श्री अजित सिंह सरहदी** : **सरदार इकबाल सिंह** : }

क्या **योजना** मंत्री ३ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके पश्चात पंजाब सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के शेष वर्षों के लिये जो वित्तीय संसाधनों के प्राक्कलन भेजे थे क्या योजना आयोग ने उनका परीक्षण कर लिया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क). जी हां। योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिये पंजाब सरकार द्वारा भेजे गये वित्तीय संसाधनों के प्राक्कलनों पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ११ और १३ अक्तूबर, १६५८ की चर्चा दी गई थी। इस चर्चा के फलस्वरूप दो वर्षों में प्राक्कलन इस प्रकार तैयार किये गये थे :—

(करोड़ रुपये)

	१६५६-६०	१६६०-६१	दो वर्ष का कुल
१. राजस्व खाते के संसाधन	२.७	१.१	३.८
२. जनता से ऋण	——	३.०	३.०
३. अल्प बचत	५.०	५.०	१०.०
४. अल्पकालीन ऋण और अन्य पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	०.४	०.४	०.८
राज्य के कुल संसाधन	**८.१**	**६.५**	**१७.६**

†मूल अंग्रेजी में

१९५९-६० के लिये राज्य की योजना तैयार करने के सिलसिले में योजना आयोग ने दिसम्बर, १९५८ में राज्य के साथ कई बार चर्चा की। इन चर्चाओं में १९५९-६० के लिये निम्नलिखित प्राक्कलन तैयार किये गये :—

	(करोड़ रुपये)
	१९५०-६०
१. राजस्व खाते के संसाधन	५.०
२. जनता से ऋण	२.०
३. अल्प बचत	६.०
४. अल्पकालीन ऋण और अन्य फुटकर पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	२.०
राज्य के कुल संसाधन	**१५.०**
५. रक्षित निधि में से निकाली गई राशि	१.२
६. रक्षित निधि में से निकाली गई राशि समेत राज्य के कुल संसाधन	**१६.२**

१९६०-६१ के लिये नये सिरे से कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). उपरोक्त चर्चाओं में योजना आयोग और राज्य सरकार ने मिलकर इस बारे में विचार किया कि सुधार शुल्क बढ़ा कर, गैर काश्त के कामों में प्रयोग की जाने वाली कृष्य भूमि का विशेष निर्धारण करके कर की वसूली में सुधार करके और अल्प बचत आन्दोलन को अधिक गहन बना कर अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था की जाये।

लंका में भारतीय

†३९८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री बाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में भारतीयों की सम्पत्ति को पहुंची हानि के लिये प्रतिकर की मांग करने के बारे में उसके पश्चात् कोई निर्णय हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) और (ख). अभी भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है परन्तु जब तक लंका सरकार अपने राष्ट्रजनों को प्रतिकर देने का निर्णय नहीं कर लेती तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती।

कटक में औद्योगिक बस्ती

†**३९८१. श्री पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक की औद्योगिक बस्ती में जो शैड बनाये जाने थे वे सब उसके पश्चात बन गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अब तक सब शैडों के लिये आवंटन किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उन शैडों में कौन-कौन से उद्योग आरम्भ किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी नहीं। बस्ती में जो ६० शैड लगाये जाने थे उनमें से ४५ बनाये गये हैं।

(ख) राज्य सरकार ने सभी तैयार शैड आवंटित कर दिये हैं।

(ग) बस्ती में निम्नलिखित उद्योग स्थापित किये गये हैं :

१. औषधियां बनाना

२. स्टोरेज बैटरियां बनाना

३. रसायन बनाना

४. लकड़ी का काम और फरनीचर बनाना

५. ब्लाक तैयार करना

६. फल परिरक्षण तथा फल उत्पादन तैयार करना

७. विद्युत् करघों द्वारा कपड़े आदि का उत्पादन

८. 'वायर नेल्स' और पैनल पिनों का निर्माण

९. स्टील फेब्रीकेशन

१०. रंग रोगन बनाना

११. पुर्जे जोड़ कर साइकिलें तैयार करना।

वैल्डिंग इलैक्ट्रोड का उत्पादन

†३९८२. **श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेल्डिंग इलैक्ट्रोड के देशीय उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यदि इसके लिये कोई नये लाइसेंस दिये गये तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) वेल्डिंग इलैक्ट्रोड तैयार करने के लिये मुख्यतः किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख): एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १९**]

(ग) वेल्डिंग इलैक्ट्रोड के निर्माण के लिये माइल्ड स्टील कोर वायर, स्टेनलैस स्टील वायर, निकल वायर, हाई कार्बन फैरो मैंगानीज़, लो कार्बन फेरो मैंगानीज़, रुटाइल, वुड फ्लोर, फैरो सिलिकान इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों की भी ज़रूरत पड़ती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मलाया में भारतीय इंजीनियरों की मांग

†३९८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया सरकार ने भारतीय इंजीनियरों की सेवायें मांगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने व्यक्ति मांगे हैं ; और

(ग) हमने इसका क्या उत्तर दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई में हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थायें

†३९८४. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य म रेशम के हथकरघा बुनकरों की कितनी सहकारी संस्थायें हैं ;

(ख) क्या बम्बई राज्य में रेशम करघा बुनकरों की संख्या का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) ३१-१२-१९५८ को संख्या ९ थी ।

(ख) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में रेशम कीट पालन योजनायें

३९८५. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अनुमोदित रेशम कीट पालन योजनाओं के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां जो योजनायें कार्यान्वित की जा चुकी हैं उनका वार्षिक उत्पादन क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २०**]

स्नातक रोज़गार सर्वेक्षण

†३९८६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवनंजप्पा : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्नातक रोज़गार के अखिल भारतीय सर्वेक्षण की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का व्योरा क्या है ; और

(ग) असल सर्वेक्षण कब आरम्भ होगा ?

†श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) अभी स्नातक रोज़गार का एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने का विचार किया गया है परन्तु सर्वेक्षण के ब्योरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

३९८७. श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री १० फरवरी, १९५९ के तारांकित संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९-६० की वार्षिक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पूर्व-ज़िलों और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत दो करोड़ रुपयों की सहायता से जिन योजनाओं को चलाया जायेगा, क्या उनका विवरण इस बीच राज्य सरकार से प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन योजनाओं का ब्योरा और उन में से प्रत्येक पर व्यय होने वाली राशि का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में उपरोक्त क्षेत्रों के विकास के लिये यदि कोई धन राशि स्वीकृत की गई हो, तो वह क्या है ?

योजना उप-मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). स्कीमें अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इसका निर्णय १९६०-६१ की वार्षिक योजना बनाते समय किया जायेगा ।

जुन्नरदेव कोयला खान

†३९८८. श्री अरविन्द घोषाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की लिवरीज़ लिमिटेड के जुन्नरदेव कोयला खान बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किन आधारों पर ?

†श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) कोयला खान ३१ अक्तूबर, १९५८ से प्रबन्धकों ने इस आधार पर बन्द कर दी कि बिना जोखिम के जितना कोयला निकाला जा सकता था वह निकाल लिया गया है ।

कृषि भूमि की अधिकतम सीमा

†३९८९. श्री संगण्णा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि भूस्वामी अपनी-अपनी भूमि को कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानूनों से बचाने के लिये अपने रिस्तेदारों में बांट रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्टें किन राज्यों से मिली हैं ; और

(ग) इस प्रकार की ग़ैर-कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**योजना उप-मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). योजना आयोग इस बात के लिये विचारशील है कि लोग कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने वाले कानून से बचने के लिये भूमि को अवैध रूप से न दे सकें। द्वितीय पंचवर्षिय योजना के अध्याय ९ के पैरा ३९ म इस प्रकार के अवैध अन्तरंणों को रोकने के लिये तथा ऐसे कानून के बनन से पहले किये ऐसे अन्तरणों की जांच करने के लियं सुझाव दिये गये हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति की सितम्बर, १९५७ में हुई बैठक में इस विषय पर और विचार किया गया था और इस प्रकार की विधियों के उल्लंघन से बचने के लिये पर्याप्त उपाय करने की सिफारिश की गयी है।

अनेक राज्यों ने ऐसे अन्तरणों के बारे में कानून बनाये हैं। पश्चिमी बंगाल सम्पत्ति का अर्जन अधिनियम, १९५३ (जिसमें भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में उपबन्ध सम्मिलित हैं) में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि सरकार को यह सन्देह हो कि ५ मई, १९५३ के बाद कोई अन्तरण अधिकतम सीमा कानून से बचने के लिये किया गया है तो वह उसकी जांच करवा सकती है और यदि यह सिद्ध हो जाय कि यह अन्तरण बुरी नीयत से किया गया है तो इसको रद्द किया जा सकता है। और यदि येह सद्भावना से भी किया गया हो तब भी सरकार को यह अधिकार है कि वह अधिकतम सीमा कानून से ज्यादा अन्तरित की गई भूमि के अन्तरण के बारे में यह मान सकती है कि इस भमि का अन्तरण नहीं किया गया है।

आसाम में भी १२ नवम्बर, १९५५ के बाद किसी भी बनामी अन्तरण को भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के समय बैध अन्तरण नहीं माना जायेगा।

पंजाब में, जहां पर सरकार को १९५५ के संशोधन अधिनियम द्वारा किसी व्यक्ति के पास अधिकतम भूमि से अधिक भूमि पर निष्कासित किसानों में बसाने का अधिकार दिया गया था, यह उपबन्ध किया गया है कि १९५३ के अधिनियम के प्रवर्तन में आने के बाद किये गये किसी भी अन्तरण द्वारा सरकार के उक्त अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पेप्सू में भी यह कानून बनाया गया है कि २१ अगस्त, १९५६ के बाद किया गया कोई भी अन्तरण, केवल भूमि विहीन अथवा बहुत थोड़ी भूमि वाले व्यक्तियों को दी गई भूमियों को छोड़ कर, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में कोई प्रभाव नहीं रखेगा और ३० जुलाई, १९५८ के बाद किया गया कोई भी अन्तरण प्रभावकारी नहीं माना जायेगा।

हैदराबाद में यह कानन है कि कृषि भूमि का कोई भी स्थायी अन्तरण तब तक वैध नहीं माना जायेगा जब तक यह जिलाधीश (कलेक्टर) की पूर्वानुमति से नहीं किया गया होगा। हैदराबाद की सरकार ने किसी मैडिकल अथवा ऐसे अन्तरण को, जिसमें अन्तरणकर्ता दूसरे व्यक्ति को स्थायी करजा नहीं दे देता अथवा जो पंजीकृत नहीं किया जाता वैध मानने से इन्कार कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश बड़ी सम्पदाओं की समाप्ति तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९५३ में यह उपबन्ध किया गया है कि १ अप्रैल, १९५८ को अथवा उस के बाद किया गया कोई भी

---

†मूल अंग्रेजी में

संविदा अथवा करार, जो किसी भी भूस्वामी की भूमि को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से सरकार के पक्ष में नीहित होने में बाधक होगा, अवैध माना जायेगा।

नासिक जिले की प्याज तथा आलू सोसायटी

†३९९० **श्री जाधव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका की सरकार को नासिक जिले की प्याज तथा आलू सोसाइटी द्वारा भेजे गयी वस्तुओं के मूल्य चुकाने हैं;

(ख) यदि हां, तो उसको कितना रुपया देना है;

(ग) इस रुपये को रोकने के क्या कारण हैं; और

(घ) लंका सरकार सोसाइटी को कब तक रुपया चुका देगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). नासिक जिला आलू तथा प्याज उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड, नासिक से यह पता चला है कि उन्होंने १९५८ में लंका के सहकारी थोक संस्था को २०३,५०० रुपये के प्याज भेजे थे और लंका की संस्था ने कम माल भेजने तथा माल में क्षति पहुंचने के कारण होने वाली हानि की रकम का फैसला होने तक कुछ रुपया रोक लिया था। सरकार को इस सौदे के बारे में और कोई जानकारी नहीं है।

जैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार समझौता

†३९९१. **श्री वारियर** :
श्री कोडियान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेकोस्लावाकिया विदेशी व्यापार निगम और भारत के व्यापार निगम के बीच ७ मार्च १९५९ को हुए व्यापारिक समझौते की शर्तें; और

(ख) इस में कौ -कौन सी वस्तुएं शामिल हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). यह जानकारी देना व्यापार की दृष्टि से हितकर नहीं है।

मद्रास राज्य में गुड़ का निर्माण

†३९९२. **श्री अय्याकण्णु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की गुड़ तथा खांडसारी उपसमिति ने मद्रास राज्य में गुड़ का निर्माण करने की किसी योजना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस की और क्या सिफारिशें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां। भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की गुड़ तथा खांडसारी उपसमिति ने रस सम्बन्धी रसायनिक तत्वों, इस के साफ करने वाले पदार्थों उस के संग्रहण और रस पकाने की भट्टियों की किस्मों के बारे में कई सिफारिशें की हैं।

(ख) उपसमिति ने निम्नलिखित टेकनीकल प्रोग्राम की सिफारिश की है :—

(१) (क) गन्ने की प्रमाणिक किस्मों से रस के रसायनिक तत्वों और गुड़ के रसायनिक तथा भौतिक विशेषताओं का अध्ययन।

(ख) रस के रसायनिक तत्वों और गुड़ की रसायनिक तथा भौतिक विशेषताओं के अनुसार साफ करने वाले पदार्थों का प्रयोग।

(ग) गुड़ को विभिन्न प्रकार से तथा विभिन्न स्थितियों में संग्रहण करने पर उसकी रसायनिक तथा भौतिक विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन।

(२) विभिन्न प्रकार की खाद से उत्पन्न गन्ने के रसों की रसायनिक तथा भौतिक विशेषताओं का अध्ययन।

(३) निर्माण में तेजी करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की भट्टियों का परीक्षण।

(४) निर्माण विद्याओं और गुड़ की रसायनिक तथा भौतिक विशेषताओं के परस्पर सम्बन्ध का अध्ययन।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का दिल्ली राज्य डिवीजन संख्या १

†३९९३. **श्री ईश्वर अय्यर :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली राज्य डिवीजन संख्या १ के पास क्या-क्या काम हैं;

(ख) क्या उस काम को देखते हुए इस डिवीजन की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस डिवीजन को किसी और डिवीजन के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) १९५९–६० में इस डिवीजन में लगभग ४२ लाख रुपये का काम होने की आशा है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों के लिये भारत-अमरीकी संयुक्त उपक्रम

†३९९४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कुछ व्यापारियों ने अमेरिकी व्यापार मिशन को रसायन, कोयला, खान तथा कुछ अन्य उद्योगों में भरतीयों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम प्रारम्भ करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) तथा (ख). ऐसा मालूम हुआ है कि अमेरिकी व्यापार मिशन के प्रतिनिधियों ने रसायन, कोयला तथा कुछ अन्य उद्योगों के लिये अमेरिका के सहयोग से मशीनें बनाने के प्रश्न पर असम के कुछ व्यापारियों से प्रारम्भिक बातचीत की है। सरकार को इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

मन्थली एब्सट्रैक्ट आफ स्टेटिस्टिक्स

†३९९५. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निकाले जाने वाली "मन्थली एब्सट्रेक्ट आफ स्टेटिस्टिक्स" पत्रिका में 'रोजगार' सम्बन्धी जो सारणी दी रहती है उस में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के डिवीजनों द्वारा प्रतिमास काम पर लगाये जाने वाले लोगों के जो आंकडे दिये होते हैं क्या उनमें कर्म-भारित कर्मचारियों की संख्या भी शामिल होती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं।

(ख) सभी डिवीजनों से इस के आकड़े न उपलब्ध हो सकना।

लोक संगीत का रिकार्डिंग

†३९९६. **श्री लें० अचौ० सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आकाशवाणी के गुहाटी स्टेशन से जो रिकार्डिंग पार्टी मनीपुर में भेजी गयी थी क्या वह आदिवासी संगीत तथा नृत्य का रिकार्डिंग करने के लिये आदिवासियों के केन्द्रों में भी गई है; और

(ख) उसने कितने प्रकार के नृत्य, लोक गीतों और नाटकों के रिकार्ड तैयार किये हैं तथा ये कितना लम्बाई के टेप पर रिकार्ड किये गये हैं

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

प्रोग्राम का नाम	टेप की लम्बाई
१. मईती संगीत	४८ टेप—५६० मीटर
२. मईती बोली का कार्यक्रम	३८ टेप—३४६ मीटर
३. पहाड़ी आदिवासी संगीत। इसमें काबुई नामा, माओ नामा, सुक्ते पाइते, हमार, गांगटे, थोडाण्ड, वाही-पेही, सिमेत, जो, और लुशाई के आदिवासियों सम्बन्धी ९२ कार्यक्रम सम्मिलित हैं।	२० टेप—२२५ मीटर

समाचार पत्र

†३९९७. श्री ले० अचौ० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द हुआ; और

(ख) कितने समाचार पत्र प्रैस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) अधिनियम, १९५५ के अनुसार अपना वार्षिक विवरण नहीं दे सके।

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९१।

(ख) २,७२०

रामेश्वरम् द्वीप में सीमेंट का कारखाना

†३९९८. श्री सुब्बया अम्बलम : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य में स्थित रामेश्वरम् द्वीप में एक सीमेन्ट का कारखाना खोलने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां तो इसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उस क्षेत्र का एक सवक्षण करने के लिये कहा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां पर इतने चूने के पत्थर हैं कि नहीं जिससे कि वहां पर एक सीमेन्ट का कारखाना बनाया जा सकता है या नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी शिमला से होने वाल ब्राडकास्ट

†३९९९. { श्री नेक राम नेगी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) तिब्बत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हिमाचल तिब्बत सीमा पर रहने वाले लोगों के लिये आकाशवाणी के शिमला केन्द्र से प्रसारित होने वाले ब्राडकास्टों को रुचिकर तथा सुलभ बनाने के लिये सरकार ने कौन से अतिरिक्त तथा प्रभावकारी उपाय किये हैं ;

(ख) यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). आकाशवाणी के शिमला केन्द्र से मुख्यतया हिमाचल प्रदेश के लोगों के सांस्कृतिक जीवन संबंधी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं । चीनी तथा भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्रों के लोगों के लिये भी वहां से उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं ।

हिमाचल प्रदेश के लिये इस्पात का कोटा

†४०००. { श्री नेक राम नेगी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के लिए १९५९-६० के लिये इस्पात का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) इस वर्ष वहां पर छोटे पैमाने के उद्योगों को कितना इस्पात दिया जा रहा है ; और

(ग) पिछले १० वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिये कुल कितना कोटा निर्धारित किया गया है और उसमें से कितने कोटे की खपत हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). लोहा और इस्पात मंत्रालय प्रत्येक राज्य की सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार उस राज्य के लिये इस्पात का कोटा निर्धारित करता है । विशेष आवश्यकताओं के लिये जैसे छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहा और इस्पात मंत्रालय राज्य के लिये एक मुश्त कोटा निर्धारित करके उसको उस राज्य में वितरण के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को दे देता है । इसलिये प्रश्न के (क) तथा (ग) भाग का उत्तर लोहा और इस्पात मंत्री ही दे सकते हैं । जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों का संबंध है हिमाचल प्रदेश के लिये अप्रैल-जून १९५९ की अवधि के लिये १०० टन का कोटा निर्धारित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास

†४००१. { श्री नेक राम नेगी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय राज्य क्षेत्र बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि कोई विशेष प्रगति नहीं हुई तो इसके कारण ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में यहां पर उद्योगों के विकास के संबंध में कोई योजना बना रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २१].

'नेफा' क्षेत्र में विदेशी संवाददाताओं का प्रवेश

†४००२. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री प्रभात कार :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ९ फरवरी, १९५९ के लन्दन के 'डेली एक्सप्रेस' समाचार पत्र में "नरमेघ युद्ध"[1] नामक शीर्षक से छपने वाले समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये विदेशी संवाददाता कैसे नेफा क्षेत्र में पहुंच पाये ; और

(ग) क्या इनको सरकार द्वारा कोई अनुमति दी गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां, सरकार ने इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले लेख को देखा है ।

(ख) तथा (ग). इस लेख के लेखक श्री डोनाल्ड वाइज ने सरकार से 'नेफा' या 'नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र' में जाने के लिये भारत सरकार से कभी अनुमति नहीं मांगी । वह इस क्षेत्र के निकटवर्ती आसाम के शिबसागर जिले में स्थित चाय की बस्तियों के दो या तीन अधिकारियों की सहायता से इस क्षेत्र के कुछ विद्रोही नागाओं से मिले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]"Head hunters war".

बिजली के भारी सामान का कारखाना, इलाहाबाद

४००३. { श्री नेक राम नेगी :
　　　{ श्री ए० एम० तारिक :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २१ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नैनी (इलाहाबाद) में बिजली के भारी सामान के निर्माण के लिये स्थापित किया जाने वाला कारखाना इस बीच स्थापित कर दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी, अभी नहीं । कारखाने की इमारत आदि बनाने का मुख्य काम पूरा हो चुका है । विदेशों से आयात होने वाला सारा संयंत्र लगभग खरीदा जा चुका है और मशीनों को लगाने का काम चल रहा है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति

†४००४. श्री हरिश्चन्द्र माथर : क्या योजना मंत्री एक ऐसा विवरण लोक-सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) योजना आयोग के कहने पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विभिन्न कार्यों की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये भिन्न-भिन्न मंत्रालयों ने कितने कर्मचारी या टीमें नियुक्त की हैं ;

(ख) ये कब नियुक्त की गई थी और ये लोग कब तक अपनी रिपोर्ट देंगे ; और

(ग) ये किस प्रकार का कार्य करेंगी ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग) किसी भी मंत्रालय ने अभी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये कोई भी टीम नहीं नियुक्त की है । किन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये जितने भी ग्रुप बनाये गये हैं उनका यह काम भी है कि वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन भी करें । इन ग्रुपों की रिपोर्ट के सितम्बर १९५९ के अन्त तक मिलने की आशा है ।

नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड[1]

†४००५. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटिड, नया नंगल कारखाने ने अपना कार्य पूरा करने के लिये १९५८-५९ और १९५९-६० क दौरान में अब तक कितनी विदेशी मुद्रा मांगी है ; और

(ख) इस अवधि में इसके लिये कितनी रकम स्वीकृत की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Nangal Fertilizer and Chemicals Ltd.

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). १९५८–५९ में इस कारखाने ने संयंत्र तथा मशीनरी खरीदने और निर्माण संबंधी आवश्यक साज-सामान मंगाने के लिये विदेशी सार्थों के संविदे करने के लिये ४०१.४६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की मांग की थी। इसको पूरी राशि दे दी गयी थी।

१९५९–६० में भी ऐसे ही कार्यों के लिये अप्रैल से सितम्बर १९५९ तक की अवधि के लिये कारखाने ने ३८.३८ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की मांग की है। इस पर विचार किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की कार्यान्विति

†४००६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के मूल्यांकन तथा कार्यान्विति का प्रश्न मूल्यांकन तथा कार्यान्विति सैल को सौंपा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सैल ने इस विषय में क्या रिपोर्ट दी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) तथा (ख). जी नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की कार्यान्विति पर विचार करने के लिये डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के, जो मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, अधीन एक एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी।

तिब्बती आप्रवासी

†४००७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देब :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से तिब्बत में हाल का विद्रोह प्रारम्भ हुआ है तब से अब तक कितने तिब्बतियों ने भारत में प्रवेश किया ;

(ख) वे किन-किन दर्रों से कितनी-कितनी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुए ;

(ग) उन में से कितने तिब्बतियों को भारत में राजनैतिक शरण दी जा चुकी है ;

(घ) वे भारत के किन-किन स्थानों पर बस गये हैं ; और

(ङ) उनके पुनर्वास और उन्हें अन्य प्रकार सहायता देने की क्या व्यवस्था की जा रही ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पहली मार्च के बाद से जिन तिब्बतियों ने यात्रा-पत्रों (ट्रैवेल पेपर्स) के बगैर भारत में प्रवेश किया है, उनकी ठीक संख्या तो मालूम नहीं है, पर वे ७,५०० के लगभग होंगे।

(ख) लगभग १,५०० लोग चुथान्गुम के पास वाले दर्रे से हो कर आये हैं और लगभग ५,००० लोग तूंलुगला, से जो उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी के कामंग सीमांत डिवीजन में है, और करीब ७०० लोग सिक्किम के नूथला और जेलेपला दर्रों से हो कर आये हैं।

(ग) ऐसा विचार है कि इन सब लोगों को शरण दी जाय, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जिनके विरुद्ध कोई खास बात हो ।

(घ) और (ङ). इनके पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, लेकिन इसकी तैयारी की जा रही है कि शरणार्थियों को आसाम के तेजपुर जिले में एक अस्थायी कैंप में रक्खा जाये, जहां उन्हें तत्काल सहायता और रहने की सुविधा दी जायेगी।

एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटिड, सोनीपत को ऋण

†४००८. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटिड, सोनीपत को १९५८ में २० लाख रुपये का कोई ऋण दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को १ जनवरी, १९५९ तक कुल कितना ऋण दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह सारी रकम फैक्ट्री के हित में नहीं लगाई गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) इस कम्पनी को १९५८ में सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में खड्डी के कपड़े पर छूट

†४००९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार के लिये १९५८-५९ और १९५९-६० के लिये खड्डी के कपड़े पर छूट देने के लिये कितनी रकम निर्धारित की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : १९५८-५९ के दौरान में खाड्डी के कपड़े पर छूट देने के लिये बकाया रकम के भुगतान के लिये पंजाब सरकार के लिये १.४९ लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे।

हथकरघा उद्योग पर व्यय करने के लिये राज्य सरकार को ३ लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी । इसमें छूट की रकम भी शामिल है जिसके पृथक् आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

१९५९-६० में अब तक छूट के लिये कोई रकम नहीं स्वीकृत की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुकेरियां (पंजाब) में कागज की लुग्दी [1] का कारखाना

†४०१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पंजाब में मुकेरियां में कागज की लुगदी का एक कारखाना खोलना चाहती है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है तथा उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं । १९५७–५८ में फिनलैंड के दो विशेषज्ञों ने वन उद्योगों की स्थापना तथा उनके लिये कच्चे पदार्थों की पूर्ति की दृष्टि से ब्यास तथा उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें यह सुझाव दिया है कि वहां पर कागज की लुगदी की मिल बनाने के लिये उसके लिये कच्चे पदार्थों की सप्लाई के लिये पहले पंजाब सरकार को इस क्षेत्र के वनों का बहुत लम्बी अवधि तक विकास करना चाहिये । इस प्रकार केवल देशी कच्चे पदार्थों पर चलने वाली कागज मिल की स्थापना बहुत बड़े समय के बाद ही की जा सकती है ।

दिल्ली में इन्दिरा मार्केट

†४०१३. { **श्री प्र० गं० देब** :
श्री लीलाधर कोटोकी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जी मंडी में इन्दिरा मार्केट का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था ; और

(ख) यह सभी नागरिक सुविधाओं समेत कब तक पूर्णरूपेण तैयार हो जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) तथा (ख). इस मार्केट का निर्माण-कार्य निम्नलिखित दौरों में किया गया :

पहला दौर : इसमें ९८ दुकानें, २१ रिहायशी मकान, १२ वाणिज्यिक घर, सीढ़ियां, शौचालय, आदि बनाये गये । यह कार्य जनवरी, १९५५ में शुरू हुआ था और अक्तूबर, १९५५ में समाप्त हुआ ।

दूसरा दौर : इसमें ४६ दुकानें, ७ रिहायशी मकान, १५ वाणिज्यिक घर, सीढ़ियां और शौचालय आदि बनाये गये । यह काम जनवरी, १९५७ में प्रारम्भ हुआ और जनवरी, १९५९ में पूरा हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Paper Pulp.

तीसरा दौर : इसमें एक दुकान, सीढ़ियां और शौचालय बनाये गये । यह काम जुलाई, १९५८ में शुरू हुआ और जुलाई, १९५९ तक पूरा होगा ।

सभी नागरिक सुविधाओं समेत, केवल पेशाबघरों को छोड़ कर, शेष सारा कार्य अगस्त, १९५९ तक पूरा होने की आशा है । पेशाबघरों की व्यवस्था दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा की जायेगी ।

दिल्ली में इन्दरा मार्केट

†४०१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इन्दरा मार्केट, सब्जी मंडी, दिल्ली के अधिकतर किरायेदारों ने अपनी दुकानें किराये पर उठा दी हैं या बेच भी दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किरायेदारों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) तथा (ख). इन्दरा मार्केट में १४५ दुकानें बनाई गई थीं। इन में ७२ दुकानें प्रतिकर योजना के अधीन बेच दी गई हैं। यह तो मालिक का काम है कि वह दुकान स्वयं अपने पास रखे या किराये पर उठा दे। शेष दुकानों को किराये पर उठाने की जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

जनपथ और इर्विन रोड के मार्केट

†४०१५. { **श्री सरजू पांडे :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री ८ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनपथ और इर्विन रोड के मार्केटों के निर्माण की तफसील क्या है ;

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ;

(ग) निर्माण कार्य किस तारीख तक समाप्त हो जायेगा ; और

(घ) क्या कनाट सर्कस, पंचकुंई रोड और जनपथ के दुकानदारों को जनपथ और इर्विन रोड के प्रस्तावित मार्केटों के बनने तक नहीं रखा जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जनपथ और इर्विन रोड के मार्केटों के निर्माण का प्रश्न अभी विचाराधीन है और उनकी तफसील अभी तक तैयार नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग). अभी कोई निश्चित तारीखें नहीं बताई जा सकतीं ।

(घ) पंचकुंई रोड, जनपथ और कनाट सर्कस के स्टाल नई दिल्ली नगरपालिका के हैं जो उन्हें जनपथ और इर्विन रोड के या कहीं और मार्केटों में पुनर्वासित होने तक नहीं रहने देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड

†४०१६. { श्री मोहम्मद इलियास :
श्री वारियर :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड के अनेकों प्रशासकी पदों पर भारत सरकार के श्रेणी १ और २ के सेवा निवृत्त अधिवर्षी अधिकारी हैं ;

(ख) ये पद क्या हैं ; और

(ग) इन नियुक्तियों के क्या कारण हैं ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). बोर्ड के मंत्री के पद पर सेवा निवृत्त अधिवर्षी अधिकारी हैं । तीन अन्य पदों पर, अर्थात्, मुख्य लेखापाल, विशेष कार्य अधिकारी और प्रशासकी अधिकारी, सेना के सेवा निवृत्त अधिकारी हैं और ये सब ५५ वर्ष से कम आयु के हैं । ये चारों भारत सरकार में श्रेणी १ के अधिकारी थे ।

(ग) इन अधिकारियों को यथोचित रूप में गठित संभरण मण्डल ने अनेकों उम्मीदवारों में से चुना था क्योंकि ये अपेक्षित रूप में अर्ह और अनुभवी हैं ।

पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदेश

†४०१७. **श्री वाजपेयी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनाई गई और निष्क्रान्त सम्पत्तियां विस्थापित लोगों को देने और प्रतिकर के भुगतान आदि सम्बन्धी अनुदेश और आदेश, जो मंत्रालय का मुख्य निपटान आयुक्त के कार्यालय से निकाले जाते हैं, सरकारी गज़ट में प्रकाशित होते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख). नहीं । विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ तथा उस के अधीन बने नियम या इन नियमों के संशोधन भारत गजट में प्रकाशित होते हैं । अनुदेश और प्रशासन सम्बन्धी आदेश केवल सरकारी प्रयोग के लिये होते हैं । वे गजट में प्रकाशित नहीं होते ।

दिल्ली के विस्थापितों द्वारा मांगों का ज्ञापन

†४०१८. { श्री लीलाधर कटकी :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विस्थापितों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को दिया है; और

(ख) उनकी क्या मांग हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) हां ।

(ख) मांगें निम्न हैं :

"(१) सरकार द्वारा बने मकानों, आदि या निष्क्रान्त सम्पतियों के मूल्य भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार न-हानि-न-लाभ के आधार पर पुनः निर्धारित की जाय । इस उद्देश्य के लिये एक स्वायत्त आयोग बनाया जाये जिस में विशेषज्ञ इंजिनियर और विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधि हों तथा सभापति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो ।

(२) कुर्की, निकासी, गैर-सरकारी नीलामकर्ताओं द्वारा या पुनर्वास विभाग द्वारा टेंडरों से मकानों, आदि का विक्रय के नोटिस तुरन्त वापस लिये जायें ।

(३) सरकार द्वारा बने मकानों, आदि की जमीन का मूल्य उनके लिये वास्तव में किये गये भुगतान और उस विकास के व्यय से अधिक कभी नहीं होना चाहिये ।

(४) अब तक दिया गया किराया मूल्य में समाजित होना चाहिये ।

(५) मूल्य ३० समान वार्षिक किस्तों में ली जानी चाहिये और भुगतान न की गई किस्तों पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिये ।

(६) दो मंजिले क्वार्टरों में अलग अलग शौचालय, स्नानघर, आदि होने चाहियें ।

(७) उन विस्थापित लोगों से धन वसूल नहीं किया जाना चाहिये जिन में से प्रत्येक को उपहार रूप में ५०० रु० और १०० गज मुफ्त भूमि दी गई थी ।

(८) काश्मीर के अधिकृत क्षेत्रों के विस्थापितों सहित उन विस्थापितों को जिन्हें आवंटन होना चाहिये, रहने के मकान और दुकान दी जानी चाहिये ।

(९) पुराने किले के विस्थापित लोगों को बनी वैकल्पिक जगह दी जानी चाहिये ।

(१०) जिन विस्थापित लोगों के पास सरकारी या निष्क्रान्त सम्पति है वह तत्काल ही उन्हें देनी चाहिये ।

(११) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के विस्थापितों को वही अधिकार होने चाहियें जो पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को हैं और उन्हें उपरोक्त पैरा ८, ९ और १० में उल्लिखित सुविधायें मिलनी चाहियें ।

(१२) सत्यादनोपरान्त निर्धारित प्रतिकर का बिना किसी कटौती के पूर्ण भुगतान होना चाहिये ।

(१३) ग्रामीण क्षेत्रों के विस्थापित लोगों के दावे नगर के दावों के समान ही समझे जाने चाहिये और पूर्वगामियों को तुरन्त प्रतिकर दिया जाना चाहिये ।

(१४) किंग्सवे केम्प, पर्दा बाग, कोटला-फीरोजशाह, अंगूरी बाग और ऐसी ही अन्य बस्तियों में स्वामित्व अधिकार तुरन्त आवंटन प्राप्त व्यक्तियों को दे देने चाहिये और उन से किराये की कोई मांग नहीं की जानी चाहिये । कमला मार्किट, बाड़ा हिन्दू राव, गफ्फार मार्किट और ऐसे ही अन्य बाजारों में आवंटन प्राप्तकर्ताओं के स्वामित्वाधिकार तुरन्त उन्हें दे देने चाहिये । अपने आवंटित क्वार्टरों में व्यापार करने वालों को लाइसेन्स दे देने चाहिये या उन्हें विकल्प व्यापार स्थान दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१५) सड़कों पर पड़े, देवालयों में रहने वाले, रिश्तेदारों के साथ रहने वाले विस्थापित लोगों को मकान और दुकान दिये जाने चाहियें।

(१६) विधवाओं, अपंग व्यक्तियों और यतीमों के लिये निश्शुल्क रहने का स्थान और जीवन साधन व्यवस्था होनी चाहिये।

(१७) विस्थापित लोगों को काम देने के लिये विस्थापितों की बस्तियों और बनने वाले नये बाजारों में सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग स्थापित होने चाहियें।

(१८) विस्थापितों की बस्तियों और बाजारों में नगरपालिका-सुविधायें होनी चाहियें।

ये मांगें नई नहीं हैं और इन पर भूत में सरकार ने कई बार विचार किया है। विस्थापित लोगों को पहले ही अनेकों रियायतें मिली हुई हैं। और कोई रियायत देने का विचार नहीं है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये सिलिगुरी में बाजार

†४०१९. **श्री मनायन :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलिगुरि में विस्थापित लोगों के लिये एक बाजार बना है;

(ख) यदि हां तो, इसकी क्या लागत है;

(ग) क्या बाजार की इमारतें अभी तक खाली पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ङ) इमारतों की वर्तमान ढांचा स्थिति कैसी है?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ङ). सिलिगुरि में विस्थापित लोगों के लिये बाजार के निर्माण के लिये भारत सरकार ने ५,२३,४००/– रु० दिये थे। अब तक बाजार के निर्माण पर हुआ व्यय ज्ञात नहीं है। यह जानकारी तथा भाग (ग) से (ङ) तक पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षा संस्थायें

४०२०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में छूटी कितनी शिक्षा संस्थाओं को गत दस वर्षों में मुआवजा दिया जा चुका है; और

(ख) क्या पुनर्वास मंत्रालय के बन्द होने से पूर्व शेष संस्थाओं को मुआवजा दिया जायेगा?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) शिक्षा संस्थाओं को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि धार्मिक तथा परोपकार के हेतु न्यास-सम्पत्ति, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की परिधि से बाहर हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी मकानों का किराया

†४०२१. **श्री अजित सिंह :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक ज्ञापन जारी किया है जिसमें बताया है कि उच्च श्रेणी के मकान पाने के अधिकारी होने पर जो अधिकारी किसी न किसी बहाने निम्न श्रेणी के क्वाटरों में बने रहते हैं उनसे किस आधार पर दंड-किराया लिया जायेगा;

(ख) ज्ञापन के जारी होने के बाद सरकार ने दंड-किराया वसूल किया है; और

(ग) क्या ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण, जिसमें उपरोक्त ज्ञापन के उपबन्ध लागू न हुए हों और जिसमें प्रत्येक मामले में हुई राजस्व की हानि भी दर्शाई गई हो, पटल पर रखा जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) आवंटन नियम, १९५० के अधीन क्वार्टर, आदि के आवंटन के लिए अधिकारी का वर्ग उसके वेतनानुसार निश्चित किया जाता है। राजधानी में मकानों आदि की अत्यधिक कमी होने के कारण अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में क्रम वाह्य क्वार्टर दिये जाते हैं और ये प्रायः उनके अपने वर्ग के क्वार्टर से दो वर्ग निम्न के होते हैं। ऐसे मामलों में कोई दंड-किराया नहीं लिया जाता। यथासमय, इन अधिकारियों को अपने वर्ग के क्वार्टर आदि मिल जाते हैं। यदि उस समय भी वे उनमें जाने से मना करते हैं तो उन्हें आवंटन नियमों के अधीन दंड-किराया देना होता है। दंड में वृद्धि करने के लिए अगस्त १९५७ में आवंटन नियमों में संशोधन हुआ।

(ख) और (ग). एस्टेट आफिस में सांख्यकी नहीं रखी जाती। यह समझा जाता है कि इस जानकारी के एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा उसके अनुसार परिणाम प्राप्त न होंगे। आवंटन के सारे मामलों पर आवंटन नियमों के अधीन साधारण में, यदि सरकार उपयुक्त कारणवश अन्यथा निदेश न दे तो, विचार किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं चीनी के मूल्यों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उसी के लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह एक बड़ा आवश्यक मामला है। सारे यू० पी० में चीनी के दाम बढ़ गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दशरथ देब (त्रिपुरा) : मेरा एक औचित्य प्रश्न । मैं जानना चाहता कि जब त्रिपुरा एक संघ राज्य क्षेत्र है, तो वह इस संसद् के अलावा अपनी शिकायतें कहां रखे । हम अपने दुख यहीं व्यक्त कर सकते हैं और इसीलिये मैंने राज्य में अकाल की स्थिति के बारे में सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की है। त्रिपुरा में ४ व्यक्ति भूख से मर चुके हैं और कई अस्पताल में पड़े हैं। लोगों की हालत बहुत खराब है।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पता है कि त्रिपुरा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हरेक छोटी-छो ी बात को यहां स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया जाये। यह जरूरी नहीं कि माननीय सदस्य जिस चीज को जरूरी समझें, मैं भी उसे जरूरी समझूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय सरकार का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५९ और वित्त लेखे, १९४७-४८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १४०७/५९]

कागज उद्योग के लिये कच्चे माल सम्बन्धी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं कागज उद्योग के लिये उपलब्ध सैलुलौस के अतिरिक्त कच्चे माल के सर्वेक्षण के लिये नियुक्त की गई तदर्थ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १४०८/५९.]

मद्यसार समिति की सिफारिशों पर सरकार का संकल्प

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : श्रीमान्, मैं मद्यसार समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा जारी किये गये दिनांक २३ अप्रैल, १९५९ के संकल्प संख्या सी० एच० (आई)—३३(३)/५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १४०९/५९]

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा): मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पांचवा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

†सरदार अ० सि० सहगल (जंजगीर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिए, उक्त सेवाओं के लिए तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिए, उक्त सेवाओं के लिए तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा, डा० श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९५८ तक की अवधि के प्रतिवेदन पर, जो १७ फरवरी, १९५९ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री खाडिलकर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†श्री खाडिलकर (अहमदनगर): कल मैं देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में बोल रहा था। इस प्रश्न पर विचार करते समय हम एक कृत्रिम देशभक्ति में बह जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति न होने के कारण हमारे विद्यार्थियों को बहुत हानि हो रही है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

यदि आप वास्तव में हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना चाहते हैं तो हिन्दी और अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिता करा दें। हम देश के पांच प्रतिशत व्यक्ति शेष ९५ प्रतिशत के लिए कानून बनाने चले हैं। आज देश के पिछड़े वर्गों के लोग विज्ञान की जानकारी चाहते हैं। इसलिए जब तक सारे विश्वविद्यालयों का स्तर एक समान नहीं किया जाता तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता।

हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं किन्तु देश की कुछ क्षेत्रीय भाषायें ही हिन्दी से अधिक विकसित हैं। अतः आपको समान नीति का अनुसरण करना चाहिए।

हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में १९६२ से शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बना दिया जायगा। मैं इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को जानना चाहता हूँ। मैं नहीं समझ सकता कि दिल्ली जैसे नगर में जहां शिक्षा का वातावरण ही नहीं, हिन्दी जारी करने की क्या आवश्यकता है। इस विश्वविद्यालय में "नौकरशाही" का विभाग खुलना चाहिए।

इसी प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरा सुझाव है कि इन मामलों की देखभाल के लिए सभा की एक स्थायी समिति बना दी जाय।

कभी-कभी इस देश में अनायास ही विश्वविद्यालय खुलने लगते हैं किन्तु जब तक उचित वातावरण न बने इनसे कोई लाभ नहीं होता। नया विश्वविद्यालय खोलने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अवश्य पूछताछ की जानी चाहिए।-

प्रतिवेदन में लिखा गया है कि कुल मिला कर ५० प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं। यह भी गम्भीर बात है। परीक्षा के पुराने तरीके अभी तक चालू हैं। वस्तुतः अब यह तरीका बदलना चाहिये ताकि फेल होने वाले विद्यार्थी निराशा का मुख न देख सकें। परीक्षा को इस तरह लेने की बजाय अध्यापक एवं शिक्षार्थी का निकट सम्पर्क रहना चाहिये और विद्यार्थी के सामान्य व्यक्तित्व को आंक कर अध्यापक को उसके लिये उचित अंक देने चाहिये। इस तरीके के लागू किये जाने से जनता की निराशा कम होगी।

इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक धन देने का प्रश्न था। इस सम्बन्ध में, मैं यही कहूंगा कि माननीय मंत्री को सारी योजना की स्थिति देख लेनी चाहिये और फिर जैसा उचित हो वैसा करना चाहिये। शिक्षा तथा संस्कृति की स्वस्थ परम्परा डालने के लिये हमें आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये पृथक होस्टल बनाने चाहिएं।

होस्टलों के न होने के कारण आज हमारे युवक विद्यार्थी गन्दे लोगों के सँग में उठने बैठने लगते हैं। सरकार का कहना है कि उसे सीमेंट और लोहे की आवश्यकता है परन्तु वह नहीं मिलता। यह कोई अड़चन नहीं है। हमें साधारण मकान बना देने चाहिये।

इसके पश्चात् अनुशासनहीनता का प्रश्न है। यह भी गम्भोर समस्या है। हम शायद यही सोचते हैं कि लोग बन रहे हैं परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अन्दर तो राष्ट्रीयता की भावना थी, क्योंकि हमने गुलामी देखी थी परन्तु इनका जन्म तो स्वतन्त्रता में हुआ है। इसलिये इनको आरम्भ से ही अनशासन सिखाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में भारी भीड़ रहती है। प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का स्तर भी कम होता जा रहा है। एक प्रोफेसर को मैंने देखा उसे अंग्रेज़ी भी ठीक लिखना नहीं आती थी। वस्तुतः लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। अध्यापकों का आचरण भी ठीक रहना चाहिये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रयत्न करना चाहिये कि कम से कम २०/३० विद्यार्थियों पर एक अध्यापक की निगरानी रहे। इसी तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली का सुधार हो सकता है।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रथम पृष्ठ पर ही मेरे राज्य की विक्रम यूनीवरसिटी और जबलपुर यूनीवरसिटी का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि :

"इस वर्ष गोरखपुर, जबलपुर, कुरुक्षेत्र तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन स्थापित हुये। स्थापना से पहले आयोग की सलाह नहीं ली गई।"

इसमें यह जो कथन दर्ज किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि यह नई यूनीवरसिटी बगैर यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन के परामर्श के बनी हैं, इसलिये अधिकृत रूप से उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन से किसी सहायता की अपेक्षा करें, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बचत होगी तो उसमें से देने का प्रयत्न किया जायेगा। यह जो गलत धारणा यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन को हो गई है और यह जो सदन के सामने गलत धारणा रखी गई है, उसके बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्रीमन्, विक्रम यूनीवरसिटी का इतिहास कुछ पुराना सा है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब विक्रम यूनीवरसिटी की कायमी के लिये कदम उठाये गये थे तो देश के बड़े बड़े विद्वान जैसे डा० राधाकृष्णन, डा० परांजपे और डा० रेड्डी जैसे बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों की राय के बाद में यह तय किया गया था कि विक्रम दिव सहस्राब्दि के वक्त उज्जैन में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि उस वक्त महायुद्ध चल रहा था और उस समय अंग्रेज हमारे रास्ते में आ गये। उन्होंने ग्वालियर नरेश को आज्ञा दी कि इस समय कोई खर्चा न किया जाये। इसलिये उस समय वह यूनीवरसिटी नहीं बन सकी। फिर सन् १९४८ में जब ग्वालियर में उत्तरदायी शासन कायम हुआ तो उस समय वहां की राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि विक्रम यूनीवरसिटी उज्जैन में कायम हो और उसके लिये एक करोड़ रुपये की रकम उन्होंने इअरमार्क करके अलग रख दी, लेकिन उसी समय मध्य भारत का निर्माण हुआ और मध्य भारत का निर्माण होने के कुछ दिन पहले ही इन्दौर की राज्य सरकार ने आर्डिनेन्स के द्वारा एक कानून बना कर एक यूनीवरसिटी इन्दौर में कायम करने का निश्चय किया। मध्य भारत छोटा राज्य था। एक यूनीवरसिटी का ग्वालियर राज्य सरकार ने निश्चय किया और दूसरी का इन्दौर राज्य सरकार ने, तो वह मामला रुका रहा और फिर केन्द्रीय सरकार को लिखा गया कि आप हमें परामर्श दें। यहां से डा० ताराचन्द को भेजा गया। उन्होंने सारा अध्ययन करने के बाद यह मत दिया कि मध्य भारत में एक यूनीवरसिटी कायम करने की आवश्यकता है और उन्होंने एक योजना बनायी और साथ ही एक बिल का ड्राफ्ट भी बना कर दिया। वह बिल मध्य भारत की असेम्बली में पेश हुआ। हमारे आपसी मतभेद तो थे ही। उसकी वजह से फिर राजप्रमुख ने उसको पुनर्विचार

[श्री राधे लाल व्यास]

के लिये भेजा क्योंकि हमारा स्थान के बारे में मतभेद था। लेकिन उस समय राज्य सरकार ने उसे पेश नहीं किया और इतने में जनरल इलैक्शन आ गये और वह बिल लैप्स हो गया। जनरल इलैक्शन के पहले एक घटना यह हुई कि मध्य भारत की राजधानी के बारे में झगड़ा चला। और हमारे प्रधान मंत्री जी को वह झगड़ा सुलझाने का काम सौंपा गया और कहा गया कि वह निर्णय करें। उस समय ग्वालियर, इन्दौर और उज्जैन तीनों ने राजधानी होने के लिये अपना दावा पेश किया। प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय दिया कि उज्जैन राजधानी होने के योग्य नहीं है लेकिन साथ ही उन्होंने कहा :

> "विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मैं उज्जैन को एक आदर्श स्थान समझता हूं। मैं तो कहूँगा कि जनता को और मध्य भारत सरकार को उज्जैन को संस्कृति तथा शिक्षा का महान केन्द्र बनाना चाहिये।"

यह हमारे प्रधान मंत्री जी का परामर्श था, उसको निर्णय तो नहीं कह सकते। उसका निर्णय करना तो राज्य सरकार का काम था। राज्य सरकार ने फिर असेम्बली में एक बिल इंट्रोड्यूस किया और बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले यहां की स्टेट मिनिस्ट्री से और एजुकेशन सैक्रेटेरियट से फोन से बात कर ली थी। उस समय यहां पर केन्द्र में शिक्षा मंत्री स्व० मौलाना आजाद थे। दुर्भाग्य से जब उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको मौलाना आज़ाद साहब ने रोक दिया यह कह कर कि निर्णय हमसे बगैर पूछे किया गया है और हमसे बगैर पूछे यूनीवरसिटी कायम नहीं की जा सकती। इस पर यहां पर पार्लियामेंट में प्रश्न उठाये गये। उसके बाद एक कमेटी कायम की गई जो भटनागर कमेटी कहलाई। उसमें आचार्य नरेन्द्र देव और डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह थे। मैं इस बात के इतिहास में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने क्यों अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हुमायूं कबिर साहब उसके चैयरमैन हुये और उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट यहां आयी। उसमें कहा गया था कि मध्य भारत में यूनीवरसिटी कायम करने की आवश्यकता है। और स्थान के बारे में मौलाना आजाद साहब ने यहां पर सदन में यह आश्वासन दिया कि स्थान के बारे में केन्द्रीय सरकार दखल नहीं देना चाहती, स्टेट गवर्नमेंट चाहे जहां यूनिवरसिटी कायम करे, लेकिन उसके पास कुछ साधन होने चाहियें और जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है वह भी उसके लिये जो कुछ सहायता दे सकती है देगी। यह इतिहास मैंने इसलिये बतलाया कि यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमीशन से परामर्श ले कर यूनीवरसिटी कायम करने का सवाल ही कहां पैदा होता है। यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमीशन तो ५ नवम्बर, १९५६ को अस्तित्व में आयी है, एक स्टेट्युटरी (संविहित) बाडी के रूप में। उसके पहले ही मध्य भारत में यूनीवरसिटी कायम हो चुकी थी और उसका शिलान्यास गृह-मंत्री श्री पंत ने उज्जैन में कर दिया था। फिर यह कहना कि यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन से परामर्श नहीं किया गया, मेरी समझ में नहीं आता। न मालम यह गलत धारणा कैसे इस रिपोर्ट में दर्ज करदी गई है और इस धारणा के आधार पर विक्रम यूनिवरसिटी को सहायता न देने की बात क्यों सोची जा रही है।

उज्जैन के महत्व के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उज्जैन केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, बल्कि सारे देश का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान रहा है। उसने इस देश को स्वर्णयुग प्रदान किया है। इस बारे में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु देश के बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों ने हमेशा यह आकांक्षा जाहिर की है कि उज्जैन में एक

अच्छी यूनीवरसिटी बने । उस यूनीवरसिटी को यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा इस आधार पर कि वह उससे पूछे बगैर बनी है एक पैसा भी सहायता देने का प्रयत्न नहीं किया गया । मैं यह जानता हूँ कि यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन के चैयरमैन डा० देशमुख साहब को विक्रम यूनीवरसिटी से पूरी सहानुभूति है । वह जानते हैं कि इस यूनीवरसिटी को कुछ मिलना चाहिये ताकि उसकी तरक्की हो और वह अच्छे पैमाने पर चले लेकिन फिर भी मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि केवल इस आड़ में ही कि वह यूनीवरसिटी यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन से पूछ कर नहीं बनी है, उसको अभी तक सहायता नहीं दी गई । मुझे आशा है कि चूंकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने और देश के दूसरे बड़े बड़े लोगो ने यह आशा व्यक्त की है कि उज्जैन में एक बड़ी यूनीवरसिटी बननी चाहिये, यू ीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन उज्जैन में एक अच्छी यूनीवरसिटी बनाने के लिये कोई योजना बनायेगी और उसको मदद दे की योजना बनायेगी ।

इसके बाद में कुछ और विषयों के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं । यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन के चैयरमैन ने कहा था कि वह तो वह दिन देखना चाहते हैं जब कि हिन्दुस्तान में कम से कम २०० रेजीडेंशियल यूनीवरसिटीज कायम हों । हमारे कुछ भाइयों ने ऐतराज किया है कि ऐसे स्थानों में भी यूनीवरसिटियाँ बन जाती हैं जहां कि अनुकूल वातावरण नहीं होता । मैं कहना चाहता हूं कि यहां शिक्षा कितनी मंहगी है । आवश्यकता इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा यूनीवरसिटियां कायम हों । आज हजारों की तादाद में बनारस में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में विद्यार्थी रहते हैं । वहां क्या ठीक पढ़ाई हो सकती है । वहां क्या अनुशासन रह सकता है। यूनीवरसिटी ग्रांट्स कमीशन को यह निश्चित कर देना चाहिए कि अमुक तादाद से ज्यादा विद्यार्थी किसी यूनीवरसिटी में न रहने पायें ।

जहां तक मुझे याद है, डा० राधाकृष्णन् की रिपोर्ट में यह बतलाया गया था कि तीन, साढ़े तीन हजार से ज्यादा विद्यार्थी किसी युनिवरसिटी में नहीं होने चाहिए । लेकिन आज हजारों की तादाद में विद्यार्थी यूनिवर्सिटियों में हैं । इस से ज्यादा अच्छा यह होगा कि अधिक यूनिवर्सिटियां बनें और विद्यार्थी वर्तमान यूनिवर्सिटियों से हट कर वहां जायें । हमारा देश आजाद हो गया है, पढ़ने लिखने की सामग्री ज्यादा उपलब्ध की गई है, प्रोफेसर भी काफी हो गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उन में अनुशासन कम हो गया । क्या बनारस और दूसरे कालेजों की घटनायें हमारी आंख नहीं खोलती हैं ? आज जरूरत इस बात की है कि छोटी छोटी यूनिवर्सिटियां हों, जिन में दो ढाई हजार विद्यार्थी हों—उन में तीन हजार से ज्यादा विद्यार्थी तो किसी सूरत में न हों । ज्यादा उप ुक्त यह होगा कि जो नई यूनिवर्सिटियां बनें, वे बड़े बड़े शहरों में न बना कर देहात में बनानी चाहिएं । उन में यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि विद्यार्थी होस्टलों में रहें, बाहर न रहें और वहां ही वे दिन भर अध्ययन करें । जहां तक इनडिसिप्लिन का सम्बन्ध है, यह बतलाया गया है कि कई योजनायें सोची जा रही हैं कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक काम में लगाया जाय और उन को अधिक से अधिक पढ़ने लिखने की सामग्री दी जाये । लेकिन शहरों में यह नहीं हो सकता है । आज हालत यह है कि कई विद्यार्थी दिन में नौकरी करते हैं और क्लास में हाजरी भी लगाते हैं । उन को पढ़ का समय नहीं मिलता है, लाइब्रेरी में वे अध्ययन नहीं कर सकते और समाचारपत्र वगैरह नहीं पढ़ सकते । तो उन की योग्यता कहां से बढ़ेगी ? यह आवश्यक है कि वे शहरों से दस पन्द्रह मील दूर रहें, अध्ययन करें और सीख । अगर मासिक नहीं, तो कम से कम साप्ताहिक रिपोर्ट होनी चाहिये कि उन्होंने कितना अध्ययन किया है, कौन सी किताबें

[श्री राधेलाल व्यास]

पढ़ी हैं, वे समाचारपत्र पढ़ते हैं या नहीं, जेनरल नालेज की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं । इन सब का रिकार्ड होना चाहिए और उन के द्वारा नोट्स तैयार होने चाहिए । हम ने अपने देश में जनतंत्र कायम रखने का निश्चय किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र की बुनियाद अच्छी शिक्षा और अच्छा चरित्र ही हैं और अगर हम ने उन का स्तर ऊंचा करने के लिए निश्चित कदम नहीं उठाए, तो यह जो करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटियों के नाम पर खर्च हो रहा है, वह व्यर्थ जाने वाला है । अभी भी समय है । केवल कमेटियां ही बनती रहें, योजनायें ही बनती रहें, केवल यही नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को निश्चित रूप से कदम उठाने चाहिए कि जिस से हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की ओर अग्रसर हों । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि लोक-सभा ८ मई, १६५६ को प्रश्नों के घंटे के बाद ढाई बजे तक तिब्बत की स्थिति पर विचार करेगी । १ मई को घोषित कार्यक्रम में से सरकारी कार्य की जो मदें उस चर्चा के पहले समाप्त नहीं होंगी, उन पर सत्र का एक दिन बढ़ा कर ६ मई, १६५६ को विचार होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**श्री रंगा** (तेनालि) : हाल ही में कुछ लोग हिन्दी भाषा को बड़ी शीघ्रता से विश्वविद्यालयों के शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने की बातें करने लगे हैं किन्तु मैं चेतावनी देता हूँ कि उन्हें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के अनेक भाग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है । उन क्षेत्रों के युवक यह नहीं चाहेंगे कि उन्हें दूसरों की अपेक्षा कम अवसर प्राप्त हों ।

इसके विपरीत यदि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यन बना लेते हैं तो उससे संकीर्णता का खतरा पैदा हो जाता है । अतैव विश्वविद्यालयों को इस मार्ग में से बड़ी सावधानी के साथ गुजरना है । हमारे विश्वविद्यालयों को हिन्दी के प्रति उचित आदर दिखाना चाहिए । जो विश्वविद्यालय कुछ विषयों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम अपना रहे हैं वे अपने विद्यार्थियों को बड़ी भारी हानि पहुंचा रहे हैं ।

सरकार को चाहिए कि क्षेत्रीय कालेजों के अध्यापकों के स्तर को ऊंचा करें । उन्हें प्रत्येक प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक परीक्षा की प्रणाली को सुधारने की बात है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मित्र श्री खाडिलकर के विचारों से सहमत हूं । फेल होने से विद्यार्थी का धैर्य टूट जाता है और इससे सार राष्ट्र को हानि होती है । इस प्रकार परीक्षा के स्थान पर अध्यापक का सम्पर्क विद्यार्थियों के साथ रहना चाहिए ताकि वह उनके व्यक्तित्व को आंक कर उनके बारे में अपनी राय दे सकें ।

आजकल विद्यार्थी मानव सँसकृति सम्बन्धी विज्ञानों में बहुत कम रुचि ले लगे हैं । अतैव विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है कि वे उन्हें बढ़ावा दें । टेक्निकल शिक्षा का सँवर्धन करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के सँरक्षकों से सहायता लेनो चाहिए। बहुत से लोग हर्ष से इसे स्वीकार करेंगे।

जहां तक नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न है, मैं यह प्रार्थना करूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को खूब जांच करने के बाद ही नये विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देनी चाहिए।

विश्वविद्यालयों के भवन भी वाणिज्यिक भवनों की भांति बने हुए हैं । निर्माण या वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहीं दिखायी ही नहीं देता । इस तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए । भवन निर्माण कला अपना विशेष महत्व रखती है ।

मैं तो यही चाहता हूं कि हमें अधिक से अधिक कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने चाहिएं । उनके लिए सामान्य से भवन तैयार किये जायें और विशाल भवनों पर होने वाले अतुल व्यय की बचत की जायें।

महिलाओं के लिए पृथक कालेज बनाकर भी हमें धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए । प्रत्येक स्तर पर सहशिक्षा लागू कर देनी चाहिए।

एम० ए० के लिए भी सभी कालेजों में सुविधायें दी जानी चाहिएं । कुछ विश्व-विद्यालय उन कालेजों को यह सुविधा नहीं दे रहे हैं । यह बात देशहित में नहीं है ।

यह भी देखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग साधारणतया उन्हीं लोगों को इन्टर-व्यू के लिये बुलाता है जिनकी सफलता प्रथम श्रेणी में होती है । यह बात भी ठीक नहीं है । देश के कुछ विश्वविद्यालय कुछ कारणों से बहुत कम लोगों को प्रथम श्रेणी में पास करते हैं जबकि कुछेक बहुत से विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में पास करते हैं । इस कारण शिक्षा के स्तर में एक साम्य स्थापित किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम लागू करके युवकों के मार्ग में एक बड़ा अवरोध उपस्थित कर दिया है । न तो उन्हें नौकरियां मिलती हैं और न ही वे दुबारा पढ़ सकते हैं । इस कारण आयोग की यह सिफारिश हानिकर है । इस पर सरकार को दुबारा विचार करना चाहिए।

†**श्री थानु पिल्ले** (तिरुनेलवली): यह प्रतिवेदन बहुत ही उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया गया है। अंग्रेजी की अपेक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में माध्यम करने के लिये हम उतारू हैं। किन्तु

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानु पिल्ले]

इस प्रतिवेदन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है कि माध्यम में परिवर्तन करने के पश्चात भी अंग्रेजी का अध्यापन उच्चास्तरीय स्तर पर किया जाये। मैं यह सोच रहा हूं कि यदि सभी विश्वविद्यालयों के माध्यम क्षेत्री भाषा में हो जायं तो उस समय स्थिति क्या होगी उस समय संभवतः एक विश्वविद्यालय के इंजीनियर तथा दूसरे विश्वविद्यालय के इंजीनियर, डाक्टर, आदि के बीच में आपसी कार्य चलाने के लिये भी निर्वचन करने वालों की आवश्यकता पड़ेगी। माध्यम परिवर्तन करने का निर्णय करते समय इसमें आने वाली कठिनाइयों को हम भूल गये हैं। क्षेत्रीय भाषाओं को व्यर्थ में ही इतना महत्व दिया गया है कि हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से न सोचकर क्षेत्रीय दृष्टिकोण से सोचने लगे हैं। अतः राष्ट्रीय ढांचे में अंग्रेजी को चाहे जो महत्व दिया जावे किन्तु शिक्षा के मामले में हमें क्षेत्रीयवाद को रोकना चाहिये।

क्षेत्रीय भाषाओं के नेता तथा पंडितों के मस्तिष्क में यह बात आ गई है कि अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों के स्थान पर अपनी भाषा के ही शब्द गढ़े जायें। किन्तु ऐसा करने से तो थोड़ी बहुत जो समानता एवं भाषाओं में आपस में सम्बन्ध हैं वे समाप्त हो जायेंगे। मेरी राय में यदि वैज्ञानिक प्रविधिक, विधिक, आदि विषयों के लिये समान शब्द बनाये जायें तो इससे भाषा का माध्यम चुनने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। किन्तु अभी तक कोई ऐसी पारिभाषिक शब्दावलि तैयार नहीं की गई है जो सभी भाषाओं में लागू हो सके। अतः मेरा निवेदन है कि भाषा का माध्यम निश्चित करते समय शिक्षा का पुनर्गठन करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय इस पर अच्छी तरह विचार करले।

अब प्रश्न यह उठता है कि उन सम्बद्ध कालिजों अथवा विश्वविद्यालयों का क्या होगा जो अपने यहाँ माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी ही रखना चाहते हैं। क्या अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार उन्हें अनुदान देगी?

कालिजों से पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को हटाकर उसे हाईस्कूल में रखने से उस पाठ्यक्रम में समन्वय नहीं होगा। क्योंकि सभी हाई स्कूलों का स्तर एक समान नहीं है। अतः पढ़ाई का स्तर विभिन्न होगा इसलिये पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के समन्वय की बात नहीं भूलनी चाहिये।

अनुदान आयोग ने जो नये वेतन स्तर निर्धारित किये हैं उन वेतनों के अन्तर की पूर्त्ति के लिये वह ५० प्रतिशत अनुदान देगा। किन्तु साथ ही उसने यह भी कहा है कि यह ५० प्रतिशत का अनुदान वह उस समय तक नहीं देगा जबतक कि राज्य सरकारें इस मद में २५ प्रतिशत का भुगतान नहीं करतीं। मैंने स्वयं देखा है कि मद्रास सरकार ने अपने भाग का २५ प्रतिशत अनुदान देने से इन्कार कर दिया है अतः वहां अध्यापकों को अनुदान द्वारा निर्धारित वेतन नहीं मिल सका।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन में और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय नहीं किया जाता तब तक बहुत खतरा है। देश में भावी पीढ़ी के अभिभावकों को बहुत कम वेतन मिलता है अतः इस बात का डर है कि कहीं वह बहुत सी बुराइयों की जड़ न बन जाये। हो सकता है यह कारण उनमें अनुशासन हीनता पैदा करे। अतः इसके उत्तरदायी हम हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान तो विश्वविद्यालयों की देख रेख कर रहा है। मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्रालय प्राथमिक पाठशालाओं और हाई स्कूलों के लिये भी कुछ करे। और उनके अध्यापकों के वेतन स्तर के बारे में राज्य सरकारों से कुछ प्रबन्ध करें। मेरा निवेदन है कि प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक बहुत कुशल होने चाहियें क्योंकि प्रारम्भिक अवस्था में ही अच्छे ढंग से बालक को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। मेरा निवेदन है कि प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक के लिये कम से कम पी० यू० सी० अथवा माध्यमिक पाठशाला का सर्टीफिकेट प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में अब हमें अधिक प्रयोग नहीं करने चाहिये। जो भी निर्णय करें वह सोच समझ कर करें जल्दी से निर्णय करके देश को भावी पीढियों की क्षमता एवं उनकी योग्यता को आधात न पहुचायें।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों ने शिक्षा के माध्यम के सवाल को राजनैतिक सवाल बना दिया है। अगर इसको एक राजनैतिक सवाल न बना कर एक अमली तरीके से लिया जाता, तो हिन्दुस्तान के भविष्य के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा रहा होता। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह से लोग एक गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं कि हम किसी विदेशी भाषा के स्थान पर किसी देशी या राष्ट्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बना कर कोई गलती कर रहे हैं। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि यदि कोई ऐसी भाषा है, जो हिन्दुस्तान में अब तक नहीं पढ़ाई जाती है और उस भाषा के जरिये शिक्षा का प्रचार और प्रसार इस देश में जल्दी और आसानी से हो सकता है, तो उसी भाषा में शिक्षा दी जाये और उसी के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाये। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न तो यह है कि जिस भाषा की इतनी वकालत की जाती है—अंग्रेजी भाषा की, इस देश में उसको डेढ़ सौ साल तक पढ़ाए जाने के बाद भी आज कितने लोग ऐसे हैं, जो कि उस भाषा में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं? मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वह इस तरह के आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश करें कि कितने विद्यार्थी आज भी अंग्रेजी भाषा में फेल होते हैं और दूसरे विषयों में फेल नहीं होते हैं। यह रट लगाई जाती है—पहले यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन लगाता है और उसके बाद यहां पर माननीय सदस्यगण लगाते हैं—कि हमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से प्रादेशिक भाषाओं में या हिन्दी में नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री महोदय या हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को कोई डायरेक्शन दी गई थी कि वह शिक्षा के माध्यम के बारे में जांच-पड़ताल करे। जहां तक उस ऐक्ट का सवाल है, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्उ कमीशन अपना काम चलता है, उसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन यूनिवर्सिटी में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल करेगा। उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन इस सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल करेगा कि यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माध्यम क्या हो। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन एक्ट, १९५६ की दफा २० में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में आयोग नीति संबंधी प्रश्नों के मामलों में उन्हीं अनुदेशों का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जायें। शिक्षा के माध्यम का सवाल एक सा सवाल है जो कि अखिल भारतीय नीति का सवाल है—वह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश दिया कि आप इसको देखिए और यदि नहीं दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को इस तरह राजनीति में अपना दखल देने की और शिक्षा माध्यम के सवाल

[श्री ब्रजराज सिंह]

को इतना महत्वपूर्ण बनाने की क्या आवश्यकता थी। कमीशन के चैयरमैन महोदय के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और कहा गया है कि उन्होंने बहुत सेवायें की हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। अगर उन्होंने सेवायें की हैं, तो अच्छा किया है। हर एक नागरिक का यह फर्ज है कि वह देश की सेवा करे, लेकिन वह चेयरमैन महोदय न सिर्फ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने की कोशिश एक कमेटी बना कर करते हैं, बल्कि सारे मुल्क में एक राजनैतिक नेता के रूप में भाषण करते फिरते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्रादेशिक भाषाओं या हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बना कर हम गलती करेंगे और अंग्रेजी को बहुत समय तक जारी रखने की जरूरत है। उसको कितने समय तक जारी रखने की जरूरत है, वह एक अलग प्रश्न है, लेकिन मैं यहां पर एक नीति का सवाल उठाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की सरकार के द्वारा और इस पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट पर अमल करने के लिए जो अधिकारी रखे गए हैं, क्या उनको यह हक हासिल है कि वह उस नीति के विरुद्ध प्रचार करते फिरें ? हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल ३४३ में कहा गया है--"कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी।" उसके बाद बहुत सी बातें कही गई हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि पंद्रह साल तक अंग्रेजी का अबाध रूप से उपयोग किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि इस सदन को यह अधिकार हासिल है कि वह इस व्यवस्था को बदल सकता है और अगर वह बदल देगा, तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन जब तक हिन्दुस्तान का संविधान बदला नहीं जाता है, तब तक हम को वर्तमान व्यवस्था को मान कर चलना होगा। मेरे मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को आठवें शिड्यूल में शामिल कर लिया जाये। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। प्रोफेसर रंगा और श्री थानु पिल्ले कहते हैं कि इस विषय में परिवर्तन धीरे-धीरे किया जाये। श्री थानू पिल्ले ने यह भी कहा कि अंग्रेजी करेन्ट कामन लैंग्वेज है और वह शायद बहुत समय तक---पीढ़ियों तक करेन्ट कामन लैंग्वेज रहेगी। वह एक राजनैतिक व्यक्ति हैं और इसलिए उनको अपनी राय जनता में प्रकट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन संविधान की धारा ३४३ के रहते हुए और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन एक्ट, १९५६ में ऐसी कोई व्यवस्था न रहते हुए और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरह की कोई डायरेक्शन न दिये जाने पर भी यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन एक कमेटी बनाता है। किस लिये ? उस कमेटी के विषय में कहा गया है :--

"शिक्षा के माध्यम संबंधी समस्याओं की जांच करने और यूनिवर्सिटी स्टेज पर अंग्रेजी में प्रोफिशेन्सी बनाये रखने के उपायों की सिफारिश करने के लिये कमीशन द्वारा नियुक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कमीशन ने उसे स्वीकार कर लिया है।"

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस नीति के मुताबिक किया गया है। इस के पीछे अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा षड़यंत्र चल रहा है और वह षड़यंत्र यह है कि हिन्दुस्तान के कुछ लोग-मुश्किल से एक फीसदी लोग---चाहते हैं कि वे हमेशा हमेशा के लिए हिन्दुस्तान की राजनीति पर कब्जा किए रखें और उन लोगों को किसी तरह से भी राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार न दिया जाये जो कि डेढ़ सौ वर्षों की अवधि में भी अंग्रेजी में योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं और भविष्य में भी उस में योग्यता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं समझ नहीं सका हूं कि किस तरह से मेरे मित्र फ्रैंक एन्थनी साहब या प्रोफेसर रंगा साहब या थानु पिल्ले साहब यह कहते हैं कि किसी प्रादेशिक भाषा में किसी रिजनल भाषा में यूनिवर्सिटी

स्टेज पर पढ़ाई नहीं हो सकती है, उसको मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन नहीं बनाया जा सकता है । यह कहा जाता है कि जिस यूनिवर्सटी में मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन प्रादेशिक भाषा होता है तो कमिशन उसकी ग्रांट को रोक दे, यह किस आधार पर कहा जाता है, मेरी समझ में तो आता नहीं है। मैं अपने माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या रिजनल लेंगुएजिज में, प्रादेशिक भाषाओं में, चाहे वह कोई भी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, बंगला हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, उसमें पढ़ाई आसानी से हो सकती है या किसी भाषा में हो सकती है, जो कि हमारी मातृभाषा नहीं है। मेरा अंग्रेजी से कोई रोष नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्यों मेरे मित्र यह कहते हैं कि जो टैक्नलाजिकल वर्डस् हैं, जो टैक्निकल शब्द हैं वे प्रादेशिक भाषाओं में नहीं हैं या हिन्दी में नहीं है, क्या उनमें उनको बनाया नहीं जा सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या रूस ने जो स्पूतनिक का आविष्कार किया है और चन्द्रमा तक भेजा है, क्या वह अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा भेजा है? मैं जानना चाहता हूं कि जर्मनी में जो आविष्कार हुए हैं, क्या उन्होंने ये काम अंग्रेजी का आश्रय ले कर किये हैं? मुझे यह सुन कर अफसोस हुआ है कि आज भी यह कहा जाता है कि सारे का सारा काम अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन मुझे तो आज ऐसा लगता है कि यह सवाल नहीं है कि किस माध्यम से काम होना है। असल बात यह है कि जिस राष्ट्र की भाषा समृद्ध होती है, जो राष्ट्र बलशाली होता है, जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है, जिस राष्ट्र की राजनीति चलती है, उसी की भाषा को लोग स्वीकार करना चाहते हैं, कुछ लोग उसकी भाषा को अपनाना चाहते हैं, उसी के द्वारा काम करना चाहते हैं। एक वक्त था जब ब्रिटेन दुनिया पर छाया हुआ था और उसकी वजह से अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ा। इसी तरह से आज रूसी का या चीनी का प्रभुत्व भी बढ़ सकता है और इसके साथ साथ इन राष्ट्रों का प्रभुत्व भी बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। ऐसी हालत में हिन्दुस्तान के नागरिक ही नहीं, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के माननीय सदस्य यह कहें कि कुछ समय के लिए नहीं बल्कि बहुत बहुत समय तक के लिए अंग्रेजी भाषा या किसी और भाषा को माध्यम रखना पड़ेगा, तो यह खेदजनक बात ही होगी।

मैं कहना चाहता हूं कि कमिशन को मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन के बारे में शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई समिति नियुक्त करने का तथा उसके द्वारा कोई निश्चय करवाने का कोई अधिकार नहीं था और जब कभी इस तरह की कोई बात कही जाती है तो मैं कहूंगा कि सरकार को ऐसे कमिशन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिये। लेकिन सरकार कहती है कि वह उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती है। डा० श्रीमाली साहब ने राज्य सभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि कमिशन स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के संविधान की धाराओं के खिलाफ या पार्लियामेंट द्वारा जो सन् १९५६ में एक्ट बनाया गया था, उसकी धाराओं के खिलाफ कमिशन कोई काम करता है या हमारी घोषित नीति के खिलाफ काम करता है, तो क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें? मुझे तो यह षड़यंत्र मालूम पड़ता है जब यह कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा को हमेशा हमेशा के लिए हिन्दुस्तान पर थोपे रखना चाहिये, अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को बनाये रखना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लोग हासिल न करें, या रुसी या चीनी भाषा का ज्ञान अर्जित न करें। उनको जितना ज्ञान हो सकता है अर्जित करना चाहिये और न केवल अंग्रेजी का बल्कि जितनी भी भाषाओं का हो सकता है अर्जित करना चाहिये। लेकिन अगर कमिशन इस तरह का व्यवहार करे कि

[श्री ब्रजराज सिंह]

जो यूनिवर्स्टी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती है उसे ज्यादा ग्रान्ट दी जाएगी और उसके बारे में हिन्दुस्तान की सरकार के मंत्री यह कहें कि हम दखल नहीं दे सकते ह, जिस तरह से वह चाहे काम कर सकता है, तो यह सोचने वाली बात हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट द्वारा निश्चित तथा सरकार द्वारा घोषित नीति के खिलाफ है और इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिये।

मैं समझता हूं कि यूनिवर्स्टी ग्रान्ट कमिशन ने इस बात को कह कर तथा अपनी सिफारिशें करके कि विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी के स्थान पर एक भारतीय भाषा में शिक्षा का माध्यम बदलने में जल्दी नहीं करनी चाहिये ठीक नहीं किया है। इसके साथ ही साथ उसने करीब १४ और सिफारिशें भी की हैं और उनसे यही दिखाई देता है कि कहीं पर कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे कि अंग्रेजी का महत्व कम हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आज अंग्रेजी से इतना प्रेम क्यों है। अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे तो थोड़े से लोग शासन में रह सकते हैं या राजनीति में रह सकते हैं, क्या इसलिए यह प्रेम है मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को कमेटी में लिया गया था जिसने मीडियम आफ इंस्ट्रक्शंनस के बारे में अपनी सिफारिशें की थीं, उनमें से साहित्य के कितने ज्ञाता थे, चाहे बंगला साहित्य के हों, पंजाबी साहित्य के हों, मलयाली साहित्य के हों, कन्नड़ साहित्य के हों या किसी और भाषा के साहित्य के हों। यह बात सर्वविदित है, सर्वमान्य है कि हिन्तुस्तान की भाषाओं में सब से ऊंचा और सबसे अच्छा साहित्य बंगला भाषा का है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने माननीय सदस्यों को बंगला साहित्य का पता था और क्या कलकत्ता यूनिवर्स्टी में बंगला भाषा के माध्यम के द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती है? लेकिन यह सब नहीं किया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता है कि हिन्दी भाषा के साहित्य से बंगला भाषा का साहित्य अच्छा है और यह कोई भी बता सकता है जो साहित्यिक हो या जिस को साहित्य के बारे में कुछ ज्ञान हो। लेकिन यही रट लगाते रहना कि भारतीय भाषाओं का साहित्य अच्छा नहीं है, इस वास्ते उनको शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है और अंग्रेजी को हटाया नहीं जा सकता है, मेरे विचार में बिल्कुल गलत है। मेरा निवेदन यह है कि एक बहुत बड़ा षड़यंत्र चल रहा है और यह हल्के तरीके से लेने की बात नहीं है। यह भी एक प्रकार से षड़यंत्र है कि जब कोई कहता है कि अंग्रेजी को आठवें शैड्यूल में शामिल कर लिया जाए। एक तरफ तो आठवे शैड्यूल में शामिल करने की बात की जाती है और दूसरी तरफ साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इसको एक सौ साल तक हिन्दुस्तान में रखा जाए जिस का समर्थन में नहीं कर सकता हूं। ऐसी बांत नहीं है कि मेरा अंग्रेजी से विरोध है या उससे मेरी दुश्मनी है। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान की शिक्षा और राजनीति इत्यादि किस भाषा में चल सकते हैं। क्या उसी भाषा में ये चल सकते हैं जो भाषा कि डेढ़ सौ साल तक यहां पर चली और तमाम कोशिशों के बाद भी एक परसेंट से अधिक लोग इसको सीख नहीं सके हैं? क्या आप हिन्दुस्तान में हमेशा हमेशा के लिए अशिक्षा को कायम रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए लोगों में ज्ञान का प्रसार नहीं करना चाहते हैं? क्या हम यह चाहते हैं कि हम कूपमंडूक बने रहें? अगर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आविष्कार हो सकते हैं तो भारतीय भाषाओं के माध्यम द्वारा भी हो सकते हैं। भाषायें भावनाओं को प्रकाशित करने के लिए होती हैं। जब भावनायें नहीं होंगी तब कोई काम नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों को यूनिवर्स्टी स्टेज पर, कालेज स्टेज पर अंग्रेजी के द्वारा पढ़ने पर मजबूर करके

हम उनकी भावनाओं की हत्या कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलता है कि वे कोई शोध खोज का काम कर सकें, भावनाओं का प्रकाशन कर सकें। उनको हमेशा इसी बात की फिक्र रहती है कि कहीं वे अंग्रेजी गलत तो नहीं बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। कहीं वे "ही" के स्थान पर "शी" या "इज" के स्थान पर "आर" तो नहीं लिख रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से उनके दिमागों तथा दिलों में हीनता की भावना पैदा होती है और उसका परिणाम यह होता है कि उनकी भावनाओं का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है।

जहां तक यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन की नीति का सम्बन्ध है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम देखें कि वह अपनी चार दीवारी में रह कर ही काम कर रही है, अपने दायरे से बाहर तो नहीं जा रही है, जो हम ने संविधान बनाया है, उसकी धाराओं का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, जो एक्ट पास किया है, उसके खिलाफ काम तो नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कितना ही महान पुरुष इसका चेयरमैन हो, कितने ही महान इसके मेम्बर हों, आज जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, कल चाहे वे ही क्यों न इस कमिशन के चेयरमैन हो जायें, लेकिन उन सब को कानून के मातहत रह कर काम करना होगा, इस सदन द्वारा निर्धारित की गई नीति के आधीन काम करना होगा और इसके खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है, तो इस सदन को बहुत ही सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा और सोचना होगा कि क्या कुछ किया जा सकता है।

मैं समझता हूं यहां कई विदेशी शक्तियां कार्य कर रही हैं और वे चाहती हैं कि अंग्रेजी हमेशा हमेशा के लिये हिन्दुस्तान की छाती पर सवार रहे। ब्रिटिश काउंसिल लगातार इस बात का प्रचार करती है कि अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान से न जाये, हमेशा ही शिक्षा का माध्यम बनी रहे।

कई बार नौकरियों की बात भी उठाई जाती है और कहा जाता है कि जिस ने शिक्षा तमिल में या कन्नड़ में या मलयालम में पाई है या किसी और भाषा में पाई है, उसको कैसे नौकरी मिल सकती है। अभी तक तो नौकरी का सवाल नहीं है। लेकिन जब उठे तब मैं चाहूंगा कि ऐसा किया जाये कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं, हिन्दी में उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं या नहीं हो सके हैं, दूसरी भाषा जानते हैं और उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, उनको नौकरी मिल जाये। लेकिन अभी यहां नौकरी का सवाल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक विचारधारा का सम्बन्ध है, क्या आप उनको आज भी अंग्रेज़ी का गुलाम बनाये रखना चाहते हैं? अगर नहीं तो क्या कारण है कि हमेशा हमेशा के लिये अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा देने की बात की जाती है? यह कह कर कि प्रादेशिक भाषाओं को नहीं अपनाया जाना चाहिये हम गुलामी को हमेशा के लिये कायम रखना चाहते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि कमिशन द्वारा समिति का बनाया जाना और उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया जाना ठीक नहीं था और उसके खिलाफ मैं ज़ोरदार शब्दों में अपना रोष व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करे और जो कमिशन द्वारा या समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया है, उसको नामंजूर कर दे और कह दे कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

आप देखें तो आपको पता चलेगा कि करीब बीस यूनिवर्स्टियां इस तरह की हो सकती हैं कि जिन में शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषायें हो सकती हैं जिन का जिक्र संविधान में किया गया है। लेकिन केवल एक सागर यूनिवर्स्टी ही ऐसी है जिस के बारे में कहा गया है कि उसका माध्यम हिन्दी है। इस रिपोर्ट के एपेंडिक्स सी, पेज २६ में बताया गया है कि किस किस यूनिवर्स्टी को कितनी कितनी ग्रान्ट दी गई है। इसको देखने से पता चलता है कि सागर यूनिवर्स्टी को सब से कम ग्रान्ट मिली है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सागर यूनिवर्स्टी को इसलिए सब से कम ग्रान्ट मिली है कि वहां पर हिन्दी शिक्षा का माध्यम है और दूसरी यूनिवर्स्टीज़ को इसलिए अधिक ग्रान्ट

[श्री ब्रजराज सिंह]

दी जा रही है कि वहां पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है। अगर यह वजह नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्यों उसको कम ग्रान्ट दी गई है ? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या कमिशन ने कोई इस तरह के नियम बनाये हैं, कोई इस तरह की नीति निर्धारित की है कि किस यूनिवर्स्टी को किस आधार पर और कितनी ग्रान्ट दी जायेगी ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जहां तक अलीगढ़ यूनिवर्स्टी का ताल्लुक है उसको पिछले साल में टोटल ग्रान्ट ५१ लाख ५४ हज़ार ४१८ रुपया मिली है और उसके मुकाबले में बनारस यूनिवर्स्टी को जहां पर कि तीन साढ़े तीन गुना उससे विद्यार्थी हैं केवल ५४ लाख २४ हज़ार ७९० रुपये ही मिले हैं इसका क्या कारण है ? अगर आपके पास इसके बारे में कोई नियम नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के नागरिकों की गाढ़ी कमाई का बीस करोड़ रुपया जो हमने यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन के ज़िम्मे सौंपा है, उसको हम इस तरह से बरबाद होते नहीं देख सकते हैं। सिर्फ अपनी मनमानी पर जिसको जितना चाहा दे दिया, यह नहीं हो सकता। इसके लिये स्पष्ट नीति निर्धारित होनी चाहिये। यह काम किन्हीं हाथों में इस तरह सुपुर्द नहीं किया जा सकता कि जिसको जितना चाहा दे दिया। इस में पक्षपात हो सकता है। हमने यदि यह रुपया यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमीशन के अधिकार में न दिया होता तो बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने उत्तर भारत में अपनी शिक्षा का माध्यम हिन्दी कर दिया होता। मद्रास और दक्षिण भारत की बहुत सी यूनीवर्सिटियों ने अपने यहां अपनी प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना दिया होता। आज एक हमला चल रहा है कि किसी तरह से प्रादेशिक भाषाओं को या राष्ट्र-भाषा को शिक्षा का माध्यम न बनने दिया जाये और इस हमले को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है इसलिये कि कुछ विदेशी शक्तियां यह चाहती हैं कि हमेशा हमेशा के लिये उनकी भाषा यहां चलती रहे और हम गुलामी की प्रवृत्ति में बंधे रहें। तो मैं कहूंगा कि इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। इस देश की भाषा को प्रचलित करने के लिये इस पार्लियामेंट ने जो नीति निर्धारित की है, हमारे देश के संविधान ने जिस भाषा को प्रचलित करने का आदेश दिया है और जिसके लिये ऐक्ट बना है उस उद्देश्य को पूरा करने वाली हमारी नीति होनी चाहिये।

एक बात यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमीशन ने यह कही है कि हमें विद्यार्थियों के दाखिले को सीमित करना चाहिए। यह कौनसी नीति है। एक तरफ आप चाहते हैं कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिये और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि विद्यार्थियों का दाखिला सीमित किया जाये। इसके माने क्या हैं। क्या आप वर्ग विशेष को ही शिक्षा देना चाहते हैं। कुछ वर्गों को तो शिक्षा अभी भी नहीं मिल रही है। होना तो यह चाहिये था कि इस प्रकार की सिफारिश की जाती कि ऐसे वर्गों को जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है सरकार की सहायता से शिक्षा दी जाये। लेकिन अब कोशिश यह हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र को ही सीमित कर दिया जाये। मैं कहना चाहता हूं कि यह सिफारिश करने में यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमीशन ने गलत दृष्टिकोण अपनाया है। इससे तो शिक्षा का क्षेत्र सीमित होगा, शिक्षा का प्रसार कम होगा। हमें तो शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना है ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने को विद्वान बना सकें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): मैं देखता हूं कि इस आयोग में जनता का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। साथ ही इस आयोग पर भारत के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का ही एका-धिकार नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से कुछ लब्ध प्रतिष्ठित अध्यापकों को भी इसमें स्थान मिलना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि इसकी रचना के बारे में विचार करना चाहिये और हमारे देश की नई आवश्यकताओं के अनुसार इसका निर्माण होना चाहिये।

---

†मल अंग्रेज़ी में

इस आयोग के दो उच्चपदाधिकारी १७ सप्ताहों तक देश के बाहर रहे। समझ में नहीं आता कि उनकी अनुपस्थिति में आयोग ने किस प्रकार अपना कार्य चलाया। मेरा निवेदन है कि आवश्यकता पड़ने पर ही व्यक्तियों को बाहर भेजना चाहिये अन्यथा बाहर भेजने की आदत नहीं बनानी चाहिये। क्योंकि व्यक्ति बाहर से बहुत से विचार लाते हैं जिन्हें हम अपने यहां अपना नहीं सकते।

अध्यापन कार्य के नैतिक स्तर को उठाने की दृष्टि से अथवा शैक्षिक स्तर को उठाने की दृष्टि से—और विशेष रूप से सम्बद्ध कालिजों के अध्यापकों के लिये--आयोग को अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्यों के विद्यालय की स्थिति बहुत ही अच्छी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः मेरा निवेदन है कि अनुदान इस सम्बद्ध कालिजों की ओर विशेष रूप से ध्यान दे। वहां काम करने वाले अध्यापकों के प्रति दयालुता और सहिष्णुता से काम लें। इन अध्यापकों के वेतन के लिये अनुदान ने अभी एक अनुसूची तैयार की है। यह सूची कोई बहुत उदारतापूर्ण तो नहीं है किन्तु फिर भी वर्तमान स्थिति में विकास करती है। यदि आयोग और भी दयालुता से कार्य ले तो मेरा विश्वास है कि अध्यापकों की दशा अवश्य ही सुधरेगी।

मेरा निवेदन है कि अनुदान को विश्वविद्यालयों के भवनों के लिये अनुदान न दे कर वहां काम करने वाले अध्यापकों एवं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अधिक देखभाल करनी चाहिये। भवनों की ओर तो और भी व्यक्तियों का ध्यान जाता है किन्तु अध्यापकों और विद्यार्थियों की बात कोई नहीं सोचता। अतः भवनों की ओर दिया जाने वाला धन अध्यापकों और विद्यार्थियों के कल्याण के लिये दिया जाये।

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के बारे में हम जितनी कम से कम चर्चा करें उतना ही अच्छा है। हमें इसकी चर्चा करने की अपेक्षा उनके कल्याण की चर्चा अधिक करनी चाहिये। विद्यार्थियों में इस अनुशासनहीनता का एक कारण विश्वविद्यालयों में स्थानाभाव और विद्यार्थियों की अधिक संख्या है। वहां काफी मात्रा में छात्रावास नहीं हैं। यह हाल बड़े शहरों का ही नहीं है अपितु हर जगह यही हाल है। अतः विद्यार्थियों के लिये अधिक छात्रावासों की व्यवस्था करनी चाहिये तथा उन्हें सामाजिक बौद्धिक सुविधाएं भी देनी चाहिये। यदि आयोग ने इतना कर दिया तो मैं समझता हूं कि उसने विद्यार्थियों के कल्याण के लिये बहुत कुछ कर दिया। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये भी आयोग को कुछ अनुदान देना चाहिये।

शिक्षा के माध्यम की समस्या को हल करने के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय का साथ ही यह भी कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय भावना को बढ़ाये। मेरा निवेदन है कि देश में लोगों में हार्दिक एकता राष्ट्र भाषा हिन्दी के पढ़ने और उसका प्रसार और प्रचार करने से ही आयेगी। मेरा विचार है कि कोई भी विश्वविद्यालय राष्ट्रभाषा के लिये कुछ किये बिना अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकता। साथ ही हमें यह भी देखना है कि मानवसंस्कृति शास्त्र के माध्यम के लिये ही अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी को नहीं लाना है बल्कि आवश्यक विज्ञान के क्षेत्र में भी हिन्दी को माध्यम बनाना है।

अतः मेरा निवेदन है कि आयोग को देश की शिक्षा की समस्याओं के बारे में न्यायपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण प्रतिवेदन देने चाहियें। इसे विद्यार्थियों के कल्याण के लिये भी कुछ करना चाहिये।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : आयोग ने दूरदर्शिता के क्षेत्र में ही कमी नहीं दिखाई है बल्कि लाभदायक समन्वय में भी कमी दिखाई है। जितना काम कि एक अवर सचिव किसी मंत्री की देख-रेख में कर सकता था उस से अधिक काम इस आयोग ने नहीं किया है। यह आयोग घट कर शिक्षा मंत्रालय के एक ब्यूरो के स्तर पर आ गया है।

आयोग के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जो विश्वविद्यालय अंग्रेज़ी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम करना चाहते हैं उन्हों ने उन भाषाओं में आवश्यकता के अनुसार कितना साहित्य तैयार किया है। आयोग का कहना है कि १२ विश्वविद्यालयों ने शिक्षा का माध्यम बदलने का निश्चय किया है।

मेरा निवेदन है कि हम अंग्रेज़ी को शिक्षा के क्षेत्र से अभी नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि अंग्रेज़ी को अभी रुकना है। चीन और रूस में भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बड़ी रुचि के साथ अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः हमारे राष्ट्रीय जीवन में भी इसे स्थान मिलना चाहिये। यदि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु फिर भी अंग्रेज़ी का स्थान सम्माननीय है और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आयोग तथा सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि अंग्रेजी रहे।

मेरा विचार है कि यह बड़े दुख की बात होगी यदि झूठी देश भक्ति के आधार पर हम अपने विश्वविद्यालयों में अंग्रेज़ी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं में माध्यम कर दें। अगर हमारे देश में एक भाषा हो जाये तो विश्वविद्यालयों में उसे माध्यम मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः मेरा निवेदन है कि जब तक वह समय नहीं आता तब तक अंग्रेज़ी ही बनी रहनी चाहिये।

जब तक हिन्दी वालों की भावना शिष्ट शब्द बनाने की रहेगी तब तक वे अहिन्दी वालों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। अतः यदि संस्कृत को आज राजभाषा बनाया जाता है तो विश्वविद्यालयों में इसे माध्यम के रूप में स्वीकार करने में हम इस का स्वागत करेंगे। किन्तु यदि हिन्दी इसी वर्तमानरूप में शिक्षा का माध्यम बनती है तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा।

आज जब देश में अधिक से अधिक शिक्षा की आवश्यकता है तो आयोग विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कहता है। क्योंकि हमारे पास साधनों की कमी है। आप के पास आज साधनों की कमी है तो क्या आप भावी पीड़ी को अज्ञानता के गर्त में ढकेलना चाहते हैं। अगर हमारे पास साधनों की कमी है तो क्यों न अपनी शिक्षा संस्थाओं में हम तीन पारी चालू कर दें। इस प्रकार सीमित साधनों के होते हुए भी तीन गुने विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं। चीन में मैं ने देखा है कि वहां विद्यार्थियों के लिये आलीशान भवन नहीं हैं वे साधारण से स्थानों पर ही शिक्षा पाते हैं और उन के विद्यार्थियों की संख्या दुगनी हो गई है। फिर क्यों न हम कोई ऐसी व्यवस्था सोचें जिस से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण उपयुक्त अध्यापन व्यवस्था का अभाव है तथा अमानवीय स्थितियों में उन का रहना है। अतः उन के रहने के ढंग में सुधार करना चाहिये। अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि सभी दलों तथा ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों को मिल कर इस समस्या का हल ढूंढना चाहिये और देश में एक नियम बना देना चाहिये कि कोई भी विद्यार्थी राजनीति में भाग नहीं लेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : प्रारम्भ में मैं आयोग की शानदार सेवाओं की सराहना करता हूं । परन्तु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं उस की कुछ भूलों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाऊं । पहली बात तो यह है कि यह आयोग एक सरकारी संस्था की तरह ही काम कर रहा है । आयोग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है । जहां तक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का प्रश्न है, वह अपनी कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकता है, न वह कोई नीति बदल सकता है । प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है यहां के कुछ अधिकारी अपना सामान्य कार्य करने के बजाय दूसरा काम करते रहते हैं । स्वयं सचिव महोदय ही मास में १५ दिन अनुपस्थित रहते हैं । जब भी कभी कोई उपकुलपति अथवा कोई अन्य उच्चाधिकारी उन से परामर्श करने अथवा आदेश लेने आता है तो वह नहीं मिलते । इस से आने वाले व्यक्ति को काफी निराशा होती है ।

दो अधिकारी और हैं । एक तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो काफी योग्यता से कार्य कर रहे हैं । लेकिन इन को विशेषज्ञ नहीं कहा जा सकता और यह एक विशेषज्ञ जैसी राय भी नहीं दे सकते । अतः वह विश्वविद्यालयों को समुचित अनुदेश अथवा परामर्श नहीं दे सकते । इस काम पर किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करना चाहिये । इसी प्रकार एक विकास अधिकारी है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं । बताया गया है कि उन्हें वेतन वृद्धि दी गई है । मैं इस की सराहना करता हूं ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के मामले में लेखा परीक्षक ने आपत्ति की है, उन का कहना है कि जबकि पहले के अनुदान ही खर्च नहीं किये गये तो और क्यों दिये जा रहे हैं ? मैं इस बात पर जोर दूंगा कि जब तक खर्च के लिये कोई समुचित और निश्चित योजना न बना ली जाये, अनुदान नहीं दिये जाने चाहियें । रुपया देते समय आयोग को यह देख लेना चाहिये कि जो रुपया वह स्वीकृत कर रहा है वह ठीक प्रकार से निर्मित योजना पर ही खर्च होगा । अतः इस दृष्टि से मैं लेखा परीक्षक की आपत्ति को ठीक मानता हूं और चाहता हूं कि सरकार उस की ओर समुचित ध्यान दे ।

भाषा के सम्बन्ध में मैं केवल एक ही बात कहूंगा । यह ठीक है कि हमें अपनी भाषा का निर्माण करना चाहिये और अंग्रेज़ी हमारी अपनी भाषा नहीं, तथापि हमें भाषा के प्रश्न को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये । लगभग २०० वर्ष से अंग्रेज़ी हमारी सरकारी भाषा के रूप में चलती आ रही है और जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कोई भी भाषा इस का स्थान लेने के उपयुक्त दिखाई नहीं देती । जहां तक 'राष्ट्र भाषा' का प्रश्न है, उस के लिये मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद ३५१ में 'राष्ट्रभाषा' नाम का कोई शब्द नहीं । वास्तव में सारी चौदह प्रादेशिक भाषायें हमारी राष्ट्र भाषायें हैं । मैं समझता हूं इस में कोई विवाद की बात नहीं है । मैं यह भी नहीं मानता कि सारी भाषायें संस्कृत से निकली हैं । मैं इस बात पर जोर दूंगा कि भाषा सम्बन्धी नीति को शनैः शनैः और थोड़ा सावधान हो कर कार्यान्वित करना चाहिये । भाषा की अदला बदली के कारण स्कूलों और कालिजों में शिक्षा का स्तर काफी गिर गया है ।

जहां तक शताब्दी अनुदानों का सम्बन्ध है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को एक एक करोड़ रुपया मंजूर किया गया था लेकिन वास्तव में कोई ४०–४५ लाख रुपया ही दिया गया । बम्बई और कलकत्ता ने कोई योजना या 'ब्लू प्रिन्ट' प्रस्तुत नहीं किया कि वे किस तरह रुपया खर्च करेंगी । हालांकि मद्रास ने कुछ ठीक तरह से काम किया है फिर भी वह संतोषजनक नहीं है । इसलिये आयोग को चाहिये था कि इन विश्वविद्यालयों से पहले योजनायें मांगता कि वे किस तरह खर्च करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

हमारे यहां सम्बद्ध कालिज हैं और कई कालिज प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। लेकिन यहां जिस ढंग से शिक्षा दी जाती है वह अन्य विश्वविद्यालयों के ढंग से भिन्न है। यह चीज़ ग़लत है। हमारी शिक्षा का निश्चित और सामान्य आधार होना चाहिये। प्राइवेट संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिये।

पश्चिम बंगाल के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में वृद्धि करने के बारे में कुछ भेदभाव हुआ है और नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल के अध्यापकों में इस बात से बड़ा रोष है और वे चाहते हैं कि सभी अध्यापकों को अतिरिक्त रुपया दिया जाये और वेतन-क्रम में वृद्धि की जाये।

हमारे कालिजों और स्कूलों के विद्यार्थियों का स्तर गिरता जा रहा है और इस की एक वजह शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी के बजाय प्रादेशिक भाषाओं या राज भाषा का रखा जाना है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले में हमें धैर्य से काम लेना चाहिये और जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कुछ नये विश्वविद्यालयों का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि यह उन की अनुमति के बिना स्थापित किये गये। इस में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम भी है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं राष्ट्रपति ने इस विश्वविद्यालय की आधार शिला रखी थी और मैं समझता हूं कि आयोग का पद राष्ट्रपति के पद से ऊंचा नहीं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि आयोग की अनुमति के बिना उसे स्थापित किया गया। पंजाब के राज्यपाल ने इस के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए इसे एक ऐसा शिक्षा केन्द्र बनाने पर जोर दिया था जिस में पढ़े हुए लोग अपने विषयों में ही योग्य न हो वरन् सच्चे भारतीय हों, जिन में अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति गर्व की भावना हो और जिन में अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो, और जिन पर प्रत्येक परिस्थिति में निर्भर किया जा सके। उन्हों ने कहा कि यह विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा प्रणाली के वर्तमान असंतुलन को ठीक करने का काम करेगा। लेकिन खेद है कि शिक्षा प्रणाली को सुधारने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक भी बात नहीं कही और जो विश्वविद्यालय सुधार की शिक्षा की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, उसे एक पाई की सहायता नहीं दी जा रही। आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय को इस ओर ध्यान दे कर इस कमी को पूरा करना चाहिये।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं केवल विद्यार्थी कल्याण के प्रश्न का उल्लेख करूंगा। विद्यार्थी कल्याण के लिये आयोग ने केवल ५०,००० रुपया दिया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो सर्वेक्षण किया गया है उससे पता चला है कि विद्यार्थी कुपोषण के शिकार हो रहेहैं और वहां पाठ्य-पुस्तकों का काफी अभाव है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अन्य विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार का सर्वेक्षण करवाना चाहिये था और उन्हें विद्यार्थियों की कठिन स्थिति का पता लगाना चाहिये था ताकि उनमें अनुशासन की भावना पैदा की जाती।

मैं जानना चाहता हूं कि आयोग की १६५३ में स्थापना के बाद विद्यार्थियों के कल्याण के लिये क्या क्या किया गया है। उन्हें चिकित्सा सुविधायें देने और पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विद्यार्थी सहायता निधि आरम्भ की है, परन्तु

†मूल अंग्रेजी में

उसमें विश्वविद्यालयों द्वारा अंश देने वाली बात छोड़ देनी चाहिये और जो कुछ भी धन इस निधि में से देना ठीक समझा जाये, वह सीधे विश्वविद्यालयों को दे दिया जाना चाहिये। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि सामान अनुदान की बात को खत्म कर देना चाहिये और विद्यार्थी कल्याण के लिये आयोग को जो रुपया देना हो उसे वह सीधे विश्वविद्यालयों को दे। इसके लिये राज्य सरकारों की स्वीकृति कीं प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिये। यही एक कारण है कि बहुत से विश्वविद्यालय उस धन का उपयोग नहीं कर रहे जो कि उन्हें दिया जाता है। अतः इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते हुए मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी शिक्षा का माध्यम क्या हो इस पर काफी मतभेद के साथ विचार प्रकट किये गये। भारत की स्वाधीनता के बारह वर्ष बाद भी यह प्रश्न हमारे सामने इस तरह रक्खा जाय कि हमें माध्यम बदलना चाहिये या नही बदलना चाहिये, अगर बदलना चाहिये तो किस प्रकार बदलना चाहिये, यह केवल भारत में ही सम्भव है जहां पर कि गुलामी के चले जाने के बाद भी गुलामी की सींग अभी तक बरकरार मालूम पड़ते हैं।

स्वयं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने जो अपनी उपसमिति नियुक्त की थी डा० कुंजरू के सभापतित्व में, उस ने यह सिफारिश की है, और जितने भी कमीशन अभी तक बैठे हैं सब का विचार रहा है, कि जब प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा का माध्यम हो जायेगा तो उस के बाद भी अंग्रेज़ी एक अनिवार्य भाषा के रूप में जारी रहेगी। कुछ मित्रों ने यहां यह आशंका प्रकट की है, जैसे हमारे मित्र श्री थानु पिल्ले साहब ने, कि अगर भाषा का माध्यम या शिक्षा का माध्यम बदलना है तो उसे प्रादेशिक भाषा न होकर के जो हमारी अखिल भारतीय भाषा हो, यानी हिन्दी या अंग्रेज़ी जो आजकल है, वह ही रहने दी जाय। मैं समझता हूं कि वे समय के प्रवाह के विरुद्ध नहीं जा सकते। राज्यों के अन्दर अगर हम लोगों को मना सकते हैं तो इसी तरीके से कि वे अपनी प्रादेशिक भाषा के माध्यम के द्वारा शिक्षा पायें, और साथ ही यह हो कि विश्व ज्ञान के नाम पर जहां वह एक अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी को जारी रक्खें, वहां सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिन्दी को भी जारी करे रक्खें। इसी प्रकार से धीरे धीरे आज जो हमें कमी मालूम होती है, उस की हिन्दी की शिक्षा के द्वारा पूर्ति हो सकती है। कालान्तर में, पांच या दस वर्ष में, जो हिन्दी की कड़ी है वह सारे भारत को मिलाने में सफल हो सकेगी।

मैं यहां पर श्री खडिलकर साहब को बड़ी श्रद्धा की नजर से देखता आया हूं। लेकिन उन की दो बातें मेरी समझ में नहीं आईं। कल भाषण करते हुए उन्होंने चीन में जो शिक्षा की प्रगति हुई है उसके साथ रूसी भाषा का उल्लेख किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और मेरे जो भाई चीन हो आये हैं वे कृपा करके बतलायेंगे, कि क्या चीन में रूसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है या चीनी भाषा के माध्यम से दी जाती है ? रूसी भाषा उन लोगों को विश्व के ज्ञान और विज्ञान की जानकारी करा सकती है, यह दूसरी बात है। हम चाहे हिन्दी के पक्षपाती हों या भारतीय भाषाओं के पक्षपाती हों, लेकिन हम यह चाहते हैं कि अंग्रेजी द्वारा जो सारे विश्व के ज्ञान की कुंजी है उसे भी अपने हाथ में रक्खें हम उस की खिड़की को खुली रख कर उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ; लेकिन उसकी दासता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डा० वी० के० आर० वी० राव, ने अभी हाल में घोषणा की है कि दो तीन वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के माध्यम के द्वारा शिक्षा दी जायगी। इस बात को लेकर उन्होंने उन के ऊपर अनुचित आक्षेप किया। डा० राव हमारे देश के उन बड़े अर्थशास्त्रियों और शिक्षा-शास्त्रियों में से हैं, जिनका भारत में एक ऊंचा स्थान है और उन्होंने एक अहिन्दी

[श्री भक्त दर्शन]

भाषी होते हुए भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रचलन की जो व्यवस्था की है और कर रहे हैं, उसके लिये वह हमारी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक मुझे बताया गया है, यह कोई नया नहीं है। इस रिपोर्ट में स्वयं बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने हिन्दी माध्यम को स्वीकार किया है। केवल यह निर्णय दो तीन वर्ष से लागू नहीं किया जा रहा था डा० राव ने यह किया कि साहस बटोर कर देश की जनता की पुकार सुन कर इस बात का निर्णय किया कि अब इस को लागू किया जाना चाहिये। इस बात पर उन पर आक्षेप करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

अभी कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुछ मित्रों ने उल्लेख किया। प्रोफ़ेसर मुकर्जी ने भी उसका उल्लेख किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट ने जहां यह मांग की है कि अंग्रेज़ी को आठवें शिड्यूल में शामिल कर दिया जाये, वहां उसने यह भी प्रस्ताव किया है कि बंगाली के माध्यम के द्वारा शिक्षा देने की हम को तैयारी करनी चाहिये।

चूंकि समय कम है, इस लिये एक छोटी सी बात की तरफ़ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिला कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। सब मित्रों ने कहा कि प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने के लिये अच्छी पाठ्य-पुस्तकों की ज़रूरत है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रति क्षमा-याचना करते हुए मैं कहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में बहुत शिथिलता और अकर्मण्यता का परिचय दिया है। आज से कई वर्ष पहले हमारी टर्मीनालौजी बन जानी चाहिये थी और हमारी पुस्तकें तैयार हो जानी चाहिये थीं। संविधान में १९५० के बाद पांच वर्ष का समय इसी तैयारी के लिये रखा गया था, लेकिन उस बीच में कुछ नहीं हुआ। आज आठ नौ वर्ष के बाद हम तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से ये अड़चनें पड़ रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि देर आयद दरुस्त आयद--शाम को भी अगर कोई भूला भटका वापस आय जाय, तो यह बड़ी गनीमत होगी। उन को बड़े उत्साह के साथ इस पर ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि जो टर्मीनालौजी बनाई जाये, उसके सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत राय यह है—मैं हिन्दी का सेवक और विनम्र समर्थक हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दी को जल्दी लाने के लिये अगर अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को ले लिया जाय, तो मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। इस के दो लाभ होंगे। जितनी प्रादेशिक भाषायें हैं, उनकी भी पारिभाषिक शब्दावली—टैक्निकल टर्म्ज़—एक हो जायेगी और बाद में आपस में बैठकर हम नये शब्द गढ़ सकते हैं। इसलिये उन को ज़रूर ले लिया जाये।

जब शिक्षा मंत्रालय के अनुदान पर बहस हो रही थी, तो हमारे आदरणीय मित्र, सेठ गोविन्द दास जी ने हमारे प्रधान मन्त्री पर एक आक्षेप कर दिया था। मैं उनका सेवक और समर्थक होते हुए भी उनके इन शब्दों का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता हूं, जो उन्होंने उस दिन प्रधान मंत्री जी के बारे में कहे थे। शायद बम्बई की बात है कि "प्लैनेटेरियम" शब्द का अनुवाद वहां के एक मंत्री जी ने "कृत्रिम नभो मंडल" किया था। उस समय प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि ऐसा कठिन शब्द क्यों रखा गया है, सरल शब्द रखा जाये। प्रधान मन्त्री जी ने कोई ग़लत बात नहीं कही थी। जितने हम सरल शब्द बना सकते हैं, उतने बनायें और जहां पर सरल शब्द बन सकता है, वहां पर हम को अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली फ़िलहाल ले लेनी चाहिये। बाद में हम नए शब्द गढ़ते रहें। मेरी तो अपनी यह दृढ़ सम्मति होती जा रही है कि इन शब्दों के जाल में पड़ कर हम हिन्दी की प्रगति को रोक रहे हैं।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सागर विश्वविद्यालय और उस के बाद कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी कर दिया गया है। हमारे तमिल-भाषी लोग कहते हैं कि हमारी भाषा दो हज़ार वर्ष पुरानी है।

एक माननीय सदस्य : पांच हज़ार।

श्री भक्त दर्शन : पांच हज़ार। चलिए, संस्कृत से भी पुरानी है। बंगाली भाई कहते हैं कि हमारा साहित्य बहुत ऊंचा है और हम उस की कद्र करते हैं मराठी-भाषी लोग भी यही समझते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हिन्दी के माध्यम के द्वारा बारह बारह विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जा सकती है, तो तमिल और बंगाली और मराठी के द्वारा क्यों नहीं दी जा सकती, जिनका साहित्य हिन्दी से ज्यादा सम्पन्न है और जो हिन्दी से आगे बढ़ी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी को माध्यम बनाने का मतलब और भाषाओं को आघात का पहुंचाना नहीं है, बल्कि जिस तरह बड़ी बहन का काम है छोटी बहनों को मार्ग दिखलाना, उसी तरह हिन्दी को माध्यम बनाने से प्रादेशिक भाषाओं की भी प्रगति होगी। छोटी बहनों को भी आगे बढ़ना चाहिए—प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा भी शिक्षा दी जानी चाहिये। हिन्दी ने उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। शर्त इतनी है कि भारत की एकता के लिए हिन्दी को अनिवार्य भाषा बनाया जाय और सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अंग्रेज़ी को भी रखा जाये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया। उन्हों ने देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में अत्यन्त मूल्यवान सुझाव दिये हैं और मुझे विश्वास है कि आयोग सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये मतों पर भली प्रकार विचार करेगा।

बहस के दौरान उठाये गये मुख्य प्रश्नों को लेने के पूर्व मैं श्री दी० चं० शर्मा द्वारा उठाये गये प्रश्न के संबंध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विचार से वह बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्हों ने कहा कि आयोग के सदस्यों में स्वार्थ साधन की भावना आ गई है। ऐसा नहीं है। यदि सदस्यों की सूची देखी जाये तो ज्ञात होगा कि उस में देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्री और सार्वजनिक व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सेवा की है। उनमें तीन उपकुलपति हैं—प्रो० सिद्धान्त, श्री जी० सी० चटर्जी और डा० मुदालियार। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं डा० कृष्णन। एक प्रसिद्ध संसद् सदस्य हैं डा० हृदय नाथ कुंजरू और एक शिक्षा शास्त्री हैं दीवान आनन्द कुमार। इन के अतिरिक्त शिक्षा सचिव और वित्त सचिव भी उस में हैं। उन के पास कार्य अधिक भले ही हों परन्तु वे सब जिम्मेदार आदमी हैं और मैं समझता हूं कि उन के आयोग में होने से देश को बहुत लाभ हुआ है और उन्हों ने विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास में बहुत योग दिया है।

मुख्य प्रश्न जो ठीक भी है, यह उठाया गया है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिये। इस विषय पर विरोधी मत व्यक्त किये गये हैं और मैं समझता हूं कि इस सभा में जो मत व्यक्त किये गये हैं। वे देश के लोकमत की सामान्य प्रवृत्ति के प्रतिविम्ब हैं। हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो सदा अंग्रेजी को ही बनाये रखना चाहते हैं और हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को कदापि नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि अंग्रेजी की जो स्थिति अभी तक रही है वही सदा बनी रहे। दूसरे लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि चाहे परिणाम कुछ भी हो हमें तुरन्त प्रादेशिक भाषाओं को अपना लेना चाहिये। मेरे विचार से ये दोनों ही मत एकपक्षीय हैं। जहां तक भारत सरकार और विश्वविद्यालय

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

अनुदान आयोग का सम्बन्ध है, वे दोनों इन एकपक्षीय मतों को अस्वीकार करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी देश एक विदेशी भाषा को सदा शिक्षा का माध्यम बनाये रख सकता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिस ने इस प्रश्न पर विस्तृत जांच की थी, ने अपना निर्णय यही दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार किया था, कि अन्ततः प्रादेशिक भाषाओं अथवा संघीय भाषा को ही विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिये।

इतना कहने के पश्चात् मुझे साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण भी करना चाहिये। कुंजरू समिति की तीन सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

"(१) विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी से एक भारतीय भाषा में परिवर्तन में शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये।

(२) भारतीय भाषा में परिवर्तन के पूर्व संबंधित भारतीय भाषा को शिक्षा के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने के लिये समृद्ध बनाया जाना चाहिये और समस्त विषयों पर अच्छी पुस्तकें तैयार की जानी चाहियें।

(३) शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन किये जाने के पश्चात् भी समस्त विशविद्यालय विद्यार्थियों को अंग्रेजी का अध्ययन जारी रखना चाहिये।"

कुंजरू समिति की इन तीन सिफारिशों से जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण सर्वथा स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि वे कालान्तर में प्रादेशिक भाषाओं के शिक्षा का माध्यम बनने के विरुद्ध हैं। उन की कल्पना यही है, जैसा कि उन की सिफारिशों से स्पष्ट है, कि कालान्तर में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अपना उचित स्थान प्राप्त करना चाहिये। ऐसा कहना निरर्थक है कि हम भारतीय भाषाओं को अपनाने के लिये अभी तैयार हैं क्या देश के विकास का इच्छुक कोई भी व्यक्ति गंभीरता से यह कह सकता है कि हम आज चिकित्सा शल्य-चिकित्सा प्रौद्योगिकी तथा अन्य उच्च विज्ञानों की शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में देने के लिये तैयार हैं? क्या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई कोई मौलिक पुस्तकें उपलब्ध हैं ?

†**श्री मू० चं० जैन** : हमारी यही तो शिकायत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तकें तैयार नहीं कीं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य पुस्तकें तैयार करना नहीं है। उस के कुछ और कार्य हैं जो वह कर रहा है। इस मामले में जोश करने से कोई लाभ नहीं। पुस्तकें सरकार के आदेश से नहीं लिखी जाती हैं वरन् महान लेखकों और वैज्ञानिकों द्वारा लिखी जाती हैं जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में मौलिक कार्य किया है। इस लिये मैं समझता हूं कि इस समय जब कि हम अपने देश में किसानों और प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहते हैं और अपने देश का शिक्षा संबंधी स्तर ऊंचा करने को उत्सुक हैं यह आवश्यक है कि हम समस्त प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें।

भाषा स्वयं लक्ष्य नहीं है वरन् किसी चीज को प्राप्त करने का साधन मात्र है। इस समय जब कि हम अपने देश में उद्योगों, विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिये इतने उत्सुक हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं बड़े सम्मानपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें बहुत उचित हैं, तथा हमें आवश्यक तैयारी करनी चाहिये और ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिये जिस में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। यह कार्य कैसे किया जाना चाहिये ? यह महान लेखकों द्वारा विश्वविद्यालयों में निरन्तर कठिन परिश्रम कर के ही किया जा सकता है। उन्हें विज्ञानों पर मौलिक पुस्तकें लिखनी होंगी। यह केवल पुस्तकों के अनुवाद का प्रश्न नहीं है।

कुछ समय पूर्व हमने हिन्दी में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की थी। उस में लगभग १००० पुस्तकें थीं। उन में से अधिकांश मैट्रीकुलेशन तथा अण्डर-ग्रेजुएट कक्षाओं के लिये लिखी गई पाठ्य पुस्तकें थीं। ग्रेजुएट कक्षाओं के लिये उन में शायद ही कोई पुस्तकें रही हों। हमें इस समस्या पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। मैं भी अपनी भाषाओं से उतना ही प्रेम करता हूं जितना सभा के अन्य सदस्य करते हैं। परन्तु इस समय हम अपने देश के भविष्य के संबंध में विचार कर रहे हैं और हमारे देश का भविष्य देश में विज्ञानों और प्रौद्योगिकी के भावी विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का संबंध है हमें कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहिये। देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित साहित्य का विकास केवल भावनाओं से नहीं वरन् कठिन परिश्रम से हो सकेगा। मैं प्रादेशिक भाषाओं के पक्ष में ही हूं और उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जब हमारे विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषायें ही शिक्षा का माध्यम होंगी। परन्तु प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने के पूर्व पर्याप्त तैयारी करनी होगी और उचित वातावरण का निर्माण करना होगा। जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसने इस मामले में बहुत सही तथा संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। उस ने दोनों एकपक्षीय विचारों को ठुकरा दिया है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रादेशिक भाषाओं के विकास अथवा उन्हें शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने के विरुद्ध है तो मैं समझता हूं कि वह गलत है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति न्याय नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह भी नहीं कहता कि हम अभी प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। उस ने विश्वविद्यालयों को अच्छी सलाह दी है। मैं आशा करता हूं कि हम अपने देश के हित में तथा विज्ञानों एवं प्रौद्योगिकी के विकास के हित में इस सलाह को स्वीकार करेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया है जिन की हमें निकट भविष्य में ही आवश्यकता पड़ेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यही प्रश्न श्री मुकर्जी ने अपने भाषण के दौरान भी उठाया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पुस्तकें लिखे जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम उचित शब्दावलि तैयार करें जो न केवल हिन्दी वरन् समस्त भारतीय भाषाओं को स्वीकार्य हो। मेरे विचार से यह बहुत बुरी बात होगी कि देश की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा अपनी अलग वैज्ञानिक शब्दावलि तैयार करे। हमें ऐसी शब्दावलि तैयार करनी चाहिये जो समस्त प्रादेशिक भाषाओं को स्वीकार्य हो।

जहां तक अनुवाद कार्य का संबंध है प्रारम्भिक कार्य किया जा चुका है और मुझे खुशी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शब्दावलि संबंधी समस्त कार्य पूर्ण हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

दूसरा प्रश्न आयोग की निधि के सम्बन्ध में उठाया गया था। माननीय श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने बड़े जोरदार शब्दों में शिक्षा मंत्रालय की आलोचना की कि उसने आयोग को धन देने के सम्बन्ध में तत्परता से काम नहीं किया। अच्छा होता कि माननीय सदस्य सारी स्थिति का अध्ययन तनिक अधिक ध्यानपूर्वक करते। १९५६-५७ में ३·५० करोड़ रुपये का बजट उपबन्ध था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ३,४१,५५,१३५ रुपये व्यय किये। १९५७-५८ में ४·१७ करोड़ रुपये का बजट उपबन्ध था जबकि आयोग ने ३४९,७९,००० रुपये व्यय किये। १९५८-५९ में ६,०८,४८,००० रुपये का बजट उपबन्ध था और आयोग ने व्यय ५,९५,१९,९८० रुपये ही किये। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में आयोग ने ही व्यय करने में कमी की है। निस्संदेह उस समय स्थिति ही ऐसी थी जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दोषी नहीं बता रहा हूं वरन् केवल उन माननीय सदस्य को वास्तविक स्थिति बता रहा हूं जिन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में आलोचना की थी और कहा था कि मंत्रालय ने आयोग को विश्वविद्यालयों के विकास के लिये आवश्यक निधि उपलब्ध नहीं कराई।

जब योजना के पुनरीक्षण का प्रश्न आया तब अवश्य कुछ कटौती की गई परन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी किन्हीं भी योजनाओं में कटौती करने की अनुमति नहीं दी। आयोग ने ९ जुलाई, १९५८ को एक संकल्प पारित किया था जिसमें उसने १९ करोड़ रुपये की मांग की थी। उनका विचार था कि जिस हिसाब से वे धन व्यय करते रहे हैं उस हिसाब से वे २७ करोड़ रुपये व्यय नहीं कर सकेंगे इसलिये उन्होंने कुल १९ करोड़ रुपये की ही मांग की थी। जो आवण्टन किया गया था वह १८·६३ करोड़ रुपये अथवा उसके लगभग था। वे ३७ लाख रुपये और चाहते थे और हमने उनसे कहा था कि वह राशि भी उन्हें दे दी जायेगी। इसके अतिरिक्त भी हम आयोग के लिये एक करोड़ रुपये और प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और वित्त मंत्रालय का रवैया इस प्रस्ताव के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है। इसलिये श्री हरिश्चन्द्र माथुर का यह कथन सर्वथा अकारण है कि मंत्रालय आयोग की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं कर रहा है और उसे धन देने में तत्परता नहीं दिखा रहा है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : आयोग ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को आवश्यक सामग्री नहीं मिल सकी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पूरी जिम्मेदारी आयोग की ही नहीं है। उसके सम्बन्ध में मैं आगे निवेदन करूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों से ऐसा आभास होता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के विकास की जिम्मेदारी ले ली है। आयोग की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तो केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में है। परन्तु यह कहना कि उन्हें राज्य सरकारों से उचित निधि की आशा करनी नहीं चाहिये ऐसी बात है जिसका अर्थ यह होता है कि आयोग को समस्त विश्वविद्यालयों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ले लेनी चाहिये। मैं समझता हूं कि संविधान के अन्तर्गत शिक्षा राज्य का विषय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमारे विश्वविद्यालयों का विकास करने की सीमित जिम्मेदारी ली है। वह कुछ निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अनुदान दे रहा है और वह राज्य सरकारों से भी यह आशा करता है कि वे उसकी रुचि की योजनाओं के लिये समान राशियों की व्यवस्था करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्भाग्यवश, जैसा कि आयोग ने संकेत किया है, राज्य सरकारें उतनी निधियों की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं और इससे ही आयोग को कोई प्रगति करने में वास्तविक कठिनाई उत्पन्न हुई। हम इस समय राज्य के धन को उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों के विकास के लिये आवश्यक समस्त धन--केन्द्र का अंश तथा राज्यों का अंश भी--प्राप्त हो सके। यदि यह प्रयत्न सफल रहा तो हमारे विश्वविद्यालयों के विकास में बहुत सुविधा मिलेगी। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि हमें राज्य सरकारों से भी मंत्रणा करनी होगी और यह ऐसा मामला है जिसमें एकपक्षीय निर्णय नहीं किया जा सकता। परन्तु हम समान अंशदान प्राप्त करने के मार्गोपाय ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये मैं उन माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूं जिन्होंने यह कहा कि राज्य सरकारों को अपना अंश नहीं देना चाहिये। मैं समझता हूं कि वह बहुत बुरा दिन होगा जब हम ऐसा सोचने लगेंगे कि राज्य सरकारें शिक्षा के मामले में कोई सहायता न दें और केवल केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा की जिम्मेदारी ग्रहण करें।

फिर बहुत से माननीय सदस्यों ने सम्बद्ध कालेजों का प्रश्न उठाया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्या पर विचार कर रहा है तथा सम्बद्ध कालेजों एवं संघठक कालेजों के विकास के लिये कुछ कदम भी उठा चुका है। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने कहा कि आयोग सम्बद्ध कालेजों के साथ विमाता जैसा व्यवहार कर रहा है। यद्यपि सम्बद्ध कालेज आयोग के पर्यालोकन में नहीं थे फिर भी आयोग ने अपने क्षेत्र के बाहर पदार्पण करके कुछ विनियम बनाये हैं ताकि वह सम्बद्ध कालेजों को भी अनुदान दे सके और उन कालेजों के विकास के लिये अनुदान दिये जा रहे हैं--न केवल अध्यापकों के वेतन में वृद्धि के लिये ही नहीं वरन् विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये भी जैसे, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का विकास।

विद्यार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया। अनेक माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि आयोग को प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। इस तर्क में कुछ शक्ति अवश्य है क्योंकि जैसे-जैसे हम प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विकास करेंगे यह स्पष्ट है कि अधिकाधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना चाहेंगे।

†**श्री राधेलाल व्यास** : अधिक विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : परन्तु यदि हमारे संसाधन सीमित हों, यदि हमारे पास नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये पर्याप्त धन न हो तो वर्तमान विश्वविद्यालयों में भीड़भाड़ करने का क्या औचित्य है ? आयोग इसी प्रश्न पर विचार कर रहा है। आयोग का यह निश्चित मत है कि हमें विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ने देना चाहिए, हमें विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को कम करना चाहिये, हमें ट्यूटोरियल प्रणाली प्रारम्भ करनी चाहिये तथा हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहियें जिनके अन्तर्गत विद्यार्थी उचित वातावरण में गवेषणा प्रयोग तथा अध्ययन कर सकें। ये परिस्थितियां अभी हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं हैं जिसका मुख्य कारण यह है कि उनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिये आयोग के समक्ष दो विकल्प हैं : या तो वह देश में अधिक विश्वविद्यालय खोले ताकि यह भीड़भाड़ न रहे और हम अधिक विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी कर सकें अथवा उसे संख्या पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। सभा

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

को ज्ञात है कि इस समय राज्य सरकारों के संसाधन भी अत्यन्त सीमित हैं। वास्तव में बहुत सी राज्य सरकारों को वर्तमान विश्वविद्यालयों का समुचित संधारण कठिन मालूम हो रहा है। अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिल रहे हैं, प्रयोगशालायें तथा उपकरण अच्छे नहीं हैं, विद्यार्थियों के लिये होस्टलों की कमी है और यदि आयोग ने उनकी सहायता न की होती तो बहुत से विश्वविद्यालय आज अपना संधारण नहीं कर पाते। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है जिसका हमें सामना करना है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। यह बहुत अच्छा सुझाव है, बड़ा अच्छा विचार है परन्तु हमें उसके सम्बन्ध में वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है इस समय आवश्यकता उनकी स्थिति में सुधार करने की है न कि विस्तार करने को। विस्तार तभी किया जाना चाहिये जब उसके लिये उचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। अन्यथा घटिया दर्जे के विश्वविद्यालय खोलना और तीसरी श्रेणी के स्नातक तैयार करना निरर्थक है।

†**श्री महन्ती :** जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल सकेगा उनका क्या होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसका उत्तर यह है कि हमें उनके लिये दूसरे रास्ते खोलने चाहिए। विश्वविद्यालयों में सभी विद्यार्थी नहीं प्रवेश प्राप्त कर सकते। वे केवल उनके लिये हैं जो इतनी योग्यता रखते हों कि उच्च शिक्षा से लाभ उठा सकें। किसी भी देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था उसी आधार पर नहीं की जाती है जिसके आधार पर प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मेरा सुझाव है कि यदि सरकार नौकरियों में भर्ती के लिये योग्यता कम कर दे तो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो जायेगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिये कृतज्ञ हूं। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि हमें देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कोई काम करना चाहिये। बहुत सी राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनके पास नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये इस समय पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यही नहीं, जो विश्वविद्यालय अभी हैं उनकी स्थिति भी दयनीय है—प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता है, प्रयोगशालाओं में समस्त उपकरण नहीं हैं, होस्टलों की भी कमी है और विद्यार्थियों को वैसे ही रहना पड़ रहा है। इस प्रकार के विश्वविद्यालय देश में खोलने से क्या लाभ हो सकता ?

इसलिये आयोग ने समस्त समस्या के सम्बन्ध में अत्यन्त यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है कि वर्तमान समय में अपने संसाधनों का विचार करते हुए हमें सुधार का प्रयत्न करना चाहिये, विस्तार का नहीं। मेरा निवेदन है कि इस समय यही सही दृष्टिकोण है। घटिया विश्वविद्यालय खोलने और तीसरी श्रेणी के स्नातक तैयार करना बेकार है। हमें अपने विश्वविद्यालयों के शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये और यही दृष्टिकोण आयोग ने अपनाया है। इसलिये मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिबन्धित करना आवश्यक होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया कि हमारे विश्वविद्यालयों में इस समय ५० प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं। यह ठीक है। यह बड़े दुख का विषय है कि उन पर किया गया व्यय व्यर्थ हो जाता है। हमें इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिये कि विश्वविद्यालयों में केवल वही विद्यार्थी जायें जो उच्च शिक्षा से लाभ उठा सकें। उच्च शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिये नहीं होती।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में नहीं लिये जायेंगे उन का क्या होगा। यह एक बड़ा प्रश्न है जो हमें हल करना है। हमें उन विद्यार्थियों के लिये रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है जो हाई तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों से निकलते हैं और इसी प्रकार यह समस्या हल की जा सकती है।

संभवत: श्री महन्ती ने यह प्रश्न उठाया था कि आयोग विद्यार्थियों के लिये किन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि इस समय आयोग होस्टलों के निर्माण के लिये सम्बद्ध कालेजों को ऋण दे रहा है और १९५६-५७ से १९५८-५९ तक के तीन वर्षों के दौरान होस्टलों के निर्माण के लिये सम्बद्ध कालेजों को कुल ४६.१२ लाख रुपये दिये गये हैं। आयोग ने १८.८६ लाख रुपये का ऋण दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उस के संघटक कालेजों को होस्टलों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये दिये हैं। विश्वविद्यालयों और कालेजों को होस्टलों के निर्माण के लिये ४९.४८ लाख रुपये के अनुदान भी दिये गये हैं। आयोग ने होस्टलों के निर्माण को अग्रिमता दी है क्योंकि यदि हम वास्तव में विद्यार्थियों में सामूहिक जीवन की भावना का विकास करना चाहते हैं तो हमें उचित आवास-स्थान की व्यवस्था करनी चाहिये जहां विद्यार्थियों में सामूहिक जीवन की भावना उत्पन्न हो सके। मैं आशा करता हूं कि कालान्तर में इन ऋणों का पुनर्भुगतान हो जायेगा और हम अधिकाधिक होस्टलों का निर्माण कर सकेंगे। वास्तव में हम इस योजना के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाना चाहेंगे।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माण का मार्ग बहुत लम्बा और कठिन है। हम शीघ्र सफलता की आशा नहीं कर सकते। उस में काफी समय लगेगा परन्तु मुझे इस में तनिक भी सन्देह नहीं है कि सरकार तथा आयोग द्वारा जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उन से कालान्तर में अवश्य ही लाभ होगा। शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़े से समय में कोई सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके परिणाम कई पीढ़ियों के पश्चात मालूम होते हैं।

मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि यह ठीक हैं कि शिक्षा का स्तर गिर गया है और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्रणाली की आलोचना करता है परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारे बहुत से इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा अध्यापक, जो हमारे विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं, बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं। जहां तक हमारी अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है हम जन-शक्ति में आत्मनिर्भर हैं। ये लोग बहुत योग्य हैं। यदि उन्हें अच्छे अवसर दिये जायें तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि वह देश का नाम उज्जवल करेंगे।

अन्त में मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह देना चाहता हूं क्योंकि इस के बारे में भी कुछ प्रश्न उठाये गये थे। मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि हमें इस आयोग की स्थापना से बड़ी खुशी हुई है। हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं। सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों ने सहयोग की भावना से काम किया है। किसी ने भी यह अनुभव नहीं किया कि उस पर कोई चीज़ लादी जा रही है। जब कभी सरकार ने कोई नीति अथवा कार्यक्रम बनाना चाहा उस ने आयोग से परामर्श किया। सरकार और आयोग

के बीच प्रायः परामर्श चलता रहा है जिस के परिणामस्वरूप आज हम ने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जो एक ओर तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की अभिरक्षक है और दूसरी ओर राष्ट्रीय नीतियों तथा राज्य के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है ।

मैं सदस्यों का अधिक समय नहीं लेना चाहता और उन माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्हों ने इस बहस में भाग लिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९५८ तक की अवधि के प्रतिवेदन पर जो १७ फरवरी, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वर्ष १९५९–६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा वर्ष १९५९-६० के लिये रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी ।

वर्ष १९५९-६० के लिये रेलवे के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
२	विविध व्यय	३,००,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण	१८,००,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर अनेक कटौती प्रस्ताव हैं । कटौती प्रस्ताव संख्या २, ४, ८, ९, ११ और १२ प्रस्तुत किये जा सकते हैं । कटौती प्रस्ताव संख्या ३, ५, ६, ७ और १० नियम विरुद्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	२	श्री नौशीर भरूचा	नये दीवा-पनवेल-उरैन सेक्शन के प्रस्तावित सर्वेक्षण के लिये अधिक उपबन्ध करने की आवश्यकता ।	१०० रु०
१५	४	श्री नौशीर भरूचा .	नई दीवा-दसगांव लाइन को शीघ्रता से बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	८	श्री आसर . .	दीवा-पनवेल-उरैन-दसगांव लाइन के निर्माण के लिये सर्वेक्षण को सम्मिलित न किया जाना।	१०० रुपये
२	९	श्री आसर . .	दीवा-पनवेल-उरैन लाइन के सर्वेक्षण को जल्दी पूर्ण कराने के लिये पर्याप्त उपबंध न किया जाना ।	१०० रुपये
१५	११	श्री आसर .	दीवा-पनवेल- उरैन सेक्शन के साथ उरैन-दसगांव लाइन का निर्माण आरम्भ कराने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१५	१२	श्री आसर .	दीवा-पदवेल-उरैन-दसगांव लाइन पर उरैन-दसगांव सेक्शन के निर्माण के लिये आवँटन न किया जाना ।	१०० रुपये

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मेरे कटौती प्रस्तावों को देख कर चौंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें वापस ले लूंगा । मुझे प्रसन्नता है कि दीवा-दसगांव रेलवे के निर्माण का प्रश्न माननीय मंत्री ने आरम्भ कर दिया है । पर खेद है कि केवल १.५० लाख रु० की मांग की गई है। इतनी राशि से क्या होगा । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आरम्भिक व विस्तृत सर्वेक्षण हो चुके हैं ।

फिर, क्या व्यय का कुछ अनुमान बनाया गया है । पृष्ठ ४ पर ३० मील लाइन के लिये ३.६ करोड़ रुपये की मांग की गई है । मैं समझता हूँ कि यह व्यय बहुत अधिक है । जब केवल ३० मील के लिये ३½ करोड़ रु० की आवश्यकता है, तो केवल १० लाख की मांग प्रस्तुत करने का क्या अभिप्राय है । मैं जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब तैयार हो जायेगी । यदि आवश्यक हो, तो माननीय मंत्री दूसरी अनुपूरक मांग प्रस्तुत करें, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि वह स्वीकृत हो जायेगी ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री पा. णिग्रही (पुरी) : तीन नई लाइनों के निर्माण के लिए माननीय मंत्री ने जो मांग प्रस्तुत की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । मेरा निवेदन है कि हमारे उड़ीसा राज्य में रेलवे लाइनों के सुधार आदि के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है । गत ६० वर्षों से वहां की लाइनों के लिये कुछ भी नहीं किया गया है । रेलवे आय-व्ययक की चर्चा के समय माननीय मंत्री ने बताया था कि सरकार दण्डकाराण्य क्षेत्र में नई लाइनें बनवाने के लिये १०० करोड़ तक व्यय करेगी । वहां सर्वेक्षण कार्य वगैरह पूर्ण हो चुका है । अतः निवेदन है कि वहां रेल लाइनों के बनाने के काम में शीघ्रता की जानी चाहिये ।

एक बात मुझे और कहनी है कि उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र से प्रदीप पत्तन तक ठीक लाइनन होने से बड़ी कठिनाई होती है । कच्चे लोहे को ट्रकों में ले जाया जाता है । अतः यदि सुकिन्दा से प्रदीप पत्तन तक रेल मार्ग मिला दिया जाये तो लोहे की धातु को ढोने का व्यय ७ या ८ रु० प्रति टन कम हो जाये ।

पता लगा है कि जापानी स्टील मिशन १९६० के बाद भी ४० लाख टन लोहे की धातु का आयात करेगा । अतः मेरा निवेदन है कि इन लाइन के सर्वेक्षण को भी माननीय मंत्री सम्मिलित कर लें । इससे विदेशी मुद्रा की अच्छी आय होगी ।

श्री आसर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, जब रेलवे मन्त्री जी ने यहां पर दीवादास गांव रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की थी तो हमने उनको उसके लिए धन्यवाद दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आज आप वह धन्यवाद वापस लेना चाहते हैं ।

श्री आसर : लेकिन जो पूरक मांग रखी गयी है उसको देखने से पता चलता है कि जैसा पहले बताया गया था कि कोनकण के विकास के लिये दिवा-दासगांव रेलवे बनायी जायेगी, वह बात नहीं है बल्कि यह तो दिवा-पनवैल और उरण तक ही बनायी जाने वाली है । इससे तो कोनकण का विकास नहीं हो सकता है । यह तो डिफेंस के लिये काम दे सकती है । इस लाइन का कोनकण के विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है । पनवेल से तो बम्बई को बसें जाती हैं और एक रेलवे स्टेशन भी इसके नजदीक है । उरण से स्टीमर और लांच बम्बई जाते रहते हैं । तो इस लाइन से कोनकण का तो कोई विकास होने वाला नहीं है । अगर आपको कोनकण का विकास करना है तो आपको दास गांव तक इस प्रोजैक्ट को ले जाना चाहिये । रेलवे मन्त्रालय ने केवल सर्वे के लिये एक लाख ५० हजार रुपया रखा है । अगर दिवादास गांव लाइन को बनाना है तो उसके लिये पूरक मांग को बढ़ा कर ज्यादा रकम रखने की आवश्यकता है । साथ ही कांस्ट्रक्शन के लिये जो दस लाख की रकम रखी है उसको भी बढ़ाना चाहिये । मेरी रेलवे मंत्रालय से प्रार्थना है कि कोनकण के विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए इस लाइन को दास गांव तक अवश्य ले जाना चाहिये ।

एक समय वहां इस बात को लेकर एजीटेशन हुआ था । उसको शान्त करने के लिये सरकार की ओर से एक ऐलान किया गया था कि दिवादास गांव लाइन बनायी जायेगी । उस ऐलान को पूरा करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये । इसलिये मेरी रेलवे मन्त्रालय से प्रार्थना है कि इस प्राजैक्ट को दिवादास गांव तक ले जाया जाये और इसके लिये पूरक मांग में ज्यादा रकम का प्रबन्ध किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : इन मांगों का स्वागत है । पर मैं नहीं समझता कि सर्वेक्षण के लिये १·५ लाख का उपबन्ध क्यों किया गया है जबकि इस लाइन का सर्वेक्षण पहले हो चुका है । जहां तक लागत का प्रश्न है । इसकी लागात ३·६ करोड़ है । अर्थात् १२ लाख प्रति मील । उधर राजस्थान की लाइन में लागत खर्च करीब ३१/२ लाख प्रति मील है । यद्यपि वहां की पंचायत श्रमदान करेगी पर लागत में इतना अधिक अन्तर नहीं आना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार लागत का हिसाब लगाया गया है ।

इन लाइनों के सम्बन्ध में इन मांगों में जो राशियां रखी गयी हैं, वे बहुत कम हैं । उनसे काम समाप्त नहीं हो पायेगा और काफी समय लग जायेगा । मेरा निवेदन है कि एक बार काम शुरू करने के बाद इन लाइनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने अपने आश्वासन में कहा था कि नई लाइनों के सम्बन्ध में वे बाद में घोषणा करेंगे । हसन-मंगलौर लाइन के सम्बन्ध में उन्होंने अब तक कोई घोषणा नहीं की है । आशा है कि इस लाइन के सम्बन्ध में भी वह कुछ न कुछ अवश्य करेंगे ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, सर, रेलवे के एक्सपेंडीचर के लिये जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्ज़ फ़ार ग्राण्ट्स पेश की गई हैं, मैं उनकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जो डिमाण्ड्स मंजूर की जा रही हैं, उन से तीन नई लाइनें बनाई जायेंगी, यह बड़ी खुशी की बात है । मैं इस सिलसिले में सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़-लुधियाना लाइन बहुत अहम रेलवे लाइन है । पिछले दिनों जब रेलवे बजट पर बहस हो रही थी, तो उस समय भी इस रेलवे लाइन के बनाने के लिये बड़ा ज़ोर दिया गया था । जैसा कि आप जानते हैं, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है । इसलिये यह बहुत ज़रूरी है कि जगाधरी से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लुधियाना रेलवे लाइन ज़रूर बनाई जाये, ताकि पंजाब की राजधानी ज्यादा तरक्की करे और लोगों को वहां आने जाने में सहूलियत हो और पंजाब की राजधानी मेन लाइन पर आ जाये । इस लिए मैं इस बात पर खास तौर पर ज़ोर दूंगा कि इस सिलसिले में पूरी कोशिश की जाये और इस लाइन को बनाने का काम भी सरकार हाथ में ले ।

दूसरी तजवीज़ मैं यह करना चाहता हूं कि पंजाब में रोहतक-पानीपत की एक डिसमेंटिल्ड रेलवे लाइन है । गोहाना तक उसका हिस्सा बन गया है । माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है कि बाकी हिस्से को भी तामीर करने का काम हाथ में लिया जाय । यह लाइन आज से कई साल पहले डिसमेंटल की गई थी । इसको पूरा करने से पंजाब के हिन्दी स्पीकिंग एरिया जो कि एक बैकवर्ड इलाका है, के लोगों को आने जाने के लिये फ़ैसिलिटीज़ मिलेंगी । इसलिये मैं ज़ोर दूंगा कि इस रेलवे लाइन के काम को भी हाथ में लिया जाये ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : डिप्टी मिनिस्टर साहब गोहाना गए थे और उन्होंने कहा था कि इसको कनसिडर किया जायगा ।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : आप बैकवर्ड हैं, यह तो आप कबूल नहीं करेंगे ।

श्री राम कृष्ण गुप्त: पिछली दफ़ा जब रेलवे बजट पर बहस हो रही थी, मैंने उस वक्त भी बहुत ज़ोर दिया था कि भिवानी और रोहतक के दरमियान नई रेलवे लाइन बनाने की बहुत ज़रूरत है । भिवानी और रोहतक पंजाब के हिन्दी-स्पीकिंग एरिया के सब से पुराने और मशहूर शहर हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पिछली लड़ाई से पहले इस रेलवे लाइन के बनाने का फ़ैसला भी हो गया था

---

†मूल अंग्रेज़ी में

और मुझे पता चला है कि उसका सरवे भी हो गया था। मैं समझता था कि आज़ादी के बाद सबसे पहले इस रेलवे लाइन को तामीर करने के काम को हाथ में लिया जायगा, लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरफ़ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि रोहतक और भिवानी का रोड के ज़रिये सिर्फ़ तीस मील का फ़ासला है, जबकि बज़रिया रेल कोई जाना चाहे, तो तकरीबन १४५ मील का सफ़र तय करना पड़ता है। ऐसी मिसाल शायद आपको हिन्दुस्थान के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी।

श्री जगजीवन राम : बहुत सी जगहें हैं।

श्री राम कृष्ण गुप्त: इसलिये मैं ज़ोर दूंगा कि इस रेलवे लाइन की तरफ़ भी पूरा ध्यान दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इन डिमाण्ड्ज़ की ताईद करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि माननीय मंत्री जी जरूर इस तरफ़ ध्यान देंगे और इन तीनों रेलवे लाइनों को बनाने के काम को हाथ में लेंगे।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस साल जो नई रेलवे लाइन बनाई जायगी, वह तकरीबन ५०० मील के करीब होगी और तकरीबन २८५ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। लेकिन उनमें ऐसी कोई रेलवे लाइन नहीं है, जो कि नार्दर्न ज़ोन में बनाई जाय, सिवाये इस के गुड्ज़ फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिये दिल्ली-मथुरा लाइन शकूर बस्ती और बादली के साथ मिलाई जायगी। इसलिये यह ज़रूरी है कि इन तीनों लाइनों की तरफ़, जो कि नार्दर्न ज़ोन में हैं, पूरा ध्यान दिया जाये।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं दीवा-पनवेल-उरैन लाइन के लिये जो अनुपूरक अनुदान की मांग रखी गई है उसका समर्थन करता हूं। भारत भर में केवल कोकण का ही इलाका ऐसा रह गया था जहां कोई लाइन नहीं थी। यह इलाका भी पिछड़ा हुआ और अविकसित था। अतः मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि वहां रेलवे लाइन बनाने के कार्य का प्रारम्भ किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि बम्बई से नीचे की ओर लाइन बनाने के साथ-साथ मंगलौर से उदीपी की ओर भी लाइन बननी चाहिये। तथा कार्य की गति अधिक तेज की जानी चाहिये।

मुझे पूरी आशा थी कि हसन मंगलौर लाइन भी इस अवधि में बनायी जायेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस रेलवे लाइन पर तत्काल ध्यान देवें।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो पूरक अनुदान की मांगें पेश की गई हैं, इनका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस मौके का लाभ उठा कर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वहां पर जिस चीज़ की बहुत समय से मांग की जा रही है और जोकि बहुत आवश्यक चीज़ है और जिस को रेलवे मंत्रालय ने महसूस भी किया है, उसकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे है। वहां पर समस्तीपुर से दरभंगा तक जाने के लिये एक सिंगल लाइन है। समस्तीपुर चार लाइन का जंकशन है और उसी तरह से दरभंगा भी चार लाइन का जंकशन है। रेलवे बोर्ड ने इस बात को महसूस किया कि आप्रेशनल एफिशेंसी के लिये तथा चार लाइन तक

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान तथा यात्रियों के आने जाने के लिये तथा सामान के अच्छी तरह से ढोये जाने के लिये दरभंगा समस्तीपुर के बीच में लाइन को दोहरा बनाया जाय और इसकी जांच पड़ताल भी की गई थी और जांच पड़ताल होने के बाद यह तय भी पाया गया था कि इस काम को हाथ में लिया जाये और लोगों को आशा हो गई थी कि अब इस काम को हाथ में लिये जाने वाला है। फिर उसके बाद यह सुनने में आया कि समस्तीपुर से दरभंगा तक की लाइन को दोहरा न करके अगर एक लाइन नई बनाई जाये जिससे नये क्षेत्रों को कवर किया जा सके, मुजफ्फरपुर से दरभंगा के लिये लाइन को डाइवर्ट किया जाये तो अच्छा होगा और इस हेतु यह प्रस्ताव हुआ था कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक की लाइन बनाई जाये। उसका ट्रेफिक तथा इंजीनियरिंग सर्वे भी हुआ था और उसके बाद कई बार यहां सवाल पूछे गये हैं और उनके उत्तर में यही कहा जाता रहा है कि सर्वे की जो रिपोर्ट है यह विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय होने की आशा है। इसके बाद सुनने में आया था कि या तो समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को दोहरा किया जायेगा या मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक की लाइन बनाई जायेगी और ये दोनों ही लाइनें मेरे क्षेत्र में पड़ती हैं। इससे लोगों की आशायें बंध गई थीं कि एक अच्छी चीज़ होने वाली है और जैसा वातावरण था उससे मालूम पड़ा कि यह सब चीज़ होने वाली है। अगर दोहरी लाइन नहीं की जाती है तो मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक की लाइन बन जायेगी। इस सवाल को कई बार उठाया गया है और इसके उत्तर में कहा गया है कि चूंकि टेरेन अच्छा नहीं है इस वास्ते मुजफ्फरपुर-दरभंगा लाइन को बनाने का काम स्थगित कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि दरभंगा जिले में जितनी लाइनें हैं उनके लिये तो टेरेन अच्छा है, लेकिन मुजफ्फरपुर और दरभंगा लाइन के लिये टेरेन अच्छा नहीं है, यह कैसे हो सकता है। मैं समझता हूं कि अगर नफे के खयाल से भी देखा जाये, ट्रेफिक के खयाल से भी देखा जाये, आपरेशनल एफिशेंसी के खयाल से भी देखा जाये तो पता चलेगा कि हर लिहाज़ से यह चीज़ फायदेमन्द साबित होगी। लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया है।

अब एक नई चीज़ हो गई है। मोकामा पुल बन चुका है और वह खुल भी गया है। मैं समझता हूं कि अब तो और भी ज्यादा इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा के लिये लाइन को डाइवर्ट किया जाये। बरौनी से लेकर दरभंगा तक कम से कम बड़ी लाइन तो बन ही जानी चाहिये। गंगा पुल जो बना है वहां पर बड़ी लाइन है और उस बड़ी लाइन को एक्सटेंड करके दरभंगा तक ले आया जा सकता है और अगर ऐसा किया गया तो हमारे क्षेत्र को संतोष हो जायेगा कि दोहरी लाइन नहीं बनी तो कम से कम बड़ी लाइन तो बन गई है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक लाइन बनाने का प्रयत्न किया जाये और बरौनी से दरभंगा तक की लाइन को बड़ी लाइन किया जाये।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत पहले बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इस बात की स्वीकृति भेजी थी कि हसनपुर से लेकर जो नार्थ ईस्टर्न रेलवे पर है, सकरी तक लाइन बिछाई जाये। पुराने ज़माने में इसका सर्वे भी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि उस लाइन को बनाने का प्रयत्न भी आपकी तरफ से हो। मुझे विश्वास है कि दूसरी योजना में नहीं तो तृतीय योजना में उस लाइन को बनाने का जरूर प्रयत्न किया जायेगा।

†**श्री छ० म० केदरिया** (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : तारापुर खम्भात लाइन का कई वर्ष पूर्व सर्वेक्षण हो चुका है। तथापि कुछ कारणों से काम स्थगित कर दिया गया था। अब भी जो मांग रखी गई है वह बहुत कम है अतः यह कार्य शीघ्रता से किया जाय। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि वघाई-विल्लिमोरा लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाय।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि (मदुरै) : मुझे इन मांगों के सम्बन्ध में पहिली आपत्ति यह है कि बजट प्रस्तुत करने के तत्काल बाद ही यह मांगें रखी गई हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि रेलवे मंत्रालय सही अनुमान लगाने में असमर्थ है। इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने भी यही शिकायत की है। और कहा है कि कभी कभी मूल विनियोजन के समाप्त होने के पूर्व ही अनुपूरक मांगें रख दी जाती हैं। जहां तक नई रेलवे लाइनें खुलने का सम्बन्ध है मैं त्रिपुरा में रेलवे लाइन बनाने का समर्थन करता हूं। किन्तु जब कुल व्यय २ करोड़ रुपये होने का अनुमान है तो ६ लाख रुपये की राशि बहुत कम रखी गई है। रेलवे मंत्री से मेरा निवेदन है कि दक्षिण रेलवे की मांगों को भी पूर्ववर्तिता दी जाय।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि हमें रेलवे समय सारिणी दी जाती है तथापि साथ ही यह भी बताया जाता है कि रेलवे इस बात की गारन्टी नहीं करती है कि ये समय बिल्कुल सही हैं। मेरे विचार से यह बात गलत है। इसी प्रकार विभिन्न रेलों से जो समय सारणियां प्रकाशित की गई हैं, उनमें किसी-किसी गाड़ी का समय अलग-अलग बताया जाता है। अतः रेलवे मंत्रालय को ऐसी असंगतियों पर ध्यान देना चाहिये और उनकी तत्काल शुद्धि करनी चाहिये।

†श्री जगजीवन राम : मुझे कुछ विशेष नहीं कहना, केवल जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उसके लिये उनका आभार प्रदर्शन करना है। माननीय सदस्यों द्वारा आयव्ययक पर हुई बहस के समय जो मांगें की गई थीं उनकी अनुपूरक मांगों के रूप में उन्होंने जो कुछ प्रस्तुत किया है उसका अनुपूरक रूप में ही मैं उत्तर दूंगा। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह तीन नयी लाइनें वे हैं जो तीसरी योजना में सम्मिलित की जायेंगी और उन्हें इस काल में पूरा किया जाना है। अतः हम ने यह सोचा है कि इसके लिये अग्रिम कार्यवाही आरम्भ कर दी जानी चाहिये, क्योंकि सर्वेक्षण तथा भूमि अर्जन पर काफी समय लग जाता है। कई ऐसे मामलों का हमें अनुभव है जहां कि रेलवे प्रशासन ने रेलवे लाइन के निर्माण का सब प्रबन्ध कर लिया था लेकिन राज्य सरकारों ने रेलवे को भूमि नहीं दी। हमारा काम रुका रहा और असाधारण देरी हो गयी। इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिये ही हम यह कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं अपने माननीय मित्र श्री भरूचा को विश्वास दिलाता हूं कि हम ने सर्वेक्षण के लिये जो व्यवस्था की है, वह उस कार्य के लिये पर्याप्त है। इस भाग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है और अब अन्तिम सर्वेक्षण ही किया जाना है। अन्तिम सर्वेक्षण को पूरा करके हम बम्बई सरकार से कहेंगे कि वह हमारे लिये भूमि अर्जित करे। यदि इस वर्ष में यह सब काम पूरा हो गया तो अगले वर्ष हम इन लाइनों का निर्माण आरम्भ कर देंगे। अतः मैं अपने मित्र को यह आश्वासन देता हूं कि इस कार्य के लिये जो व्यवस्था हम ने की है वह अपर्याप्त नहीं है।

माननीय मित्रों ने कहा है कि इस को दसगांव तक क्यों नहीं ले जाया जाता, कम से कम सर्वेक्षण तो कर ही लिया जाय ? एक बात मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मैं समझता हूं कि अमुक स्थान पर लाइन नहीं बनाई जा सकेगी तो मैं इसके सर्वेक्षण किये जाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं इसी नीति का अनुसरण कर रहा हूं। यदि लाइन न बनाई जाये और खाली सर्वेक्षण किया जाये तो हमारी आशायें निराशा में बदल जाती हैं जिससे काफी दुःख सहन करना पड़ता है। अतः मैं उस अवस्था तक उरैन-दसगांव लाइन के सर्वेक्षण के पक्ष में नहीं, जब तक कि यह आशा न बन जाये कि सर्वेक्षण के परिणाम काफी प्रोत्साहित करने वाले होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य, श्री विठ्ठल राव ने पूछा है कि इन लाइनों के निर्माण के व्यय में इतना अन्तर क्यों है। रेलवे लाइन के निर्माण का व्यय बहुत सी बातों पर आश्रित होता है। क्षेत्र कैसा है, कितने पुल इत्यादि उस पर बनाने होंगे, इन सब का लाइन-निर्माण के व्यय पर प्रभाव पड़ता है। यदि क्षेत्र मैदानी हो और कम पुलों की आवश्यकता हो तो व्यय कम होगा। इस समय हमारा व्यय बड़ी लाइन पर ६ लाख से १६ लाख, प्रति मील है। क्षेत्र के अनुसार व्यय कम और अधिक हो जाता है। हम रोबर्ट्सगंज-गडवा क्षेत्र में रेलवे लाइन बना रहे हैं और अन्दाजा यह है कि व्यय १६ लाख रुपया प्रति मील आयेगा। रांची मुरी लाइन पर मैंने स्वयं जा कर देखा है, वहां काफी चट्टानों इत्यादि को तोड़ने का काम है, अतः व्यय बढ़ जायेगा; इसका व्यय १४ से १६ लाख रुपये प्रति मिल के लगभग होगा। यह मोटे अनुमान हैं। त्रिपुरा का क्षेत्र भी कठिन क्षेत्र है। जम्मू और काश्मीर के एक क्षेत्र में तो १६ लाख से भी अधिक खर्च आयेगा और शायद यह २० लाख से भी बढ़ जाये।

हसन-मंगलौर लाइन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस लाइन के निर्माण का प्रश्न मंगलौर पत्तन के विकास से सम्बद्ध है। योजना आयोग बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार कर रहा है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की आशा है। उसके विकास के प्रश्न का निर्णय होते ही इस लाइन के प्रश्न को भी अन्तिम रूप दिया जायेगा। दोनों मामले परस्पर सम्बद्ध हैं।

इन तीन लाइनों के बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना। पंजाब और उड़ीसा आदि क्षेत्रों में नई लाइनों के बनाये जाने के बारे में प्रश्न उठाये गये। उनके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरी पंच वर्षीय योजना का निर्माण करते समय इन सब मामलों को लिया जायेगा। चंडीगढ़ लुधियाना लाइन विचाराधीन है। माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही जानते हैं कि प्रदीप पत्तन के विकास के मामलों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया और अभी हाल ही में उसके बड़े या मध्यम दर्जे के पत्तन के रूप में विकसित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। प्रदीप की अधिकतम क्षमता पांच लाख टन लौह वार्षिक होगी। इस ५ लाख टन के लिये रेलवे लाइन बनाने का औचित्य हमारी समझ में नहीं आता। राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने तो कहा है कि वह ५०,००० टन का परिवहन कर सकता है। लेकिन उड़ीसा से अधिक मात्रा में लौह अयस्क ले जाने के लिये सम्बलपुर-टिपलागढ़ लाइन की स्वीकृति दे दी गयी है। बंदमांदा-पटासी रेलवे लाइन का निर्माण हो ही रहा है। अतः यह कहना गलत है कि उड़ीसा की उपेक्षा की गयी है। हमें खम्बात के विकसित होते ही वहां रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी। उत्तर बंगाल में खुजरिया घाट से मलदा तक बड़ी लाइन के निर्मण को बजट में सम्मिलित कर लिया गया है। इस लाइन का आगे विस्तार किस दिशा में होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। इन शब्दों से मैं मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री आचार :** मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हम सभी स्थानों पर रेलवे लाइनों का निर्माण कर रहे हैं तो हसन-मंगलौर लाइन के मामले में ही मंगलौर पत्तन के विकास की शर्त क्यों लगाई गई है?

†**श्री जगजीवन राम :** नई लाइनों के निर्माण को किसी न किसी परियोजना से सम्बद्ध कर दिया गया है। कोयला, लौह-अयस्क और कच्चे माल को देश के भीतरी इलाकों से पत्तन तक ले जाने या नये उद्योगों के स्थानों को अन्य क्षेत्रों से मिलाने की जरूरतों को ध्यान में रख कर नई लाइनें बनाई जाती हैं। चालन-कुशलता और नई लाइनों के निर्माण में उपरोक्त बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह भी देखना होता है कि अमुक क्षेत्र में हमें समुचित यातायात भी प्राप्त होगा कि नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो सभा की अनुमति से सभी कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जा रहे हैं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	३,००,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण	१८,००,०००

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे ।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा संस्कृत आयोग, १९५६-५७ के प्रतिवेदन पर, जो २८ नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

संस्कृत को केवल साहित्य या मृतक भाषा मानना एक बड़ी भूल है । संस्कृत भारत के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार है । इस सम्बन्ध में पंडित नेहरू ने एक स्थान पर कहा है यदि कोई मुझ से पूछे कि भारत की सब से बड़ी धरोहर क्या है, तो मैं उसे निसंकोच उत्तर दूंगा कि यह धरोहर संस्कृत भाषा और साहित्य है । "आजाद स्मारक भाषणों" के दौरान भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि "विश्व में सर्वोत्तम साहित्य और महान विचारों की जननी संस्कृत भाषा और साहित्य है । संस्कृत के महाकाव्य महाभारत और रामायण ने भारत के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया है जिस दिन हमारे देशवासी बुद्ध, उपनिशदों और महाकाव्यों की शिक्षायें भूल जायेंगे उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा ।"

भारत के लगभग सभी महापुरुषों के जीवन पर संस्कृत का बड़ा प्रभाव पड़ा है । वर्तमान भारत के आदर्श, पूज्य बापू के जीवन पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा था । भारत की नारियां सीता और सावित्री की सदैव ऋणी रहेंगी ।

संसार का प्राचीनतम काव्य भी संस्कृत में ही लिखा गया है । विश्व का सर्व प्रथम नाटक और संगीत भी आर्थर बेरिडेल कीथ ऐसे विद्वान के मत से संस्कृत में ही उपलब्ध है । गिनती की संख्यायें जिन्हें गलती से अरबी प्रणाली कहा जाता है संस्कृत से ही उद्भूत हुई हैं । दाशमिक प्रणाली का जन्म स्थान भी भारत ही है । ऐसे समय जब कि समस्त विश्व में घोर बर्बरता फैली हुई थी, भारत में दर्शन, रसायन, औषधि विज्ञान, ज्योतिष इत्यादि विषयों के महान ग्रन्थ लिखे गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज भी भारतीय भाषाओं के अक्षर जोकि संस्कृत से लिये गये हैं विश्व की सर्वोत्तम अक्षर प्रणाली समझे जाते हैं। संस्कृत का प्रभाव केवल भारतीय जीवन और संस्कृति पर ही नहीं अपितु एशिया के समस्त देशों, उदाहरणार्थ, लंका, बर्मा, इंडोचीन, जापान, इंडोनेशिया इत्यादि की संस्कृति पर पाली और संस्कृत के माध्यम से भारत का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः पाली संस्कृत का ही बोलचाल का रूप है।

"चाइनीज़ बौद्धिज्म" "चीन में बुद्ध धर्म" नामक पुस्तक में उस के लेखक रिवियर्ड जोसफ एडकिंस ने लिखा है कि छटवीं शताब्दि में हिंदुओं ने चीन आ कर वहां संस्कृत के अक्षरों की प्रणाली से व्यंजन बनाने में उन की सहायता की। इसी पुस्तक में लेखक ने लिखा है कि तिब्बत और कोरिया की अक्षर प्रणाली भी संस्कृत से प्रभावित हुई है। अभी हाल "बुद्ध धर्म के दो हजार पांच सौ वर्ष" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है उस पुस्तक में लिखा गया है कि हैन्सागं जब भारत से गया तो वह ६५७ पुस्तकें अपने साथ ले गया। आज भारत की १३ प्रादेशिक भाषाओं में से किस भाषा का साहित्य इतना समृद्ध है कि आधुनिक सुविधाओं के उपलब्ध होते हुए भी कोई व्यक्ति इतनी किताबें पेकिंग ले जाना चाहे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वस्तुतः मेरे मत से संस्कृत समस्त भारतीय भाषाओं की मां के समान है। इस सम्बन्ध में मैं महात्मा गांधी के विचार सभा में रखना चाहूंगा। उन्हों ने एक स्थान पर यह कहा था कि हिन्दी, गुजराती और संस्कृत वस्तुतः एक ही भाषायें हैं। और जो व्यक्ति अच्छी गुजराती, मराठी और बंगला, इत्यादि सीखना चाहे उसे संस्कृत अवश्य सीखनी चाहिये। इतना ही नहीं दक्षिण की भाषाओं के सम्बन्ध में उन्हों ने यह कहा था कि दक्षिण की भाषाओं पर संस्कृत का बहुत प्रभाव है। और यह प्रभाव प्राचीन काल से चला आ रहा है प्राचीन काल से ही उत्तर के विद्वान दक्षिण के विद्वानों से संस्कृत में ही बहस किया करते थे। वास्तव में दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत अधिक हैं केवल व्याकरण में अन्तर है।

इसलिये मेरे विचार से माध्यमिक स्कूलों के लिये जो तीन भाषायें सीखने का सूत्र बनाया गया है उस में परिवर्तन कर संस्कृत को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। वस्तुतः जब तक विद्यार्थी संस्कृत नहीं सीखेगा तब तक वह अपने भाषाओं म भी गलतियां करता रहेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यदि हम प्रादेशिक भाषा या हिन्दी में अपनी जड़ मजबूत करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिये। अब मैं संस्कृत की समृद्धि के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। संस्कृत में यह विशेषता है कि आप उस में अंग्रेज़ी के आधुनिकतम और टेक्नीकल शब्दों की रचना कर सकते हैं। इस के उदाहरण के लिये डा० रघुवीर का कोष और श्री भक्त दर्शन के प्रश्नों की भाषा को लिया जा सकता है।

आयोग ने संस्कृत की पाठशालाओं के सम्बन्ध में भी पर्याप्त विचार किया है। वस्तुतः केन्द्रीय और राज्य सरकारें इन के साथ उपेक्षा का बर्ताव कर रही हैं। अतः यदि सरकार संस्कृत के विकास का प्रयत्न करना चाहती है तो उन्हें चाहिये कि वे इन पाठशालाओं की दशा में सुधार करें। वस्तुतः संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये इन पाठशालाओं में ही अध्ययन करना होता है क्योंकि एम० ए० में संस्कृत में किसी भी विषय पर विशेषज्ञता की शिक्षा या उपाधि नहीं दी जाती है। लेकिन इन पाठशालाओं में वेद, हिन्दू ज्योतिष, व्याकरण और कर्मकांड की विशेष शिक्षा का प्रबंध है तथापि इन की दशा बड़ी दयनीय है। हमारे देश के संस्कृत के विद्वान पंडितों को कोई नहीं पूछता है। और वे धीरे धीरे मिट रहे हैं। जब कि हम विदेशी संस्कृत विद्वानों के यथा मैक्समूलर, कीथ,

[श्री सूमकार]

परगीटर इत्यादि के ग्रन्थ पढ़ते हैं श्रौर उन की जी भर प्रशंसा करते हैं । इन बातों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकार संस्कृत को एक उपेक्षित श्रौर मृतक भाषा समझती है । देश से सब जमींदारी श्रौर रियासतें समाप्त हो गई हैं । इसलिये इन लोगों से संस्कृत की पाठशालाओं को जो धन इत्यादि मिलता था वह भी समाप्त हो गया है । यह दुख की बात है कि संस्कृत विद्यालयों के निमित्त रखा गया रुपया अंग्रेज़ी स्कूलों को खोलने इत्यादि में व्यय किया जा रहा है । अतः मैं सरकार से विशेष अनुरोध करता हूं कि सरकार इन पाठशालाओं श्रौर संस्कृत कालेजों को विशेष सहायता देवे ।

इन पाठशालाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने बनारस में संस्कृत विश्व परिषद की बैठक में भाषण देते हुए यह कहा था कि "अब यह समय आ गया है कि सरकार इन पाठशालाओं का दायित्व अपने कंधों पर लेवे ।" यह दुख की बात है कि इन पाठशालाओं की दशा बहुत शोचनीय है । यहां विद्यार्थियों के लिये न्यूनतम सुविधायें भी उपलब्ध नहीं होती हैं । क्योंकि सरकार संस्कृत के लिये जो रुपया व्यय कर रही है वह उस की आवश्यकताओं को देखते हुए नितान्त कम है ।

संस्कृत साहित्य में गवेषणा की नितान्त उपेक्षा की जा रही है । विश्व विद्यालयों में अन्य विषयों पर खूब जोर से गवेषणा का काम चल रहा है तथापि संस्कृत में महत्वपूर्ण ग्रन्थ श्रौर पांडु-लिपियां हैं उन का लोप होता जा रहा है । इस प्रकार हम भारतीय विद्वानों लिखित संस्कृत ग्रन्थों की उपेक्षा करते हैं जबकि विदेशों से विदेशी संस्कृत विद्वानों द्वारा लिखे ग्रन्थों का आयात करते हैं ।

आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह संस्कृत गवेषणा के लिये एक योजनाबद्ध कार्य-क्रम बनाये तथा संस्कृत साहित्य की उन शाखाओं की खोज करे जिन का अभी विकास नहीं हुआ है । इस अवसर पर मैं आपका ध्यान आयुर्वेद श्रौर ज्योतिष की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यदि सरकार इन क्षेत्रों में गवेषणा करेगी तो उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकता है । क्योंकि हमारे पास कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं जिन्हें विदेशी लोग यहां से ले जाते हैं श्रौर लाखों रुपये कमाते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं आकाशवाणी की प्रशंसा करता हूं कि उन्हों ने संस्कृत को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया है ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार केन्द्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना का विचार कर रही है। यह एक संविधि संस्था होगी जिस को पर्याप्त प्रशासन तथा व्यय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होंगे तथा इस संस्था में भारत के सभी भागों के विद्वानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे संस्कृत आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करें, जिस से निकट भविष्य में संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं श्रौर संस्कृत के बीच उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सके ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाजपेयी :** (बलरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—
"और सिफारिश करती है कि सेकेण्डरी स्तर पर संस्कृत के अध्ययन को अनिवार्य बनाने के लिये कार्यवाही की जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन तथा मुख्य प्रस्ताव दोनों सभा के सामने हैं ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत अनुगृहीत हूं कि यद्यपि मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार रखूंगा, आप ने मुझे मूल वक्ता महोदय के बाद ही समय देने की कृपा की है । मैं केवल तीन विषयों की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

पहला विषय यह है कि इस आयोग ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि संस्कृत के जितने विश्वविद्यालय हैं, उन को आर्थिक सहायता दी जाये और उन को और तरह से भी प्रोत्साहित किया जाय । इस सम्बन्ध में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वाराणसी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित है, उस की ओर ख़ास तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । कुछ दिनों पूर्व मैं ने एक प्रश्न पूछने की सूचना दी थी, तो मुझे बताया गया था कि इस विश्वविद्यालय को अभी तक केन्द्रीय सरकार से कोई भी सहायता नहीं दी गई है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक बात है । वाराणसी हमारी भारतीय संस्कृति का और संस्कृत शिक्षा का एक बहुत बड़ा केन्द्र रह चुका है और आज भी देश के कोने-कोने से लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ वहां पहुंचते हैं और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करते हैं । अतः मुझे आशा है कि संस्कृत आयोग की रिपोर्ट के बाद केन्द्रीय सरकार इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करेगी ।

इस आयोग ने अपनी सिफ़ारिशों के साथ इस ओर भी ध्यान आर्षित कराया है कि हमारे बड़े-बड़े मठों, मन्दिरों और ट्रस्टों में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति पड़ी हुई है, जिस का मूल उद्देश्य यह था कि धर्म और संस्कृति का प्रचार किया जाय और उस के साथ-साथ संस्कृत के शिक्षण और उस के अनुसन्धान पर भी वह रुपया लगाया जाये, लेकिन अधिकांश स्थानों पर उस धन का दुरुपयोग किया जा रहा है । जैसा कि अभी हाल में हम ने समाचारपत्रों में पढ़ा है, नाथद्वारा में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, जिस की जांच करने के लिये राजस्थान सरकार को वहां के हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस महोदय को नियुक्त करना पड़ा और वह आज-कल उसकी जांच कर रहे हैं । कुछ दिन पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय विधि मंत्री जी ने बताया था कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में अध्ययन कर रही है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक शीघ्र ही संसद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा । साथ ही मुझे यह बात सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसी ३ तारीख को अखिल भारतीय साधु सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, जिस में प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि इन मठ मन्दिरों की आय की जांच-पड़ताल करने के लिये वह शीघ्र एक कमेटी नियुक्त करने वाले हैं ।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे अनेक राज्यों में जो इस तरह के अधिनियम बने हुए हैं, उन का अध्ययन कर के सारे देश के लिये एक आदर्श अधिनियम बनाया जाय । उत्तर प्रदेश में श्री बद्रीनाथ मन्दिर के प्रबन्ध और व्यवस्था के लिये एक कानून बहुत वर्षों से बना हुआ है और जब से वह कानून बना है, उस मन्दिर की व्यवस्था के सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी उस में संशोधन करने और सुधार करने की बहुत गुंजायश है । मैं आशा करता हूं कि जब यह

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री भक्त दर्शन]

विधेयक सदन के सामने आयेगा और जब वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो हमारे देश में जो इस समय संस्कृत शिक्षा की इतनी अवनत दशा है और अनुदान के लिये जो पूरा रुपया नहीं मिल पा रहा है, उसके बदले करोड़ों रुपया हमारी इन संस्थाओं से मिल सकेगा और इस आयोग ने जो आशा प्रकट की है, वह बहुत कुछ पूरी हो सकेगी।

इस आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि संस्कृत शिक्षा को कान्करेन्ट लिस्ट में रखा जाय, क्योंकि संस्कृत एक सार्वदेशिक भाषा है और किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है। यानी इस समय जो शिक्षा है, वह राज्य सरकारों का विषय है और केन्द्रीय सरकार उस में कोई ज्यादा दखल नहीं दे सकती है, लेकिन चूंकि संस्कृत किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, इस लिये सारे देश की भाषा होने के नाते केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी हो जाती है। इस अवसर पर इस आयोग ने संस्कृत भाषा और उस के साहित्य के महत्व को बताते हुए कहा है कि हमारे संविधान की धारा ३५१ में बताया गया है कि हिन्दी का विकास करने के लियें संस्कृत के मूल उद्गम से शब्द लेने चाहियें, यह बहुत उचित कहा गया है।

अगर आप क्षमा करें, तो मैं इस अवसर पर सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी उस दिन माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एन्थनी साहब ने अंग्रेज़ी की हिमायत में बोलते हुए संस्कृत के ऊपर भी आक्षेप किया था और कहा था कि अगर अंग्रेज़ी विदेशी भाषा है, तो संस्कृत और उर्दू भी विदेशी भाषायें हैं। जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है, यहां तक कि हिन्दी के कट्टर हिमायती भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि फारसी और अरबी विदेशी भाषायें हो सकती हैं लेकिन उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, उसका जन्म इसी देश में हुआ था, यहीं वह भाषा फैली, पनपी और विकसित हुई।

जहां तक संस्कृत का सम्बन्ध है आज भी इस बात पर काफी वाद-विवाद है इतिहासकारों के अन्दर कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, वे बाहर से आये थे, वे अंग्रेज़ आक्रमणकारियों की तरह से बाहर से आये थे। अंग्रेज़ इतिहासकारों की तरफ से जो इतिहास बना है उस में जानबूझ कर जनता के दिमाग पर यह प्रभाव डालने की कोशिश की गई है कि आर्य लोग भी मध्य एशिया से आये। वे यहां की जनता में इस बात को घोल-घोल कर डालना चाहते थे कि अंग्रेज़ तो बाहर से आये ही, लेकिन मुसलमान और आर्य भी बाहर से आये थे। पर इतिहासकारों ने अब नई खोज की है, उसके बारे में जैसा कि डा० सम्पूर्णानन्द ने एक अपनी पुस्तक में कहा है, कि आर्यों का मूल स्थान, आदि देश तो भारत ही है।

लेकिन अगर तर्क के लिये मान भी लिया जाय कि आर्य लोग बाहर से, मध्य एशिया से यहां आये तो यह निश्चित है कि जिस समय वे आये, आज से छः, दस या बीस हज़ार वर्ष पहले, तो उस समय उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी और एक तरह से ट्राइबल लैंगुएज रही होगी। भारत की भूमि पर पदार्पण करने के बाद वास्तव में संस्कृत का विकास हुआ और तब जा करके संस्कृत का वर्तमान स्वरूप बना और उसके बाद वह पनपी और विकसित हुई।

इसलिये अंग्रेज़ी के हिमायती अगर संस्कृत पर यह लांछन लगाते हैं कि संस्कृत एक विदेशी भाषा है विदेशों से यहां आई है, यह भारतीय भाषा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि संस्कृत के प्रेमी श्री एंथनी साहब को इसका यही जवाब दे सकते हैं कि जिस समय उनके प्रस्ताव पर मतदान हो कि अंग्रेजी को भी आठवें शेड्यूल में स्थान दिया जाये तो उस समय उनको इसका स्पष्ट रूप से जवाब

दिया जाये और यही जवाब देने का एक तरीका है । अगर वह इस तरह से देश को तथा संस्कृत को अपमानित करना चाहते हैं तो अंग्रेजी को हम कुछ समय के लिये बरदाश्त तो कर सकते हैं, इसका अध्ययन जारी रख सकते हैं, लेकिन उसको संविधान में स्थान दे कर हम राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, यह एक देश के लिये अपमानजनक बात है, इस वास्ते हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस कमीशन ने बहुत परिश्रम के साथ अपना कार्य किया है और सारे देश में घूम कर सब बातों का पता लगाने की कोशिश की है । उसने संस्कृत शिक्षा के अध्ययन के बारे में जो सुझाव दिये हैं उन में से एक दो को छोड़ कर जोकि व्यावहारिक प्रतीत नहीं होते हैं, बाकी पर अमल होना चाहिये । यह कहा गया है कि अंग्रेजी को तो चाहे रहने दिया जाये, लेकिन संस्कृत की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाये और साथ ही साथ यह जो कहा है कि और कोई भाषा रहे या न रहे लेकिन संस्कृत अवश्य रहे, यह जो मनोवृत्ति उसने दिखाई है, इससे मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाये । बाकी जो सिफारिशें की गई हैं, उनका आम तौर से मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय उन पर विचार करके उचित कार्रवाई करेगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : इस प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । सर्वप्रथम मैं संस्कृत आयोग के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतना उत्तम प्रतिवेदन तैयार किया है ।

संस्कृत साहित्य व संस्कृत भाषा अत्यन्त समृद्ध तथा अद्वितीय है । मैक्समूलर के शब्दों में संस्कृत संसार की सबसे महान, अनोखी तथा परिपूर्ण भाषा है । हमारा यह श्लोक हमारी एकता का मूल आधार है :

"गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन सन्निधिं कुरु ।।"

जब हम काशी व रांची जैसे पवित्र सातों तीर्थों का स्मरण करते हैं, तो हमें अपने देश की एक सूत्रता का स्मरण हो जाता है, संस्कृत मानव संस्कृत को अनुरक्ति व विरक्ति की शिक्षा देने वाली पवित्र भाषा है ।

हमारे पूर्वजों ने कितने उच्च कोटि के वातावरण की सृष्टि की है :

"ईशावास्यमिदं सर्वं यर्दाकि जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः ।"

कैसे उच्च कोटि के आदर्श समाज की कल्पना है । हम समाजवादी समाज की इच्छा से ओतप्रोत हैं । हमारे लिये सर्वोत्तम नारा यह हो सकता है :

"न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नायुनर्भवं
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं ।"

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

अर्थात् हमें स्वर्ग या साम्राज्य की इच्छा नहीं है, हमें तो केवल यह चाहिये मानव कष्ट समूल नष्ट हो जाये । यह हमारी परम्परागत संस्कृति है, जो हमें संस्कृत प्रदान करती है और हमें इसके प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिये ।

हमारा संस्कृत साहित्य हमें केवल विरक्ति की ही शिक्षा नहीं देता । उस में ६४ कलाओं का भंडार है । वात्स्यायन, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मपुत्र आदि का साहित्य बहुमुखी प्रतिमा का प्रमाण है । उसके बाद धीरे-धीरे संस्कृत एक उच्च वर्ग के लोगों की वस्तु बन गयी । सामान्य जनता की चीज़ नहीं रह गयी । यह संस्कृत की अवनति का आरम्भ था । अतः संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन हमें बतायेगा कि आगे हम किस मार्ग का अनुसरण करें ।

माननीय मित्र श्री सूपकार ने कहा कि सेकेण्ड्री स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य विषय होना चाहिये । पर आपको ध्यान रहे कि जीवन छोटा है, सीखने की चीजें बहुत हैं, अतः इसमें कुछ कठिनाई होगी । हिन्दी, अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषायें तो हैं ही, अब संस्कृत को अनिवार्य बनाना ठीक न होगा । अतः मैं इसके पक्ष में नहीं हूं ।

आयोग ने संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है, पर मैं उससे सहमत नहीं हूं । संस्कृत को एक विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । यह भी आवश्यक है कि जिन स्कूलों, पाठशालाओं तथा अन्य स्थानों पर संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है, उनकी अवहेलना न की जाये ।

आज का युग पंडिताऊपन की संस्कृत का नहीं है और न उससे हमारा कल्याण होगा । अतः हमें संस्कृत में ज्योतिष आदि विषयों पर गवेषणा करने का प्रयत्न करना चाहिये । मूल प्रयोजन यह है कि पुरातन व नवीन का सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री ने जो आश्वासन दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है । शीघ्र से शीघ्र एक केंद्रीय संस्कृत बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये । आयोग ने संस्कृत की परीक्षाओं को प्रामाणिक बनाने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है, वह भी बहुत बहुमूल्य है और सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

पुरानी पाण्डुलिपियों के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग पाण्डुलिपियों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहा है पर उसका कार्य उतना सन्तोषजनक नहीं है, जितना होना चाहिये । अब भी इस आयोग की मनोवृत्ति अंग्रेजी की पाण्डुलिपियों की ओर है । मेरा निवेदन है कि संस्कृत की पाण्डुलिपियों को संगृहीत करने के सम्बन्ध में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । इनमें बहुत बहुमूल्य सामग्री छिपी पड़ी है ।

यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रोत्साहन दे, तो संस्कृत की पुरानी पाण्डुलिपियों का संकलन भी प्रकाशित किया जा सकता है ।

संस्कृत आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि रामायण, महाभारत व गीता आदि के विद्वानों तथा प्रचारकों को सामुदायिक विकास खण्डों तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं में रखा जायें । मैं इससे सहमत हूं । आप इस बात से सहमत होंगे कि आचरण के निर्माण में इससे बहुत सहायता मिलेगी और हमारी संस्कृत में जिस आचरण की महानता का उल्लेख है, उसका प्रचार इसी प्रकार किया जा

सकता है । महाभारत का श्री राजगोपालाचारी कृत अंग्रेजी अनुवाद मैंने पढ़ा है । बहुत ही सुन्दर चीज़ है । अतः हमारा निवेदन है कि सार्वजनिक आचरण निर्माण की दृष्टि से यह योजना बड़ी आवश्यक तथा उपादेय है ।

खेद की बात है कि हमारे देश में संस्कृत के सम्बन्ध में बहुत कम काम हुआ है । इससे अधिक काम विदेशों में हो चुका है । अभी यदि हमें संस्कृत के अच्छे शब्दकोष की आवश्यकता पड़ती है, तो हम सेन्ट पीटर के शब्दकोष को ही देखते हैं । अतः हमें स्वयं अच्छे शब्दकोष बनाने चाहियें । हमारे देश में डा० काने तथा नीलकान्त शास्त्री जैसे महापंडित अभी भी हैं । उनका लाभ हमें मिल सकता है ।

अन्त में मैं इस श्लोक के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

"त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।"

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं इस प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं । संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में नव जागरण की एक लहर आई, जिसे हम सांस्कृतिक जागरण की संज्ञा देते हैं । इसके अधीन कला, नृत्य, संगीत आदि का विकास हुआ और हो रहा है । पर इन सब का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है और आज देश में एक धारणा है कि संस्कृत को समुचित महत्व नहीं दिया जा रहा है ।

संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं इस सम्बन्ध में केवल एक-दो बात कहना चाहता हूं । संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा है । वेद आदि ग्रन्थ हैं और वे संस्कृत में हैं । कहा जाता है कि वेद ईश्वर की वाणी है । अर्थात् सृष्टि के निर्माण के पूर्व वेदों की सृष्टि हो चुकी थी ।

"यस्य निः श्वसितम् वेदाः
यो वेदेभ्योऽखिलम् जगत्
निर्ममे तमहम् वन्दे
विद्यातीर्थं महेश्वरम् ।।"

अतः हमारे ये वेद आध्यात्मिक विधियां हैं । सृष्टि तथा ईश्वर के सम्बन्धों का विश्लेषण हमारे वेदों में किया गया है । इसी संस्कृत के साधन से आदि सम्पूर्ण भारत में प्राचीन विचारधारा, दर्शन तथा संस्कृति अक्षुण्ण रह पायी है ।

भारत ने संसार के इतिहास के निर्माण में सहायता ही नहीं की है, बल्कि भारत ने प्राचीन सभ्यता को सुरक्षित भी रखा है । यदि कोई चाहे, तो वह भारत में स्वयं देख सकता है । केवल दर्शन तथा इतिहास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संसार के सामने एक नवीन आदर्श रखने की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा महत्व है । आप कालिदास या व्यास द्वारा लिखित किसी महाकाव्य को ले लीजिए । प्रत्येक भारतीय को इन ग्रन्थों पर गर्व है ।

मुसलमान जब भारत में आये, तो उन्होंने भी हमारी संस्कृति व सामाजिक दशा को कुछ हद तक बिगाड़ा । बाद में अंग्रेजों ने एक नयी शिक्षा प्रणाली को लागू किया, जो कि संस्कृत विरोधी थी और जिसमें संस्कृत को कोई स्थान नहीं प्राप्त था । अतः अंग्रेजों के शासन काल में संस्कृत को कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

भी प्रश्रय या प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यही नहीं अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को प्रोत्साहन दिया गया तथा बड़ी-बड़ी रियायतें दी गईं। इस प्रकार संस्कृत को एक नीची जगह पर रखा गया।

पर भारत की जनता में अपनी संस्कृति, धर्म व साहित्य के प्रति प्रेम है। और इसी प्रेम के कारण भारत धर्म वसंस्कृति को न भूल सका न छोड़ सका। हमने संघर्ष किया। हमें आशा थी कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद हमारी संस्कृत भाषा को विकसित होने के लिये पूर्ण अवसर मिलेगा। पर वास्तव में,—यद्यपि बहुत कुछ हो रहा है—संस्कृत की उन्नति व विकास के लिये कुछ भी नहीं किया गया। अतः सारी स्थिति का अध्ययन करने के लिए यह आयोग नियुक्त किया गया था।

आयोग ने यह प्रतिवेदन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमें इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना है। आयोग ने सब बातों का अच्छी तरह अध्यनन किया है।

प्रतिवेदन में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गयी है। पाठशालाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। पाठशालाओं में शिक्षित पंडित विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त विद्वानों से बहुत योग्य होते हैं। पाठशालाओं की परिपाटी तथा विश्वविद्यालयों की परिपाटी—दोनों में संस्कृत के शिक्षित विद्वानों की तुलना मुरारी कवि ने बहुत सुन्दर ढंग से की है :—

"अविध लघित एव वानर भरैः
किं त्वतस्थ गम्भीरताम्।
आपाताल निमग्न पविर
तनुः जानाति मंथाचलः॥"

स्वयं अपने बारे में मुरारी ने कहा है :

"गुरुकुल क्लिष्टो मुरारिः कविः।"

अर्थात् गुरु की सेवा करके मैंने वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया है। मैं मानता हूं कि पाठशाला परिपाटी को चलाते रहने के लिये हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना होगा पर वह तो हमें करना ही होगा। इसके बिना आप शिक्षा तथा ज्ञान को सुरक्षित नहीं रख सकते। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप पुराने संस्कृत साहित्य की रक्षा नहीं कर सकते। आज जेमिनी सूत्र, वेदान्त सूत्र तथा अष्टाध्यायी सूत्र के भाष्य कौन लिख सकता है। अतः यदि आपको इन भाष्यों की रक्षा करनी है तो संस्कृत को प्रोत्साहन देना ही होगा।

यदि आप इस कार्य को करना चाहते हैं तो आपको—जैसा कि आयोग ने सिफारिश की है—एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलना होगा, जिसमें योग्य ढंग से संस्कृत के ग्रन्थों का अध्ययन व शोध का होगा।

आज हमारे जो पुराने ग्रन्थ हैं, उनकी टीका या समीक्षा विद्वान् पंडित ही कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि संस्कृत साहित्य की निधि को सुरक्षित रखा जाये।

आज की शिक्षा प्रणाली में कुछ कठिनाइयां हैं। विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत लेने की छूट नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय को काम चलाऊ संस्कृत अवश्य आ जानी चाहिये यदि आप नवयुवकों को संस्कृत शिक्षा में आगे बढायेंगे, तो देशभक्त, राजनीतिज्ञ तथा अन्य प्रकार के कार्यकर्त्ताओं की कमी नहीं रहेगी।

अंग्रेजों से जब हम संघर्ष कर रहे थे, तो हमारा आदर्श था कि हम अपने देश की संस्कृति के साथ उन्नति करेंगे। पर अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारी अंग्रेजियत नहीं गई। हम घरेलू तथा सार्वजनिक जीवन में अभी भी उनकी नकल करते आ रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रतिवेदन को माननीय मंत्री ध्यान से पढ़ें। कालेजों तथा स्कूलों में संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाये, मैं संस्कृत को अनिवार्य बनाने सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करता हूं।

अन्त में मैं मनु के **मानव धर्म शास्त्र** का उल्लेख करूंगा। उसमें कहा गया है:

एतद्देश प्रसूतस्थ सका शादग्रजन्मनः

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवाः ।।

यह मनु का सन्देश है मानवता के प्रति। यदि आप संसार के सामने शान्ति का संदेश रखना चाहते हैं, तो आप को इस शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा। पंचशील तो इसका आरम्भ मात्र है। इसी के आधार पर आप पंचशील को फला-फूला व विकसित देख सकेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने का यह सुन्दर अवसर है। जहां तक मेरा अपना विचार है कि संस्कृत को राजभाषा मान लेने से भाषा सम्बन्धी विरोध काफी सीमा तक दूर हो जायेगा। यदि संस्कृत आयोग की यह एक सिफारिश स्वीकृत कर ली जायेगी, तो आयोग को नियुक्त करने का उद्देश्य पूर्ण हो जायेगा। संविधान के अनुच्छेद ३५१ में कहा गया कि हिन्दी की शब्दावली को समृद्ध बनाने के लिये आवश्यकतानुसार संस्कृत के शब्दों की सहायता ली जानी चाहिये।

संस्कृत भाषा हमारी भारतीय सम्यता व संस्कृति का मूल आधार है। भारत की अन्य भाषाओं के विकास के लिये भी संस्कृत का विकास आवश्यक है। संस्कृत संसार की ट्रसबसे अधिक विकसित भाषा है। लगभग ३००० वर्ष तक यह भारत की जनता की एकता तथा राष्ट्रीयता की प्रतीक थी।

सभी भाषा-भाषी लोगों के लिये संस्कृत का समान महत्व है। अतः किसी को भी संस्कृत के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं हो सकती और सब भाषाओं के विकास के लिये इसका सहयोग मिलेगा। आयोग के सभापति ने रिपोर्ट में कहा है कि इससे भाषा सम्बन्धी कटुता व भेदभाव को दूर करने में सहायता मिलेगी। प्रतिवेदन के अन्त में कहा गया है कि इसमें की गयी सिफारिशें व इसमें दिये गये विचार भारत की जनता की सिफारिशें हैं।

इस आयोग ने डा० सी० बी० रमन, डा० काटजू तथा श्री श्रीप्रकाश जैसे लोगों के साक्ष्य लिये हैं। डा० रमन ने तो कहा कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बना दिया जाय।

प्राचीन काल में संस्कृत भारत की बोलचाल की भाषा थी। इस का प्रमाण **नैषध** चरित्र के इस श्लोक से मिल जायेगा :—

अन्योन्यभाषानवबोधमीते:
संस्कृतृमिमाभिर्व्यवहार वत्सु ।
दिग्म्यः समेतेषु नृपेषु तेषु
सौवर्ग वर्गो न जैनरचिन्हि ।।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

यही नहीं अपने अन्तर्राष्ट्रीय संचार में भी भारत संस्कृत का ही प्रयोग करता था ।

संस्कृत के अनुसार हमारे देश का नाम भारत है । हमारा राष्ट्रीय आदर्श 'सत्यमेव जयते' संस्कृत उद्धरण है । हमारा राष्ट्रगीत 'जन गण मन" भी ९० प्रतिशत संस्कृत का है और लोक-सभा का आदर्श 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' भी संस्कृत का ही उद्धरण है । हमारी आकाशवाणी का आदर्श "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" भी संस्कृत का ही है । हमारी विदेशी नीति का प्रतीक "पंचशील" भी संस्कृत की ही देन है । लाबी की गुंबज में भी अंकित है एक संस्कृत श्लोक :

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा :
वृद्धान ते ये न वदन्ति धर्मम् ।
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति
सत्यम् न तत् यत् छलेमभ्युपैति ।।

लोक-सभा के मुख्य द्वार पर भी संस्कृत का उद्धरण अंकित है ।

स्पष्ट है कि संस्कृत आदि काल से एक सजीव तथा समर्थ भाषा रही है । देश के बाहर भी इस का प्रचार था ।

आप को मालूम होना चाहिये कि जब श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर को डी० लिट० की उपाधि देने के लिये आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी से सर मौरिस ग्वेयर शान्ति निकेतन आये थे, तो इस उपाधि के उपलक्ष में श्री टैगोर ने संस्कृत में भी आभार प्रकट किया था । इस सभा की सदस्यता की शपथ भी मैं ने संस्कृत में ही ली थी ।

आयोग ने कहा है कि संविधान सभा में जब संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न आया था, उस समय डा० अम्बेडकर, डा० केसकर, श्री कृष्णमाचारी, डा० सुब्बारायन, तथा मद्रास व पश्चिमी बंगाल के अनेक माननीय सदस्य इस के पक्ष में थे । मि० नजीरउद्दीन ने इस सम्बन्ध में जो भाषण संविधान सभा में दिया था, वह भी उल्लेखनीय है ।

आयोग ने आगे यह भी कहा है कि यद्यपि दैनिक कारबार के लिये हिन्दी का उपयोग किया जाये पर शिक्षा तथा उच्च श्रेणी के अन्य कार्यों में संस्कृत निष्ट हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जाय । मेरा अनुरोध है कि संस्कृत को एक अतिरिक्त राजभाषा घोषित कर दिया जाये ।

अन्त में मैं अपना भाषण इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं :

"प्रदीप ज्वालाभिर्दिवसकरनी राजन विधि :
सुधासूनेश्चन्द्रोपल–जललवैरर्घ्यरचना
स्वर्कीयैरम्भौभिर्लवल निधि सौहित्यकरणम्
त्वदीयाभिर्वागमिस्तव जननि वाचांस्तुतिरियम् ।"

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति महोदय, संस्कृत के सम्बन्ध में संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर जो विचार चल रहा है, स्वतंत्र होने के बाद पिछले साढ़े ग्यारह वर्षों में भारतीय लोक-

सभा के इतिहास में ये क्षण ऐतिहासिक क्षण माने जायेंगे कि जब हम इस प्रकार की एक समस्या पर विचार करने के लिये उपस्थित हैं, जो भारतीय संस्कृति की मूल भित्ति है और भारतीय भाषाओं की भी मूल भित्ति है। संस्कृत के सम्बन्ध में जिस समय हम विचार कर रहे हैं, तो ये शब्द हमारे कानों में पड़े हैं कि संस्कृत उन भाषाओं में है, जो कभी जनप्रिय या लोकप्रिय भाषायें नहीं रहीं, या जनता में संस्कृत का इस प्रकार का व्यवहार नहीं रहा कि वह किसी भी देश की जन-भाषा कहला सके। मैं पहले यहां से अपने कथन को आरम्भ करना चाहता हूं कि हमारे देश का पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है कि संस्कृत इस देश की जन-भाषा भी रही है और शासकीय भाषा भी रही है। पुराने इतिहास के पृष्ठों में यह लिखा हुआ है कि जिस समय हमारे देश में राजा भोज का राज्य था, तो उस समय एक ब्राह्मण जब कुछ समिधायें सिर पर ले कर नदी पार कर रहा था और दूसरे किनारे पर महाराजा भोज खड़े थे, तो उन्हों ने ब्राह्मण से पूछा, "कियन्मानं जलं विप्र"—"ऐ ब्राह्मण, इस नदी में जल कितना है"। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, "जानुदघ्नं नराधिप"–जांघ तक पानी आयेगा, इतना पानी इस नदी में है।" महाराजा भोज ने फिर पूछा, "भारं किं बाधति विप्र"—"क्या तुम्हारे सिर पर जो समिधायें रखी हुई हैं, उस से तुम्हें बोझ लग रहा है"? तो ब्राह्मण ने उत्तर उतर दिया, "भारं न बाधते राजन्, यथा बाधति बाधते"—"ऐ राजन्, मुझे लकड़ियों का बोझ उतना भारी नहीं लगता है, जितना कि संस्कृत के शब्द "बाधति" का तुम ने जो ग़लत प्रयोग किया है, उस का बोझ लग रहा है।" इस से प्रतीत होता है कि हमारे देश के लकड़हारे भी जो जंगलों से समिधायें ले कर आते थे वह भी संस्कृत का प्रयोग करते थे।

शंकराचार्य और मंडन मिश्र के संवाद में एक कथा आती है कि जब शंकराचार्य मंडन मिश्र से मिलने के लिये गये, तो गांव की सीमा पर जा कर उन्हों ने एक साधारण से व्यक्ति से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है, तो उस व्यक्ति ने मंडन मिश्र के घर का परिचय देते हुए कहा कि मंडन मिश्र के घर की यह पहचान है—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं
कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति।
द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धाः
अवेहि तन्मण्डनमिश्र वासः॥

अर्थात् मंडन मिश्र के घर की यही पहचान है—जिस घर के दरवाजे पर टंगे हुए तोता और मैना इस प्रकार के वाद-विवाद के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, उसे अपने प्रमाणित होने के लिये किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है या वह स्वयं अपने में पूर्ण है, समझ लेना कि वही मंडन मिश्र का घर है। इस से प्रतीत होता है कि जिन लोगों का यह कहना है कि संस्कृत कभी हमारे देश में जन-भाषा नहीं रही, वे संस्कृत के पुराने साहित्य से परिचित नहीं हैं। अभी हमारे संसद् के माननीय सदस्य श्री माधव श्री हरि अणे ने संस्कृत के सम्बन्ध में मानवीय विधान के आदि निर्माता भगवान् मनु की जो उक्ति हमारे सामने रखी है :

एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

अर्थात् हमारे देश के ब्राह्मणों के चरणों में आ कर दुनिया के लोग शान्ति और सदाचार का पाठ सीखें। मैं इस में इतनी और वृद्धि करना चाहता हूं कि न केवल हम ने हिमालय पर खड़े हो कर यह नारा घोषित किया, बल्कि हमारे देश के तपस्वी ब्राह्मण और साधक ऋषि पुलस्त्य उस संदेश को लेकर

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

समुद्र की छाती को चीरते हुए नावों में बैठ कर आस्ट्रेलिया गये और वहां उन्हों ने आश्रम स्थापित किया और भारतीय ज्ञान का प्रसार किया। हमारे देश के ेदव्यास नावों के द्वारा अमरीका में गये और उन्हों ने वहां जा कर भारतीय ज्ञान का प्रचार किया। केवल हम ने अपने देश में बैठ कर ही इस प्रकार का नारा लगाया हो, यह बात नहीं है, बल्कि विश्व के कोने-कोने में हम ने संस्कृत ज्ञान की गरिमा और भारतीय संस्कृति की गरिमा प्रस्थापित की। हमारे देश का पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है। लेकिन आज हमारा यह सब से बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश ने कभी संस्कृत जैसी भाषा के ऊपर अभिमान किया, जिस देश की जन-भाषा और शासकीय भाषा भी संस्कृत थी, वहां कुछ इस प्रकार के संस्कृत के समारोह होते हैं, जिन में विदेशी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अभी पिछले दिनों कितनी लज्जास्पद घटना हुई कि उज्जैन में महाकवि कालिदास की जयन्ती का समारोह मनाया जा रहा था। जयन्ती के आयोजकों ने रूस के सांस्कृतिक प्रतिनिधि श्री वारानिकोव को भी उस में आमंत्रित किया। जिस समय श्री वारानिकोव वहां पर गये और उन्हों ने समारोह को अंग्रेज़ी में होते देखा, तो लज्जा के कारण उन का मस्तक झुक गया और उन्हों ने खड़े हो कर कहा कि "अगर दिल्ली से चलते समय मुझे मालूम हो जाता कि कालिदास की जयन्ती समारोह अंग्रेज़ी भाषा में मनाया जा रहा होगा, तो मैं शायद आप के समारोह का बहिष्कार कर देता। मैं तो यह सोच कर आया था कि भारत के गौरवपूर्ण कवि कालिदास की जयन्ती उज्जैन में मनाई जा रही है, लेकिन पराधीनता की सूचक भाषा में—आप कालिदास को जयन्ती मना रहे हैं, इस से ज्यादा लज्जास्पद बात नहीं हो सकती।" श्री वारानिकोव ने कहा कि "मैं इस का प्रायश्चित इस रूप में करता हूं कि मैं न जो अगले समारोह में भाग लेना स्वीकार किया था, मैं उस का बहिष्कार करता हूं।" इतना कह कर वह अगले समारोह में सम्मिलित नहीं हुए। यह इतनी बड़ी ठेस थी, जो रूस के सांस्कृतिक प्रतिनिधि, श्री वारानिकोव न उज्जैन में आ कर हमारे मस्तिष्कों को लगाई।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में संस्कृत न केवल हमारी भारतीय भाषाओं में एकरूपता लाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है और उस का महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि संस्कृत को यह सौभाग्य भी प्राप्त है कि रूस के सांस्कृतिक प्रतिनिधि, श्री वारानिकोव, और दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी यहां आकर उन्मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार कर गये हैं कि हमारी और भारत की भाषाओं में एकरूपता लाने और एक कड़ी बनाने का कार्य यदि कोई करता सकता है, तो वह भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत ही कर सकती है। क्योंकि हमारा व्याकरण, हमारा छंद शास्त्र, हमारे अलंकार आदि जो भी हैं, उन का ऋण इस प्रकार की जितना भी दूसरी भाषायें हैं, वे स्वीकार करती हैं। लेकिन मैं अपने इस कथन की पुष्टि में सब से महत्वपूर्ण उद्धरण भारत के महामान्य राष्ट्रपति महोदय का देना चाहता हूं। अभी जिस समय जगन्नाथ पुरी में विश्व संस्कृत परिषद् का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय भारत के महामान्य राष्ट्रपति महोदय ने एक यह बात सँस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर, कही। मैं माननीय शिक्षा मंत्री को कहना चाहूंगा यह समस्या केवल इस प्रकार की नहीं है कि हम जो ५०-६० सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उन्हीं तक केवल सीमित है बल्कि भारत के महामना राष्ट्रपति जी ने पुरी के विश्व सँस्कृत अधिवेशन में अपना उद्घाटन भाषण देते हुए कहा था कि क्योंकि संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन आ चुका है और वह लोक-सभा में प्रस्तुत होने वाला है इसलिये उस सम्बन्ध में मैं अभी कुछ विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं। प्रतीत होता है कि हमारे राष्ट्रपति जी भी आज के इस वातावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे जिस के आधार पर उन्होंने वहां कुछ कहन से निषेध किया। जितने भी विश्व संस्कृत परिषद के सोमनाथ से लेकर जगन्नाथपुरी तक अधिवशन हुए हैं उन में भारत के महामना राष्ट्रपति जी ने

प्रत्येक अधिवेशन के अन्दर सम्मिलित होकर संस्कृत के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त की है। एक सब से बड़ी बात जो मैं बताना चाहता था राष्ट्रपति जी ने विशेष रूप से अपने भाषण में कहा :—

"संस्कृत का इस देश के समस्त जीवन, संस्कृति, साहित्य, कला आदि पर जो प्रभाव पड़ा है वह किसी से छिपा नहीं है। हमारी प्रादेशिक भाषायें भी संस्कृत द्वारा ही पोषित हुई हैं और आज भी अधिकांश साहित्य संस्कृत के आधार पर ही निर्मित होता है। अभी, हाल ही में, मैं विदेशों में गया था और वहां जा कर जो मैंने देखा उससे मेरे हृदय पर इस बात की अमिट छाप पड़ी है कि संस्कृत द्वारा हमारे पूर्वजों ने दूरस्थ देशों तक किस तरह हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे विचारों का प्रचार किया था। उसके चिह्न केवल स्मृतियों के रूप में ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार से जीवित रूप में आज भी वर्तमान हैं। मैंने देखा कि इंडोनेशिया जैसे देश में भी जहां के निवासी प्रायः सब के सब मुसलमान हो गये हैं, आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं में वे आस्था ही नहीं रखते बल्कि रामायण और महाभारत के महान पुरुषों और बड़े-बड़े पात्रों को आज भी अपने लिये आदर्श मानते हैं।"

यह हमारे राष्ट्रपति महोदय ने पुरी के अन्दर कहा था। लेकिन मैं इस से ही सम्बन्धित और एक बात कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया जिस के सम्बन्ध में महामना राष्ट्रपति जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसके जो सर्वोच्च शासक हैं जिन का नाम डा० सुकर्ण है, कहने को तो वह मुसलमान हैं, लेकिन सुकर्ण नाम न अरबी का है और न फार्सी का और न ही उर्दू का बल्कि शुद्ध रूप से संस्कृत का है जिसका मतलब है अच्छे कान वाला उसी को सुकर्ण कहते हैं। उनकी स्त्री का नाम सत्यवती और पुत्री का नाम पद्मा है। इतना ही नहीं कितने ही ऐसे देश हैं जिन के नामकरण संस्कृत से हुए हैं। संस्कृत साहित्य के ही गौरव और प्रसार के वह प्रतीक हैं और उसी से यह पता चलता है कि भारत दुनिया के अन्दर कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता था और यह केवल संस्कृत के कारण था। जर्मन देश को शर्मन कहा जाता था, ईरान को आर्यन देश, अफगानिस्तान को अपगणस्थान, डेनमार्ग को धेनुमार्ग, बलोचिस्तान को बलोच्चस्थान इत्यादि। हर देश की परम्परा के आधार पर, उसकी विशेषता के आधार पर ये नाम पड़े थे। इससे प्रतीत होता है कि संस्कृत का स्थान न केवल भारत की चार दीवारी में ही बल्कि भारत से बाहर भी जो देश हैं, उनमें भी स्वीकार किया जाता था। आज भी संस्कृत के महत्व को वह स्वीकार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब संस्कृत के सम्बन्ध में चर्चा चलती है तो यह युक्ति विशेष रूप से दी जाती है कि मान लीजिये कि कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जिस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं और उनके अनुसार संस्कृत को एक अनिवार्य विषय बना भी दिया जाता है तो भारत के छात्रों के मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जायेगा। पहले तो उनको अंग्रेज़ी पढ़नी होगी, फिर राष्ट्र भाषा, फिर अपनी मातृ भाषा और उसके अतिरिक्त आप कहना चाहते हैं कि संस्कृत का बोझ भी उनके मस्तिष्क पर डाल दिया जाये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह सही हो सकता है कि इतने बोझ को वे सम्भाल नहीं सकेंगे, बोझ बहुत अधिक हो जायेगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि भोजन अधिक हों, और उस में से नमक निकाल दिया जाये तो जिस प्रकार से भोजन नीरस हो जायेगा, उसी प्रकार से आज संस्कृत का ज्ञान अगर होता नहीं है, तो वही बात होगी जोकि नमक के बगैर भोजन की होती है। कोई भाषा भारत की इस प्रकार की नहीं है जो संस्कृत के ऋण को स्वीकार न करती हो, संस्कृत से निकली न हो। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है,

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

यही सभी भाषाओं का उद्गम स्थान है, इसी से सभी भाषायें आरम्भ हुई हैं। यहां तक कि द्रविड़ भाषाओं के ऊपर भी इसका स्पष्ट प्रभुत्व प्रतीत होता है।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व संस्कृत परिषद के अधिवेशनों में जिन में हमारे राष्ट्रपति महोदय हमेशा पधारते हैं और जिस के बारे में कहा गया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण भाषा है उस में हमारी संस्कृति छिपी हुई है, उसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो विचार थे, उनको मैं उनके ही शब्दों में कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में, अपनी लेखनी से ये शब्द लिखे हैं कि जो हिन्दू संस्कृत नहीं जानता है, उसको मैं हिन्दू नहीं कह सकता हूं। ये गांधी जी के अपने शब्द हैं कि जो संस्कृत से दूर है, उसको आप कैसे हिन्दू कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो इस में मुझे सन्देह प्रतीत होता है।

अभी हाल ही में इस देश के एक बहुत बड़े नेता और गम्भीर विचारक आचार्य विनोबा भावे ने संस्कृत में जो शब्द कहे हैं, वे सुनने लायक हैं। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं :—

> "हर नागरिक को दो भाषाएँ आनी चाहियें। मातृभाषा और राष्ट्र भाषा। जैसे दो आंखों से ज्ञान मिलता है, वैसे ही दो भाषायें सीखने से ज्ञान बढ़ेगा। दोनों मिलकर सम्यक् दर्शन होगा। शंकर भगवान के तीन नेत्र थे। उनका तीसरा नेत्र ज्ञाननेत्र था। हमारे सभी देशवासियों को अच्छी संस्कृत आनी चाहिये। संस्कृतज्ञ होते ही वह तीन नेत्र वाला हो जायेगा। भगवान् शंकर की कोटि में आ जायेगा।"

ये शब्द आचार्य विनोबा भावे के हैं जो उन्होंने संस्कृत के बारे में व्यक्त किये हैं।

हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संस्कृत के सम्बन्ध में आज़ाद भवन का उद्घाटन करते समय जो शब्द कहे थे उनको हमारे माननीय सदस्य श्री सूपकार जी ने आपको सुना ही दिया है। लेकिन अभी हरिद्वार में १३ अप्रैल को जबकि प्रधान मंत्री जी वहां गये थे, वहां पर जो कुछ उन्होंने संस्कृत के सम्बन्ध में कहा और अपनी श्रद्धा व्यक्त की, उसमें उन्होंने अमरीका की एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा था कि मुझे अमरीका के उस महाविज्ञानवेत्ता के घर में सँस्कृत की एक बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिली जिसने अणुबम बनाया था। उन्होंने मुझे कहा कि जापान में प्रयुक्त हुए अणुबम से जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ था वह गीता के ११वें अध्याय में वर्णित "विश्वरूप" जैसा था।

प्रधान मंत्री जी ने विश्व संस्कृत परिषद के लिये जो संदेश दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था :—

> "मैं सर्वथा संस्कृत का उत्थान चाहता हूं। मैं अपने पंडितों को संस्कृत साहित्य के अनुसंधान में लगाना पसन्द करूंगा और संस्कृतज्ञों को युग के अनुकूल बनना चाहिये"।

इस सब से प्रतीत होता है कि देश का प्रत्येक विचारक—आज चाहे और किसी भाषा के प्रश्न को लेकर किसी प्रकार के विवाद में पड़ना चाहता हो—लेकिन जहां तक संस्कृत का प्रश्न है, काश्मीर से लेकर मद्रास तक और रंगून से लेकर कच्छ तक, किसी विवाद में नहीं पड़ा है और संस्कृत में सबकी सच्ची श्रद्धा है। और अधिक इस सम्बन्ध में न कहते हुए तथा अपने भाषण का उपसंहार करते हुए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के सम्मुख कुछ सुझाव रखना चाहूंगा और चाहूंगा

कि वह उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इस नाते भी मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि संस्कृत कमिशन ने भी उनका समर्थन किया है। अपनी ओर से इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये क्योंकि राज्य सभा में सँस्कृत कमिशन की रिपोर्ट पर विचार हो चुका है, लोक सभा अब विचार कर रही है और इसके पश्चात् फिर संस्कृत कमिशन की रिपोर्ट पर और कहीं विचार होना नहीं है। ऐसी स्थिति में देश की दृष्टि भारतीय लोक सभा की तरफ लगी हुई है कि वह क्या करती है।

कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जैसे उत्तर प्रदेश के शासन ने वाराणसी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है या पंजाब में कुरुक्षेत्र में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, दरभंगा में स्थापना होने जा रही है, हैदराबाद में तिरुपती में और कई अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहे हैं, लेकिन मुझे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय क्षमा करें कि यदि मैं उनकी दुर्व्यवस्था या दयनीय अवस्था का वर्णन करूँ अथवा फिर उनके बारे में कुछ अधिक न कहना ही पर्याप्त है। जब आप देश की सब भाषाओं को पुष्ट करना चाहते हैं, उनकी अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको संस्कृत विश्वविद्यालयों के बारे में जो उपेक्षित दृष्टिकोण है, उसको आपको दुरुस्त करना होगा और उनकी तरफ सावधानी के साथ देखना होगा। इसके साथ ही साथ विशेष रूप से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो प्रान्तीय स्तर की बातें हुईं, लेकिन जहां तक भारत की राजधानी का ताल्लुक है, वहां पर भी संस्कृत का एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिये जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जिससे अन्य विश्वविद्यालय भी अनुप्राणित हो सकें और भारत में संस्कृत के जितने कालेज हैं, जितनी पाठशालायें हैं, उनको भी किसी प्रकार से बल मिल सकें। इसके लिये भारत सरकार के शिक्षा विभाग को दिल्ली में जोकि भारत की राजधानी है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिये।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि हमारे देश में संस्कृत के अलभ्य ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, वैज्ञानिक भंडार भी है। अभी हमारे एक बहुत बड़े सन्यासी स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने "भारद्वाज का विमान शास्त्र" पर टीका लिखी है। भारत सरकार ने सुना है इस पुस्तक को लेकर पूना में थोड़ा अनुसंधान कराने का यत्न आरम्भ किया है। लेकिन अभी कितना ही ज्ञान भंडार छिपा पड़ा है भारत सरकार के शिक्षा विभाग को चाहिये कि एक सैंट्रल संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करे जिससे कि पुराने संस्कृत ग्रन्थों का अनुसन्धान कराया जा सके। यदि ऐसा किया गया तो नई पीढ़ी के लिये यह बहुत अच्छी बात होगी।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जिस तरह से यूनीवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन आपने बनाया है, संस्कृत जैसी आवश्यक और महत्वपूर्ण भाषा के लिये एक संस्कृत ग्राण्ट्स कमीशन की भी आप स्थापना करें जिसमें संस्कृतज्ञ भी हों, देश के दूसरे लोग भी हों और संसद् के सदस्य भी हों जिससे संस्कृत की अभिवृद्धि की जा सके और संस्कृत को और भी विस्तृत रूप दिया जा सके।

अन्तिम बात जो कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि युग के साथ बदलती हुई स्थिति में संस्कृत के स्वरूप को व्यापक बनाने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि संस्कृत अब तक जिन लोगों के हाथ में थी उन्होंने उसके दरवाजे बहुत कम चौड़े कर रखे थे, इसमें हर एक प्रवेश नहीं कर पाता था। स्थिति यह थी कि इस जाति के अतिरिक्त या इस वर्ग के अतिरिक्त कोई भी संस्कृत पढ़ नहीं सकता था। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस समय हमारे संस्कृत के दरवाजे इतने संकुचित और छोटे हो गये, उस समय इस देश का सौभाग्य है कि

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

गुजरात के एक हिस्से से एक साधु स्वामी दयानन्द जी सरस्वती आए। उसने संस्कृत का द्वार हर एक के लिए खोला, आर्यसमाज में गुरुकुल खोले, आर्यसमाज ने कन्या गुरुकुल खोले उन लड़कियों के लिए, जिनके लिये यह कहा जाता था कि गायित्री मंत्र उनके कान में नहीं पड़ना चाहिये,उनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है। आज से पचास वर्ष पहले आर्य समाज ने अपने गुरुकुल, कन्या गुरुकुल और कन्या पाठशालायें खोल कर संस्कृत का द्वारा मनुष्यमात्र के लिए खोला था। इसी का यह परिणाम है कि आज संस्कृत के पंडित केवल किसी वर्ग विशेष के ही आपको नहीं मिलेंगे बल्कि भारतवर्ष के अन्दर हर वर्ग के अन्दर आपको संस्कृत के पंडित मिलेंगे। इसका ऋषि दयानन्द और आर्य समाज के संगठन को सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन, सभापति महोदय, जहां मैं यह आपको कहना चाहता हूं, वहां एक दुर्भाग्य की बात भी हमारी है, कि वह गुरुकुल, वह कन्या गुरुकुल और पाठशालायें जिन्होंने कि राष्ट्रीय उत्थान के युग में अनेक कष्ट उठाये थे, अंग्रेज महाप्रभुओं ने जिनकी तलाशी जमीन खुदवा कर ली थी कि कहीं इनके नीचे बम तो तैयार नहीं किये जाते, उस आर्य समाज के आज तीन बड़े-बड़े गुरुकुल हैं, गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन और तीसरा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, जहां हमारे देश के प्रधान मन्त्री दीक्षान्त भाषण के लिये गये थे और यह सौभाग्य की बात है कि उस गुरुकुल को माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं अपनी आंखों से देख कर आये हैं। अभी तक इस प्रकार के गुरुकुलों की उपेक्षा का विषय बना करके रखा गया है, जिन्होंने मनुष्य मात्र के लिये संस्कृत का द्वार उस समय खोला था जबकि संस्कृत का द्वारा बहुत से लोगों ने थोड़ा संकुचित कर रखा था। मेरा अपना निवेदन है कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं से यह अपेक्षा न की जाये कि वे हमारे द्वारों पर आकर यह कहें कि हमारे को सहायता दी जाये, बल्कि अपनी ओर से उनको सहयोग दिया जायें।

मेरा एक और निवेदन है जिसको कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। वह यह है कि संस्कृत में आज स्थिति यह आ गयी है कि क्वीन्स कालिज बनारस की आज से दस वर्ष पहले स्थिति यह थी कि एक वर्ष में २६,००० तक विद्यार्थी वहां से परीक्षायें देते थे, और आज जब कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, वहां स्थिति यह है कि केवल सात आठ हजार विद्यार्थी कठिनाई से उसकी परीक्षाओं में बैठते हैं। यह क्या बात हुई कि स्वतन्त्र होने के पश्चात् संस्कृत के साथ इतनी उपेक्षा आरम्भ हो गयी ? क्यों विद्यार्थियों ने संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षायें देना बन्द कर दिया। असल में लोग शासन का अनुसरण करते हैं, राजा कालस्य कारणम्। राजा की नीति को देख कर जनता अपनी नीति निर्धारित करती है। जब लोगों ने यह देखा कि अंग्रेजी पढ़े लिखे जो मुट्ठी भर लोग हैं वही शासन में भी लिये जायेंगे, वही नौकरियों में लिये जायेंगे, सभी जगह उनको प्रोत्साहन मिलेगा। परिणाम यह हुआ कि जो लोग अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे वे भी उपेक्षित होकर बैठ गये और आज संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षायें देने वाले लोगों का स्तर गिर कर कहां आ चुका है यह पहले मैंने आपको आंकड़े देकर बताया है। लेकिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री से बड़ी नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह यूनीवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालयों के अन्दर अनुशासनहीनता बहुत बढ़ती चली जा रही है, उच्छृङ्खलता बहुत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आप संस्कृत को माध्यमिक श्रेणियों में अनिवार्य विषय बना देंगे तो मेरा निश्चित विश्वास है कि जो विद्यार्थी प्रतिदिन यह पढ़ेगा :

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।

जिसके कान में ये शब्द पड़ेंगे कि जो बच्चे नम्र होंगे, बुजुर्गों के सामने झुकेंगे उनकी आयु बढ़गी, उनकी विद्या बढ़े ी, उनका बल बढ़गा, उनका यश बढ़ेगा, उन के अन्दर उच्छृंखलता स्वतः ही नहीं आ सकती।

संस्कृत का वह साहित्य है कि जिसको महाकवि कालिदास ने रघुवंश में यह कह कर आरम्भ किया था और केवल एक श्लोक में जीवन का सारा निचोड़ बन्द करके रख दिया था :

शैशवेऽभ्यस्त विद्यानां, यौवने विषयेषिणां,
वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम् ।।

जीवन को चार भागों में बांट करके उन्होंने समाप्त कर दिया है। शैशव में ब्रह्मचर्याश्रम में रह कर विद्या प्राप्त करते थे, २५ वर्ष की आयु होने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, उसके पश्चात् ५० वर्ष के पश्चात् वानप्रस्थ अवस्था प्राप्त होती थी और अन्त में आकर सन्यास लेकर मनुष्य अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता था। जिस भाषा का साहित्य इतना गम्भीर है, जिस भाषा के अन्दर वेद जैसी अपूर्व निधि है जो मनुष्यमात्र के लिये "मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्" का उपदेश देती है आज अगर उस भाषा के प्रति भारतीय संसद या भारतीय शासन की उपेक्षापूर्ण नीति रहेगी तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारे को क्षमा नहीं करेगी। इसलिये जब संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है उस समय गम्भीरता से निश्चय करके इस प्रकार के पग उठाये जायें जिससे कि भारतीय जनता हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को और भारतीय शासन को साधुवाद दे सके ।

सभापति महोदय : चर्चा कल जारी रहेगी। माननीय सदस्यों को समय की सूचना दे ी जायेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा, बुधवार, ६ मई, १९५९/१६ वैशाख, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ५ मई, १९५९ / १५ वैशाख, १८८१ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	७०७५—७१०१
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२१५	सामुद्रिक विधि सम्बन्धी अभिसमय	७०७५–७६
२२१६	हथकरघे का कपड़ा . .	७०७६–७७
२२१८	कोयला-खान बोनस योजना . . .	७०७८–७९
२२१९	पालदार जहाजों से आयात के लिये रियायतें	७०७९–८०
२२२०	उड़ीसा में नारियल जटा उद्योग .	७०८०–८१
२२२१	जाली पासपोर्ट . . .	७०८१—८४
२२२२	केमिकल प्लाण्ट के लिये पश्चिमी जर्मनी का सहयोग .	७०८४–८५
२२२३	फ्लैश लाइट बनाने का कारखाना . . .	७०८५–८६
२२२४	उत्तर प्रदेश में अल्यूमीनियम का कारखाना .	७०८७—८८
२२२५	जापानी इस्पात मिशन का दौरा . .	७०८८—९०
२२२६	पश्चिमी-बंगाल आसाम-भूटान सड़कें . . .	७०९०–९१
२२२७	चीनी उद्योग का बागान वर्ग (प्लांटेशन ग्रुप) में सम्मिलित किया जाना	७०९१–९२
२२२८	पाकिस्तानी व्यापार दल का दौरा	७०९२–९३
२२२९	स्वांग रेलवे कोयला-खान . .	७०९३–९४
२२३०	भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तान का दावा	७०९४–९५
२२३१	सिक्किम में लाटरियां . . .	७०९५–९६
२२३२	ग्राम-जल संभरण .	७०९६—९८
२२३३	'कामनवैल्थ इन ब्रीफ' . .	७०९९–७१००
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३३	गोदी श्रमिक	७१००–०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . . ७१०१—३३

तारांकित
प्रश्न संख्या

२२१७ दिल्ली में श्रम सूचना सेवा योजना . ७१०१
२२३४ नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ७१०१–०२
२२३५ भेषजीय कारखाना . ७१०२
२२३६ मौलाना आज़ाद का मकबरा . ७१०२
२२३७ न्यूटन चिकली कोयला खानें ७१०३
२२३८ निर्माण व्यय में कमी . ७१०३
२२३९ कोयला खान भविष्य निधि ७१०३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३९६० सिलाई की मशीनों की फैक्टरियां . ७१०४
३९६१ पारपत्र ७१०४–०५
३९६२ अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड . ७१०५
३९६३ हथकरघा उद्योग का विकास . ७१०५
३९६४ हथकरघा उद्योग के लिये अनुदान तथा ऋण . ७१०५
३९६५ अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड . ७१०५—०७
३९६६ हथकरघा वस्त्र का निर्यात . . ७१०७
३९६७ जीवन निर्वाह देशनांक . . ७१०७–०८
३९६८ पंजाब में निष्क्राम्य इमारतों की नीलामी ७१०८
३९६९ रबड़ की वस्तुओं का निर्यात . . ७१०८–०९
३९७० बम्बई राज्य में दरम्याने दर्जे की औद्योगिक बस्तियां . . ७१०९
३९७१ काफी हाउस ७१०९–१०
३९७२ भारत के नव निर्माण सम्बन्धी नाटक . . ७११०
३९७३ राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्था . ७११०–११
३९७४ खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली . ७१११
३९७५ खण्ड दर जांच समिति ७१११–१२
३९७६ निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय का प्रशासकीय सतर्कता एकक ७११२
३९७७ सूती वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड . . ७११२
३९७८ वस्त्र उद्योग के लिये ऋण सुविधायें . . . ७११२–१३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३६७६	वित्तीय संस्थाओं के प्राक्कलन	७११३-१४
३६८०	लंका में भारतीय	७११४
३६८१	कटक में औद्योगिक बस्ती	७११४-१५
३६८२	वैल्डिंग इलैक्ट्रोड का उत्पादन	७११५
३६८३	मलाया में भारतीय इंजीनियरों की मांग	७११६
३६८४	बम्बई हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थायें	७११६
३६८५	बिहार में रेशम कीट पालन योजनायें	७११६
३६८६	स्नातक रोज़गार सर्वेक्षण	७१७६-१७
३६८७	पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास	७११७
३६८८	जुन्नरदेव कोयला खान	७११७
३६८९	कृषि भूमि की अधिकतम सीमा	७११७--१९
३६९०	नासिक जिले की प्याज तथा आलू सोसाइटी	७११९
३६९१	जेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार समझौता	७११९
३६९२	मद्रास राज्य में गुड़ का निर्माण	७११९-२०
३६९३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का दिल्ली राज्य का डिवीजन संख्या १	७१२०
३६९४	उद्योगों के लिये भारत-अमेरिकी संयुक्त उपक्रम	७१२१
३६९५	'मन्थली एक्सट्रेक्ट आफ़ स्टेटिस्टिक्स	७१२१
३६९६	लोक संगीत का रिकार्डिंग	७१२१-२२
३६९७	समाचार पत्र	७१२२
३६९८	रामेश्वरम् द्वीप में सीमेंट का कारखाना	७१२२
३६९९	आकाशवाणी शिमला से होने वाले ब्राडकास्ट	७१२३
४०००	हिमाचल प्रदेश के लिये इस्पात का कोटा	७१२३
४००१	हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास	७१२४
४००२	नेफा क्षेत्र में विदेशी सम्वाददाताओं का प्रवेश	७१२४
४००३	बिजली के भारी सामान का कारखाना, इलाहाबाद	७१२५
४००४	द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति	७१२५
४००५	नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	७१२५-२६
४००६	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की कार्यान्विति	७११६
४००७	तिब्बती आप्रवासी	७१२६-२७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
४००८ एटलस साइकिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, सोनीपत को ऋण	७१२७
४००९ पंजाब में खड्डी के कपड़े पर छूट	७१२७
४०१० मुकेरियां (पंजाब) में कागज की लुगदी का कारखाना .	७१२८
४०१३ दिल्ली में इन्दिरा मार्केट	७१२८–२९
४०१४ दिल्ली में इन्दरा मार्केट . .	७१२९
४०१५ जनपथ और इर्विन रोड के मार्केट .	७१२९
४०१६ कलकत्ता गोदी मज़दूर बोर्ड . .	७१३०
४०१७ पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा दिये गये अनुदेश	७१३०
४०१८ दिल्ली के विस्थापितों द्वारा मांगों का ज्ञापन .	७१३०—३२
४०१९ विस्थापित व्यक्तियों के लिये सिलिगुरी में बाजार	७१३२
४०२० शिक्षा संस्थायें	७१३२
४०२१ सरकारी मकानों का किराया . .	७१३३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७१३४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९४९ और वित्त लेखे, १९४७-४८ की एक प्रति ।

(२) कागज उद्योग के लिये उपलब्ध सैलुलौस के अतिरिक्त कच्चे माल के सर्वेक्षण के लिये नियुक्त की गई तदर्थ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) मद्यसार समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा जारी किये गये दिनांक २३ अप्रैल, १९५९ के संकल्प संख्या सी० एच० (आई)—३३(३)/५७ की एक प्रति ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . .	७१३४

पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया । . . . .

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	७१३५

पैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुरःस्थापित	७१३५
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५९	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	७१३५–४०, ७१४०—६२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर आगे चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
वर्ष १९५९-६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) . .	७१६२—७०
वर्ष १९५९–६० के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।	
संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	७१७०—८७
श्री सूपकार ने प्रस्ताव किया कि संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

बधवार, ६ मई, १९५९/१६ वैशाख, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

विनियोग (संख्या ३) विधेयक पर विचार और उसको पारित करना; समवाय (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार; लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार और उसको पारित करना तथा संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे चर्चा।